



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H06737/Vidhi/OA No.562/2023/2024

Date : 08-2-24

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Subject: RESPONSE OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD REGARDING ORIGINAL APPLICATION NO. 562/2023 IN RE: VARUN GULATI VERSUS ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, GOVT. OF U.P. & ORS.

Sir,

That in pursuance to the order dated 14.12.2023 passed by this Hon'ble Tribunal regarding the subject matter the response of the Respondent No.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board is filed herewith with a request that the same may be placed before the Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and necessary action.

Encls.: As above

Your's Sincerely

Chief Environmental Officer (Admin.)

Copy to:

1. Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Law Officer-I, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.

Chief Environmental Officer (Admin.)

पता- 12 गी. विभूति खण्ड, गौरी नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720876
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720876
e-mail : info@uppcb.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 562 of 2023

IN THE MATTER OF:

Varun Gulati

.....Applicant

Versus

**Environment, Forest and Climate Change
Department, Govt. of U.P. & Ors.**

.....Respondent(s)

**RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-3, UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER
DATED 14.12.2023 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL.**

Sir,

The respondent no.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, hereinafter referred as UPPCB, most respectfully showeth as under;

1- That vide its order dated 14.12.2023 this Hon'ble Tribunal has passed the following directions;

.....

3. *Mr. Pradeep Mishra has appeared for respondent no. 3 and he seeks time for filing of reply/response on his behalf. Reply/response on behalf of respondent no. 3 be filed within four weeks.*
4. *The proceedings before this Tribunal cannot be treated as part of adversarial litigation where the concerned defendants may opt out to remain absent and suffer ex-parte proceedings. On the other hand, the State and its instrumentalities are under constitutional and statutory obligations to ensure compliance with environmental norms and, therefore, the State and its instrumentalities have to ensure submission of their replies/response with relevant details and also their representation through duly authorised representatives/Counsel before this Tribunal. In the present case, State of Uttar Pradesh has not filed any response and has not taken any steps for its representation before this Tribunal through its Counsel. We consider it*

MV

appropriate that the matter be brought to the notice of the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and also learned Advocate General, Uttar Pradesh for issuance of appropriate instructions for compliance with notice issued by this Tribunal and submission of reply/response and ensuring representation through duly authorized representative/counsel before this Tribunal, as may be required.....

- 2- That it is worthwhile to state here that in 96th meeting of the UPPCB held on 29.03.2016, a proposal was approved that the process of filling all the direct recruitment posts of Group-C is to be filled through Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission and the direct recruitment in the UPPCB on the post of Assistant Environment Engineer and Assistant Scientific Officer is to be filled by the Uttar Pradesh Public Service Commission.

- 3- That further for filling of all the posts of Group-B in the UPPCB, a letter dated 03.05.2017 has been sent by the Uttar Pradesh Public Service Commission, Allahabad for changing in Service Rule for bringing the posts in question of UPPCB under the purview of the Commission and after obtaining consent from the government, revised proposals should be sent to Commission. So that in the light of amended rules promulgated after the approval of his Excellency the Governor, the process of selection on the said posts can be done by the Commission as per the rules. In compliance of letter by Commission, UPPCB has requested to the government for granting permission vide its letter dated 12.04.2018. A true copy of the letter dated



12.04.2018 is being annexed herewith as **Annexure No.-1** to this response.

4- That subsequently vide its letter dated 07.08.2018 the Environment Section-I, State of Uttar Pradesh has given no objection, that the direct recruitment on the vacant posts of Grade-B, i.e. Assistant Environmental Engineer, Assistant Scientific Officer and Public Relation Officer, created in accordance to the appendix of the Service Regulations, 1995, with the UPPCB and posts fallen vacant in further future, is to be filled by Uttar Pradesh Public Service Commission (Delimitation of Functions) Regulations 1954. Further, if the Uttar Pradesh Public Service Commission agrees to conduct the selection process against all the available/future vacancies. So, in principle, no objection has been given regarding getting the selection process for all such posts for filling through Uttar Pradesh Public Service Commission. A true copy of the letter dated 07.08.2023 is being annexed herewith as **Annexure No.-2** to this response.

5- That in relation to the above, all the posts of Group-B under direct recruitment created in the appendix to the promulgated service regulations of the UPPCB, 1995 consisting of posts of Assistant Environmental Engineer, Assistant Scientific Officer and Public Relations Officer will have to be filled through Uttar Pradesh Public Service Commission. The proposal regarding amendment in Regulation-13 of the process of determination



of vacancies in Part-V of the Rules of 1995 was presented on the agenda number-102.08 of the 102nd meeting of the Board held on 13.11.2018. The said proposal has been approved by the UPPCB. A true copy of the Minutes of Meeting dated 13.11.2018 is being annexed herewith as **Annexure No.-3** to this response.

- 6- That further with reference to the no-objection given by the Environment Section-I, State of Uttar Pradesh the UPPCB vide its letter no.-H31871/A.S.Camp(27)/2016-19 dated 24.01.2019 has requested to the Uttar Pradesh Public Service Commission, Prayagraj regarding filling up the direct recruitment vacant posts of Assistant Scientific Officer and Public Relation Officer fallen under Grade-B as per the decision taken in 102th meeting of UPPCB at Minutes No.-102.02. A true copy of the letter dated 24.01.2019 is being annexed herewith as **Annexure No.-4** to this response.
- 7- That it is submitted that the Uttar Pradesh Public Service Commission, Prayagraj vide its letter dated 17.06.2019 has written to UPPCB to provide the copy of The Uttar Pradesh Pollution Control Board Service Regulations, 1995 in Hindi and English for further action on the subject matter in context to the UPPCB letter dated 24.01.2019. UPPCB has sent the Hindi and English translation of Service Regulations 1995 to the Uttar Pradesh Public Service Commission vide letter dated 15.07.2019 with request to complete the selection process on

the vacant posts of direct recruitment under Group-B as soon as possible. A true copy of the letter dated 17.06.2019 and 15.07.2019 are being annexed herewith as **Annexure No.-5** and **Annexure No.-6** to this response.

- 8- That Uttar Pradesh Public Service Commission Prayagraj, vide its letter dated 07.11.2019, in the context to the UPPCB letter dated 15.07.2019, has informed that though UPPCB has got approved the post from the Board for getting the selection process to be done through Uttar Pradesh Public Service Commission, but required modification in Service Rules have not been done. So, UPPCB should get the Service Rules revised and legally vetted through Niyamawali Cell and get it approved from the Commission and ultimately get it approved from Hon'ble Governor, so that, Commission could complete the selection process in the light of modified notified Service Rules. A true copy of the letter dated 07.11.2019 is being annexed herewith as **Annexure No.-7** to this response.


- 9- That in compliance of letter dt 07.11.2019 of Uttar Pradesh Public Service Commission Prayagraj, the proposal regarding necessary amendment in Uttar Pradesh Pollution Control Council Service Regulations 1995, promulgated by the Board, after approval from the competent level was sent to the State Government vide letter dated 22.06.2020. The required information regarding the above has also been sent to the State Government from time to time vide letters dated



04.11.2020, 07.01.2021, 07.04.2021 and 22.12.2022. A true copy of the letter dated 22.06.2020, 04.11.2020, 07.01.2021, 07.04.2021 and 22.12.2022 are being annexed herewith as Annexure No.-8, Annexure No.-9, Annexure No.-10, Annexure No.-11 and Annexure No.-12 to this response.

10- That the proposal for filling 100 posts lying vacant in the category of Group-C, which were under direct recruitment i.e. Junior Engineer, Legal Assistant, Accountant/Auditor, Stenographer, Librarian and Computer Operator Grade-B, was forwarded by UPPCB to Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission vide letter G23183/A.S.Camp/27/2016 dated 07.11.2016. A true copy of the letter dated 07.11.2016 is being annexed herewith as Annexure No.-13 to this response.

11- That UPPCB requested to State Government vide letter no. G26791/A.S.Camp/27/2016-18 dated 15.03.2018 to refer to Uttar Pradesh Public Service Commission for completing the selection process for recruitment to the posts of Junior Engineer, Legal Assistant, Accountant/ Auditor, Stenographer, Librarian and Computer Operator Grade-B, Monitoring Assistant and Computer Operator Grade-A, which were sent on the prescribed format (separately) along with the required forms to Public Service Commission. Thereafter, the revised requisition for recruitment to the posts which were referred to Environment Section-1, Government of Uttar Pradesh for sending to Subordinate Services Selection Commission,



Lucknow were sent by letter dated 27.03.2018 by Environment Section-1, Govt. of U.P. to Secretary UP Subordinate Services Selection Commission. After the above, from time to time, the Board has been sending revised requisitions to the Commission for selection on certain posts, removing the errors required by the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow. Thus, the requisition/ revised requisition for selection on a total of 100 direct recruitment posts of Group C was sent by the Board to the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow. A true copy of the letter dated 15.03.2018 is being annexed herewith as **Annexure No.-14** to this response.

12- That Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission has informed vide its letter no.-80/319/चार/309/2018 dated 15.10.2020, that they have published the advertisement for the recruitment of 43 vacant posts of Junior Engineer vide Publication No.- 04-परीक्षा/2018. A true copy of the letter dated 15.10.2020 is being annexed herewith as **Annexure No.-15** to this response.

13- That Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow vide letter no. 187/612/चार/3509/2018 dated 15.10.2020 has directed to provide revised requisition on the new format regarding the vacancies for direct recruitment of Grade-C in accordance to the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Economically Weaker Sections) Act-2020. The



Environment, Forest and Climate Change, Section-6 in context of the office memorandum dated 13.08.2019 issued by Uttar Pradesh Government vide letter no. 796/81-6-2020 dated 19.01.2021 for selection on vacant posts, revised requisitions for various 57 posts on the new format were sent to Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow. A true copy of the letter dated 15.10.2020 and 19.01.2021 are being annexed herewith as **Annexure No.-16** and **Annexure No.-17** to this response.

14- That regarding the above requisitions and various Government orders related to Empowerment of Persons with Disabilities, Section-3, Government Order dated 30.07.2021 and Government Order dated 07.01.2021, issued by Government of Uttar Pradesh, discussions were held in Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow on 02.04.2022, as well as with reference to the reservation for excellent sports persons, revised requisitions on the prescribed format were sent through separate letters by UPPCB dated 11.04.2022, 12.04.2022, 12.05.2022 and 22.07.2022 for total of 114 vacancies on various posts of direct recruitment, excluding 43 advertised posts of Junior Engineer. Requisitions were also sent for the posts to Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow, vide its letter dated 18.08.2022 and 17.09.2022, the vacant posts for direct recruitment as per the updated Act/Rules/Governments of Uttar Pradesh Government. A true copy of the letter dated



18.08.2022 and 17.09.2022 are being annexed herewith as **Annexure No.-18** and **Annexure No.-19** to this response.

15- That in pursuance to the above, the present details of the requisition/revised/available requisition sent to the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow for selection on the various posts of Group-C of Board are as follows:

S.No.	Post	Requisite No. of Posts	Letter No. and Date
1.	Junior Engineer	43	G28295/A.S.Camp-27/2018 dated 12.09.2018 (Exam Held and Result Declared)
		08	Special Requisition to be sent through e-requisition portal in October, 2023
		10	General Requisition to be sent through e-requisition portal in November, 2023
2.	Accountant/Auditor	21	Requisition to be sent through e-requisition portal in December, 2023
3.	Monitoring Assistant	26	No.-G40484/ASCamp-27(B)/2023 dated 10.04.2023
4.	Junior Assistant	21	No.-G40479/ASCamp-27(B)/2023 dated 10.04.2023
5.	Legal Assistant	05	The requisition will be sent through e-requisition portal in November, 2023
6.	Librarian	01	The requisition will be sent through e-requisition portal in November, 2023
7.	Computer Operator Grade-B	03	No.-G40764/ASCamp-27(B)/2023, dated 22.05.2023
8.	Computer Operator Grade-A	05	No.-G40763/ASCamp-27(B)/2023, dated 22.05.2023
9.	Lab Assistant	01	Sent through e-procurement portal in the month of September, 2023.
	Total	144	

- 16- That it is submitted that in addition to above, the requisition were also sent by UPPCB vide letter dated 10.04.2023 for 27 posts of Stenographer and 05 posts of Scientific Assistant, which has been returned by the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, in original form, through separate letters dated 07.07.2023, on which further action is being taken as per the requirement of the Commission.
- 17- That it is submitted that the direct recruitment on the vacant posts of Class-IV is stopped in accordance to the letter no. 647/55-343 (Environment)/2010, dated 23.03.2011 of Environment Section, Government of Uttar Pradesh. A true copy of the letter dated 23.03.2011 is being annexed herewith as **Annexure No.-20** to this response.
- 18- That it is submitted that, UPPCB has also sent the proposal to Special Secretary, Government of Uttar Pradesh regarding taking necessary steps for requesting Additional Chief Secretary, Energy, Government of U.P. regarding recruitment of vacant posts through Uttar Pradesh Electricity Service Commission vide letter dated 11.05.2023 and 27.09.2023. The proposal along with relevant documents and records has been forwarded by the UPPCB to State Government again on 03.11.2023. A true copy of the letter dated 27.09.2023 and 03.11.2023 are being annexed herewith as **Annexure No.-21** and **Annexure No.-22** to this response.



19- That UPPCB has complied with its statutory duties and the selection process against the vacant posts under Group-B and Group-C are under process. Further, it is also necessary to mention here that UPPCB has acquired the services of the outsourcing employees/staff against the vacant posts for fulfilment of work and to comply with its duties.

Therefore, the response of Respondent No.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is being filed for kind perusal and consideration of Hon'ble Tribunal.

Yours' Sincerely



Chief Environmental Officer (Admin.)

G27087/32/2018/90

12-4-18

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय : बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली-2017 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दि0-31 अगस्त, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के नियम-4 में अवर स्तरीय पदों पर, सीधी भर्ती में, संगत सेवा नियमावली में चयन प्रक्रिया में विहित साक्षात्कार की व्यवस्था बंद कर दी जायेगी और ऐसी बंदी पर-

- (क) जहाँ अवर स्तरीय पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया केवल साक्षात्कार के आधार पर विहित है, वहाँ ऐसा चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) जहाँ चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पृथक अंक विहित हैं, वहाँ साक्षात्कार के अंकों को, लिखित परीक्षा हेतु विहित अंकों में सम्मिलित कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिए उपबन्ध न होने की दशा में, साक्षात्कार के लिए विहित अंकों को, लिखित परीक्षा के लिए विहित अंक माना जायेगा।
- (ग) जहाँ चयन हेतु कौशल परीक्षण या तकनीकी परीक्षा आवश्यक हो वहाँ ऐसे परीक्षण/परीक्षा हेतु चिन्हित अंक केवल अर्हकारी होंगे और ऐसे अंक सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (घ) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवर स्तरीय पद पर चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा चयन अप्रभावित रहेगा और इस निमित्त जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार चयन किया जायेगा।
- (ङ) यदि विशेष परिस्थितियों में सरकार का प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट अवर स्तर पद पर चयन हेतु साक्षात्कार को विहित किया जाना न्यायोचित पाता है तो प्रशासकीय विभाग सरकार के कार्मिक विभाग को समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो ऐसे प्रस्ताव पर सुविचारित निर्णय लेगा।

उक्त अधिसूचना के नियम-5 में उल्लिखित है कि नियम-4 के उपबन्धों के अधीन संगत सेवा नियमावली में अतर्विष्ट अन्य उपबन्ध अप्रभावित रहेंगे।

बोर्ड की प्रख्यापित "उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995" के परिशिष्ट में सृजित पदों, पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-598/55-पर्या-2009-346 (पर्या)2008, दि0 09.06.2009 द्वारा बोर्ड के कम्प्यूटर प्रकोष्ठ हेतु सृजित अस्थायी पदों में समूह-"ख", "ग" एवं "घ" के सीधी भर्ती के पदों में से समूह-"ग" के आशुलिपिक एवं टंकक-लिपिक के पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया निहित है।

कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दि0-31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 में निहित नियमों के प्ररिप्रेक्ष्य में बोर्ड की सेवा विनियमावली, 1995 में सीधी भर्ती हेतु निहित साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए, उक्त नियमावली को बोर्ड अध्यक्ष की अनुमति से अंगीकृत कर, बोर्ड के समूह-"ग" के वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0 1900/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-2 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-7 से कम के सीधी भर्ती के अवर अभियन्ता, विधि सहायक, लेखाकार/लेखापरीक्षक, आशुलिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पदों पर भर्ती हेतु संशोधित अधियाचन एवं अनुश्रवण सहायक तथा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों हेतु अधियाचन (निर्धारित प्रारूप पर) पृथक-पृथक (अपेक्षित प्रपत्रों सहित) पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के माध्यम से उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा घयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

2- बोर्ड की 96वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-96.08 पर बोर्ड में सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने पर विचार किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 03.08.2016 एवं पत्र दिनांक 16.12.2016 द्वारा बोर्ड में समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू0 5400/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-10 के सीधी भर्ती के "सहायक पर्यावरण अभियन्ता" एवं "सहायक वैज्ञानिक अधिकारी" की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध घयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहमति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में की जाने वाली नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही, शुल्क आदि के पूर्ण विवरण (समस्त वांछित प्रपत्रों/दिशा-निर्देशों सहित) से यथाशीघ्र अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त के संबंध में लोक सेवा आयोग के पत्र दि0 03.05.2017 द्वारा बोर्ड के प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर, संशोधित प्रस्ताव एवं संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली आलेख का प्रस्ताव भी आयोग की सहमति हेतु

(3)

उपलब्ध करारों की अपेक्षा की गयी है, ताकि महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा सके। लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के मंत्र दि० 03.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों -सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से सम्पन्न करारों की शासकीय अनुमति प्राप्त की जानी है।

कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की अधिसूचना दि०-31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 को बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों -सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से सम्पन्न करारों जाने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड की 100वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-100.09 पर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इस संबंध में बोर्ड को सगल प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव एवं उस पर लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति संलग्न हैं।

अनुरोध है कि प्रस्तावानुसार कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की अधिसूचना दि०-31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 को बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए जाने एवं बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से सम्पन्न करारों जाने की शासकीय अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

उ० प्र० शासन की अधिसूचना दि०-31 अगस्त, 2017
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता

कार्यसूची संख्या-100.09

विषय : बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली-2017 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दि0 31 अगस्त, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 (संलग्नक-1) प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के नियम-4 में अवर स्तरीय पदों पर, सीधी भर्ती में, संगत सेवा नियमावली में चयन प्रक्रिया में विहित साक्षात्कार की व्यवस्था बंद कर दी जायेगी और ऐसी बंदी पर-

- (क) जहाँ अवर स्तरीय पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया केवल साक्षात्कार के आधार पर विहित है, वहाँ ऐसा चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) जहाँ चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पृथक अंक विहित हैं, वहाँ साक्षात्कार के अंकों को, लिखित परीक्षा हेतु विहित अंकों में सम्मिलित कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिए उपबन्ध न होने की दशा में, साक्षात्कार के लिए विहित अंकों को, लिखित परीक्षा के लिए विहित अंक माना जायेगा।
- (ग) जहाँ चयन हेतु कौशल परीक्षण या तकनीकी परीक्षा आवश्यक हो वहाँ ऐसे परीक्षण/परीक्षा हेतु चिन्हित अंक केवल अर्हकारी होंगे और ऐसे अंक सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (घ) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवर स्तरीय पद पर चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा चयन अप्रभावित रहेगा और इस निमित्त जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार चयन किया जायेगा।
- (ङ) यदि विशेष परिस्थितियों में सरकार का प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट अवर स्तर पद पर चयन हेतु साक्षात्कार को विहित किया जाना न्यायोचित पाता है तो प्रशासकीय विभाग सरकार के कार्मिक विभाग को समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो ऐसे प्रस्ताव पर सुविचारित निर्णय लेगा।

उक्त अधिसूचना के नियम-5 में उल्लिखित है कि नियम-4 के उपबन्धों के अधीन संगत सेवा नियमावली में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्ध अप्रभावित रहेंगे।

?

श्री लालमोहन गुप्त
मुख्य सचिव/संयोजक, प्रशासन

कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दि0 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 में निहित नियमों के प्ररिप्रेक्ष्य में बोर्ड की सेवा विनिभावली, 1995 में सीधी भर्ती हेतु निहित साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए, उक्त नियमावली को बोर्ड अध्यक्ष की अनुमति से अंगीकृत कर, बोर्ड के समूह-'ग' के वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0 1900/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-2 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-7 से कम के सीधी भर्ती के अवर अभियन्ता, विधि सहायक, लेखाकार/लेखापरीक्षक, आशुलिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पदों पर भर्ती हेतु संशोधित अधियाचन एवं अनुश्रवण सहायक तथा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों हेतु अधियाचन (निर्धारित प्रारूप पर) पृथक-पृथक (अपेक्षित प्रपत्रों सहित) उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किए जाने हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करा दिया गया है।

2- बोर्ड की 96वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-96.08 पर बोर्ड में सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने पर विचार किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 03.08.2016 (संलग्नक-2) एवं पत्र दिनांक 16.12.2016 (संलग्नक-3) द्वारा बोर्ड में समूह-'ख' के वेतन बैंड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू0 5400/- के सीधी भर्ती के "सहायक पर्यावरण अभियन्ता" एवं "सहायक वैज्ञानिक अधिकारी" की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहमति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में की जाने वाली नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही, शुल्क आदि के पूर्ण विवरण (समस्त वांछित प्रपत्रों/दिशा-निर्देशों सहित) से यथाशीघ्र अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त के संबंध में लोक सेवा आयोग के पत्र दि0 03.05.2017 (संलग्नक-4) द्वारा बोर्ड के प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर, संशोधित प्रस्ताव एवं संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली आलेख्य का प्रस्ताव भी आयोग की सहमति हेतु उपलब्ध कराये की अपेक्षा की गयी है, ताकि महागठिन राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली

?

उ0 प्र0 पर्यावरण विभाग
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही किए जाने की जा सके। अतः लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के पत्र दि० 03.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-“ख” के समस्त पदों -सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से सम्पन्न कराये की शासकीय अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

अतएव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है कि:-

“बोर्ड” उपरोक्त का अवलोकन कर, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की अधिसूचना दि० 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 को बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-“ख” के समस्त पदों -सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से सम्पन्न कराये की शासकीय अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

—00—

निर्णय :- “प्रस्ताव अनुमोदित”

३

रघु बलराज सिंह
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रशासन

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2
लखनऊ, दिनांक: 31 अगस्त, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुफ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमावलियों और आदेशों को अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017

- | | | |
|--|----|---|
| संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ एवं लागू होना | 1- | (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुफ के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन अवर स्तरीय पदों की सीधी भर्ती पर लागू होगी, उन पदों और विभागों के सिवाय, जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश से इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हों। |
| अध्यारोही प्रभाव | 2- | यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी। |
| परिभाषा | 3- | इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो:
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(ङ.) "अवर स्तरीय पद" का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा समूह 'ख' (अराजपत्रित), समूह 'ग' और समूह 'घ' में यथा वर्गीकृत पदों से है; |

अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती में साक्षात्कार का बंद किया जाना

- 4- अवर स्तरीय पदों पर, सीधी भर्ती में, संगत सेवा नियमावली में चयन प्रक्रिया में विहित साक्षात्कार की व्यवस्था बंद कर दी जायेगी और ऐसी बंदी पर:-
- (क) जहाँ अवर स्तरीय पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया केवल साक्षात्कार के आधार पर विहित है वहाँ ऐसा चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) जहाँ चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पृथक अंक विहित हैं वहाँ साक्षात्कार के अंकों को, लिखित परीक्षा हेतु विहित अंकों में सम्मिलित कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिए उपबंध न होने की दशा में, साक्षात्कार के लिए विहित अंकों को लिखित परीक्षा के लिए विहित अंक माना जायेगा।
- (ग) जहाँ चयन हेतु कौशल परीक्षण या तकनीकी परीक्षा आवश्यक हो वहाँ ऐसे परीक्षण/परीक्षा हेतु विहित अंक केवल अहंकारी होंगे और वे अंक सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (घ) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवर स्तरीय पद पर चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा चयन अप्रभावित रहेगा और इस निमित्त जारी किये गये विज्ञापन के अनुसार चयन किया जायेगा।
- (ड.) यदि विशेष परिस्थितियों में सरकार का प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट अवर स्तर पद पर चयन हेतु साक्षात्कार को विहित किया जाना न्यायोचित पाता है तो प्रशासकीय विभाग सरकार के प्रामाणिक विभाग को समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो ऐसे प्रस्ताव पर सुविचारित निर्णय लेगा।

सीधी भर्ती के अन्य नियमों और शर्तों का अप्रभावित रहना

- 5- नियम-4 के उपबन्धों के अधीन संगत सेवा नियमावली में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्ध अप्रभावित रहेंगे।

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक - 2

113

10

03-8-16

F85019/AS Camp-27/2016

सेवा में,

सचिव,

उ०प्र० लोक सेवा आयोग,

इलाहाबाद।

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू० 5400/- के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-एफ78073/ए.एस.कैम्प/27/2016, दिनांक 29.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू० 5400/- के सीधी भर्ती के "सहायक पर्यावरण अभियन्ता" एवं "सहायक वैज्ञानिक अधिकारी" की समस्त सम्पत्ति उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध वचन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में आयोग की सहमति एवं अपेक्षित कार्यवाही आदि का विवरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया था, जिसके संबंध में आयोग की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि बोर्ड में समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू० 5400/- के सीधी भर्ती के "सहायक पर्यावरण अभियन्ता" एवं "सहायक वैज्ञानिक अधिकारी" की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध वचन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहमति एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में की जाने वाली नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही, शुल्क आदि के पूर्ण विवरण (समस्त वांछित प्रपत्रों/दिशा-निर्देशों सहित) से यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार बोर्ड द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(ए.एस.कैम्प वादव)
सदस्य सचिव
for,

SPEED POST

114

96

16-12-16

संलग्नक-3

क्रमांक: 192034/ए.एस.कैम्प-27/2016

सेवा में,
सचिव,
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग,
इलाहाबाद।

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ख" के वेतन बैण्ड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू0 5400/- के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-एफ78073/ए.एस.कैम्प/27/2016, दिनांक 29.04.2016 एवं पत्र संख्या-एफ85019/ए.एस.कैम्प-27/2016, दिनांक 03.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्रों द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह-"ख" के वेतन बैण्ड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू0 5400/- के सीधी भर्ती के "सहायक पर्यावरण अभियन्ता" एवं "सहायक वैज्ञानिक अधिकारी" की समस्त सम्प्रति उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में आयोग की सहमति एवं अपेक्षित कार्यवाही आदि का विवरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया था, जिसके संबंध में आयोग की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि बोर्ड में समूह-"ख" के वेतन बैण्ड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू0 5400/- के सीधी भर्ती के "सहायक पर्यावरण अभियन्ता" एवं "सहायक वैज्ञानिक अधिकारी" की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहमति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में की जाने वाली नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही, शुल्क आदि के पूर्ण विवरण (समस्त वांछित प्रपत्रों/दिशा-निर्देशों सहित) से यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार बोर्ड द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

सदस्य सचिव

1736/0
9/5/17

संख्या-108/16/08/डी.आर./एस-10/2016-17

संलग्नक - 4

प्रेषक,

रमेश चन्द्र शुक्ला,
उप सचिव,
उ०प्र० लोक सेवा आयोग,
इलाहाबाद।

दिनांक दिनांक 08-5-17
पत्र संख्या 108-16-08-डी.आर./एस-10/2016-17
विषय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, इलाहाबाद

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिल्डिंग नम्बर-टी.सी.-12वी,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

इलाहाबाद: दिनांक 03 मई, 2017

Urgent

विषय:- बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ख" के वेतन बैण्ड-3 (रु० 15600-39100) ग्रेड पे रु० 5400/-के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में।

AO (Admin)

विशेष सचिव

15.5.17

उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-F78073/A.S.Camp/27/2016 दिनांक 29-04-2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत पदों पर उ०प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराये जाने हेतु मा० आयोग का संवीक्षण है कि उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही, संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली आलेख्य का प्रस्ताव भी आयोग की सहमति हेतु उपलब्ध कराया जाय, ताकि महामहिन राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा सके।

AO
18-5-17

2- अतः अनुरोध है कि आयोग की अपेक्षानुसार संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय, ताकि विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

रमेश चन्द्र शुक्ला
(रमेश चन्द्र शुक्ला)
उप सचिव।
18-5-17

कार्यसूची संख्या-96.08

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-“ग” के वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

“उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995” में समूह-“ग” के सीधी भर्ती के पदों को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर एवं रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित कर, भरे जाने का प्राविधान है। बोर्ड में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु कोई पृथक सेल/अनुभाग गठित नहीं है, जिस कारण दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर एवं सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित कर अन्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त कर, नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने में अत्यधिक समय लगता है एवं उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अन्य कार्मिकों को योजित किये जाने से बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते हैं। बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, में समूह “ग” के नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड के सदस्य सचिव हैं।

कार्मिक अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक-15 दिसम्बर, 2014 (संलग्नक-1) में वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त सम्प्रति उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा ही किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह-“ग” के वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- से कम के सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से ही कराये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी उचित होगी।

अतएव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है कि:-

“बोर्ड” उपरोक्त का अवलोकन कर, प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

-00-

निर्णय :- “प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं बोर्ड में सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक चैलानिक आधिकारी के पदों को भी उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने पर विचार किये जाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-3

संख्या-91/281247-का-3-14-137/2006

लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-1529/9-वि.-1-14-1(क)10/2014, दिनांक 4.12.2014 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या-20, सन् 2014) की धारा-2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0-1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0-4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद, राज्यपाल महोदय, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट करते हैं।

2- राज्यपाल महोदय, यह भी आदेश देते हैं कि पूर्व में उक्त वेतनमानों/ ग्रेड पे के मध्य के पदों के जो अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर दिए गये हैं, उन पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा ही पूर्ण की जायेगी। सम्प्रति उपलब्ध रिक्तियों/ भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ही की जायेगी।

आज्ञा से

(राजीव कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-91/2812(1)47-का-3-14-137/2006, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराने तथा उसकी 2000 प्रतियों उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadeshup.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पत्रांक 1401 .../एम एस कैम्प/20
दिनांक 1-8-18

संख्या-1353/55-पर्या-1-2018-125 (पर्या)/17

सेवा में,

भारत प्रसाद,
अनु सचिव,
उओप्रओ शासन।

प्रेषक,

सदस्य सचिव,
उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 07 अगस्त 2018

विषय:-बोर्ड द्वारा उओप्रओ अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली -2017 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सो-जी-27087/32/2018/90, दिनांक 12.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि "उओप्रओ अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती में (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017" अधिसूचना संख्या-4/2017 /1/1/2017-का-2, दिनांक 31.08.2017 कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से अवर स्तरीय पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। अतएव उक्त के दृष्टिगत कार्मिक अनुभाग-2 की उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 को अंगीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि बोर्ड की प्रस्थापित सेवा विनियमावली 1993 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-'ख' के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्यक् अधिकारी की सीधी भर्ती को समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिलीमन) विनियम, 1954 का परीक्षण करने के उपरान्त यदि उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहमत है, तो ऐसे समस्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग से कराये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कथने का कष्ट करें।

CEO (Admin)

07/08/18
उओप्रओ शासन,
लखनऊ

AD
07/08/18
ALW
07/08/18

भवदीय,

भारत प्रसाद
अनु सचिव।

कार्यसूची संख्या--102.08

विषय:-बोर्ड अधिष्ठान में समूह-"ख" के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से भरे जाने हेतु सेवा विनिमावली में संशोधन।

बोर्ड की दिनांक 29 मार्च, 2016 को सम्मन्न हुई 96वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-96.08 पर बोर्ड द्वारा बोर्ड अधिष्ठान में सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को भी उ०प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने पर विचार किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त के अनुपालन में बोर्ड पत्र दिनांक 29.04.2016 एवं दिनांक 03.08.2016 द्वारा बोर्ड में समूह -"ख" के वेतन बैंड-3 (रु० 15,600-39,100) ग्रेड पे रु० 5400/- के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/अविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से ही कराये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु आयोग की सहमति एवं बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में की जाने वाली नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही आदि के संबंध में विवरण से यथाशीघ्र अचगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांक 03 मई, 2017 (संलग्नक-1) द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर, संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। साथ ही, संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली आलेख का प्रस्ताव भी आयोग की सहमति हेतु उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, तब कि महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा सके। उक्त के संबंध में बोर्ड के पत्र दिनांक

12-04-2018 द्वारा शासकीय अनुमति प्रदान करने हेतु पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया था।

पर्यावरण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2018 (संलग्नक-2) द्वारा बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृषियों का परिशीलन) विनियम, 1954 का परीक्षण करने के उपरान्त यदि उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किया जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहमत है, तो ऐसे समस्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग से कराये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की गई है। उक्त के संबंध में बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के माध्यम से भर्ती हेतु बोर्ड के सेवा विनियमावली, 1995 के भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया के रिक्तियों का अवधारण संबंधी विनियम-13 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड में उल्लिखित संशोधन प्रस्तावित हैं-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 प्रस्तावित खण्ड
नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित	नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित

<p>करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेंगी और समूह "ग" और "घ" के पदों के मामले में रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी।</p>	<p>करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। समूह-"ख" की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों के मामले में रिक्तियां उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा मयन आयोग, लखनऊ को अधिसूचित की जायेंगी तथा समूह-"घ" के सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेंगी एवं सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी।</p>
---	--

अतएव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है कि:-

"बोर्ड" उपरोक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर, अनुमोदन प्रदान करना चाहे।

-0-

निर्णय (दिनांक 13 नवम्बर, 2018) :-

बोर्ड अधिष्ठान में समूह-"ख" के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से भरे जाने हेतु सेवा विनिमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं समूह-"घ" हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-3263 / दस-59 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 12 जनवरी, 2011 में उल्लिखित व्यवस्था को भी सेवा विनिमावली के संशोधन में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

1131871 / P.S. Camp (27) / 2018-19

24/01/2019

सेवा में,

उप सचिव,
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग,
प्रभाग-1

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू0 5400/- वेतन मैट्रिक्स की लेवल-10 के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-108/16/08/डी.आर./एस-10/2016-17, दिनांक 03.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ख" के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर, संशोधित प्रस्ताव एवं संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली का आलेख्य सहमति हेतु उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

यहां यह अवगत कराना है कि पर्यावरण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2018 (संलग्नक-1) द्वारा बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 का परीक्षण करने के उपरान्त यदि उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहमत है, तो ऐसे समस्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग से कराये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की गई है।

पर्यावरण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त सैद्धान्तिक अनापत्ति के क्रम में बोर्ड की 102वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-102.08 पर बोर्ड अधिष्ठान में समूह-"ख" के सीधी भर्ती के

समस्त पदों को उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से भरे जाने हेतु बोर्ड की प्रख्यापित से विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-“ख” के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के माध्यम से भर्ती हेतु बोर्ड के सेवा विनियमावली, 1995 के भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया के रिक्तियों का अवधारण संबंधी विनियम-13 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड में उल्लिखित संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था:-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 प्रस्तावित खण्ड
नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाएंगी और समूह “ग” और “घ” के पदों के मामले में रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जाएंगी।	नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। समूह-“ख” की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों के मामले में रिक्तियां उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को अधिसूचित की जाएंगी तथा समूह-“घ” के सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाएंगी एवं सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जाएंगी।

(3)

बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।। उक्त के संबंध में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव एवं उस पर लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।

यहां यह भी संज्ञान में लाना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा बोर्ड के जनहित संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के दृष्टिगत बोर्ड में कार्मिकों की कमी का उल्लेख करते हुए यथाशीघ्र बोर्ड के सुदृढ़ीकरण करने के आदेश दिनांक 13.07.2017 को पारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मा0 विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालय, महालेखाकार, भारत सरकार द्वारा भी पर्यावरण संबंधी विभिन्न कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु बोर्ड में रिक्त पदों पर शीघ्र चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

बोर्ड अधिष्ठान में वर्तमान में सहायक पर्यावरण अभियन्ता के सीधी भर्ती के कुल 08 पद (सामान्य-06, अनुसूचित जाति-01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-01) तथा जन सम्पर्क अधिकारी का सामान्य श्रेणी का 01 पद रिक्त हैं। उक्त पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड की प्रख्यापित "उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995" के परिशिष्ट के क्रमांक-9 में शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा, भर्ती का स्रोत एवं नियुक्ति प्राधिकारी का विवरण उल्लिखित है। उक्त विनियमावली की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।

अतः वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि बोर्ड अधिष्ठान में समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपया 15600-39100) ग्रेड में रूपया 5400/- (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-10) के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि से आवेगदित कराते हुए, सहायक पर्यावरण अभियन्ता के रिक्त 08 पद (सामान्य-06, अनुसूचित जाति-01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-01) तथा जन सम्पर्क अधिकारी के सामान्य श्रेणी के रिक्त 01 पद पर यथाशीघ्र चयन की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पत्रांक 1401 .../ एन एस कम्प/20
दिनांक.....1-8-18.....

संख्या-1353/55-पर्या-1-2018-125 (पर्या)/17

सेवा में,

भारत प्रसाद,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

प्रेषक,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 07 अगस्त, 2018

विषय:- बोर्ड द्वारा उ०प्र० अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना)
नियमावली -2017 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं०-जी-27087/32/2018/90, दिनांक 12.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उ०प्र० अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती में (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 अधिसूचना संख्या-4/2017 /1/1/2017-का-2, दिनांक 31.08.2017 कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से अवर स्तरीय पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। अतएव उक्त के दृष्टिगत कार्मिक अनुभाग-2 की उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 को अंगीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-ख के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन्) विनियम, 1954 का परीक्षण करने के उपरान्त यदि उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहमत है, तो ऐसे समस्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग से कराये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

CEO (Admin)

07/08/18
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

EE (Admin) AD.
07/8/18
12/8/18

भवदीय,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

कार्यसूची संख्या-102.08

विषय:-बोर्ड अधिष्ठान में समूह-"ख" के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से से भरे जाने हेतु सेवा विनिमावली में संशोधन।

बोर्ड की दिनांक 29 मार्च, 2016 को सम्पन्न हुई 96वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-96.08 पर बोर्ड द्वारा बोर्ड अधिष्ठान में सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को भी उ०प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने पर विचार किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त के अनुपालन में बोर्ड पत्र दिनांक 29.04.2016 एवं दिनांक 03.08.2016 द्वारा बोर्ड में समूह -"ख" के वेतन बैंड-3 (रु० 15,600-39,100) ग्रेड पे रु० 5400/- के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से ही कराये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु आयोग की सहमति एवं बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में की जाने वाली नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही आदि के संबंध में विवरण से यथाशीघ्र अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांक 03 मई, 2017 (संलग्नक-1) द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर, संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। साथ ही, संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली आलेख्य का प्रस्ताव भी आयोग की सहमति हेतु उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा सके। उक्त के संबंध में बोर्ड के पत्र दिनांक

12/04/2018 द्वारा शासकीय अनुमति प्रदान करने हेतु पर्यावरण अनुभाग, उ०प्र० शासन से अनुरोध किया गया था।

पर्यावरण अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2018 (संलग्नक-2) द्वारा बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 का परीक्षण करने के उपरान्त यदि उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहमत है, तो ऐसे समस्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग से कराये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की गई है। उक्त के संबंध में बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के माध्यम से भर्ती हेतु बोर्ड के सेवा विनियमावली, 1995 के भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया के रिक्तियों का अवधारण संबंधी विनियम-13 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड में उल्लिखित संशोधन प्रस्तावित हैं:-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 प्रस्तावित खण्ड
नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित	नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित

<p>करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेंगी और समूह "ग" और "घ" के पदों के मामले में रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी।</p>	<p>करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। समूह-"ख" की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों के मामले में रिक्तियां उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को अधिसूचित की जायेंगी तथा समूह-"घ" के सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेंगी एवं सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी।</p>
---	--

अतएव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है कि:-

"बोर्ड" उपरोक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर, अनुमोदन प्रदान करना चाहे।

-0-

निर्णय (दिनांक 13 नवम्बर, 2018) :-

बोर्ड अधिष्ठात में समूह-"ख" के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से भरे जाने हेतु सेवा विनिमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं समूह-"घ" हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या- वे०आ०-2-3263/ दस-59 (एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 12 जनवरी, 2011 में उल्लिखित व्यवस्था को भी सेवा विनियमावली के संशोधन में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3167/3
 दिनांक 26/6/19
 26.06.19

पत्रांक 1127/... एम एस कैम्प/20
 दिनांक 26-6-19
 संख्या-108/17/08/डी.आर./एस-10/2016-17

राज्य प्रशासन
 प्रशासन विभाग
 26-6-19
 प्रशासनिक सेवाओं के इस्तेमाल
 संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज

प्रेषक,
 सत्य प्रकाश,
 उप सचिव,
 उ०प्र० लोक सेवा आयोग,
 प्रयागराज।

सेवा में,
 सदस्य सचिव,
 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 बिल्डिंग नम्बर-टी०सी०-12वीं,
 विभूति खण्ड, गोमती नगर
 लखनऊ।

प्रयागराज: दिनांक 17 जून, 2019

विषय:-बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह 'ख' के वेतन बैंड-3 (रू० 15,600-39,100) ग्रेड पे रू० 5400/- वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने का सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-एच-31871/ए० ए० 50 कैम्प (27)/2016-19, दिनांक 24.01.2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० आयोग की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या-1353/55-पर्या-1-2018-125(पर्या)/17, दिनांक 07.08.2018 द्वारा अनापत्ति/सहमति प्राप्त की गई है। परन्तु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा नियमावली, 1995 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतएव अनुरोध है कि उक्त पदों की आयोग की परिधि में लाये जाने पर मा० आयोग की सहमति से पूर्व उक्त नियमावली, 1995 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय, ताकि विषयगत प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

(CEO/Admn)
 26-6-19

भवदीय,


 (सत्य प्रकाश)
 उप सचिव।

AO


28-06-19

वी०डी०/१०/१८
 पत्रिका दिवानी
 28-06-19

28/7/19

G30562 / ए.एस.केम्प-27/26-19

15/07/19

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

उप सचिव,
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग,
प्रयागराज।

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह--"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू0 5400/- वेतन मैट्रिक्स की लेवल-10 के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-108/17/08/डी.आर./एस-10/2016-17, दिनांक 17.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह--"ख" के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों (सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी) को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि में लाये जाने पर मा0 आयोग की सहमति से पूर्व बोर्ड की प्रख्यापित "उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995" की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के संबंध में बोर्ड की प्रख्यापित "उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) संलग्न कर, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि बोर्ड अधिष्ठान में समूह--"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रूपये 5400/- (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-10) के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि से आच्छादित कराते हुए, वर्तमान में सहायक पर्यावरण अभियन्ता के रिक्त 10 पद (सामान्य-06, अनुसूचित जाति-01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-03) तथा जन सम्पर्क अधिकारी के सामान्य श्रेणी के रिक्त 01 पद पर यथाशीघ्र चयन की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक--यथोपरि।

आशीष तिवारी

olc सचिव

Prakash Mishra

R.L.

6402/3
18/11/19

स्पीड पोस्ट

संख्या-108/17/08/डी.आर./एस-10/2016-17

प्रेषक,

सत्य प्रकाश,
उप सचिव,
उ०प्र० लोक सेवा आयोग,
प्रयागराज।2700/39 का
दिनांक 18/11/19

पत्र संख्या... मुद्रांक अंक(दिनांक)/2019

दिनांक 20.11.19

13-11-19

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बिल्डिंग नम्बर-टी०सी०-12वीं,
विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ।

प्रयागराज: दिनांक ०३ नवम्बर, 2019

विषय-बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह 'ख' के वेतन बैंड-3 (रु० 15,600-39,100) ग्रेड पे रु० 5400/- वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-430567/ए०एस०कैम्प-(27)/16-19, दिनांक 15.07.2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित नियमावली के अनुशीलनोपरान्त यह पाया गया कि यद्यपि बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.01.2019 में यह अवगत कराया है कि बोर्ड ने उक्त पदों को उ०प्र० लोक सेवा आयोग से चयन कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। किन्तु संशोधित नियमावली के प्रख्यापन की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है।


2. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शासन के माध्यम से नियमानुसार नियमावली आलेख्य नियमावली सेल से विधीक्षित करवाकर प्रस्ताव आयोग को प्रेषित करें ताकि मा० आयोग उस पर अनुमोदन प्रदान कर सकें तदोपरान्त महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सके।

CEO (Admin)

18/11/19

AO
19/11/19

भवदीय,


(सत्य-प्रकाश)
उप सचिव।

वीरेंद्र सिंह
पवन चिवरी
19/11/2019

जि 32950/राज्य सेवा-27(स)/2019-20

22-06-2020

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में समूह-"ख" के समस्त पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से भरे जाने हेतु बोर्ड की प्रख्यापित "उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995" में संशोधन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि बोर्ड की दिनांक 29 मार्च, 2016 को सम्पन्न हुई 96वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-96.08 पर बोर्ड अधिष्ठान में सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने पर विचार किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त के अनुपालन में बोर्ड पत्र दिनांक 29.04.2016 एवं दिनांक 03.08.2016 द्वारा बोर्ड में समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रु0 15,600-39,100) ग्रेड पे रु0 5400/- के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से ही कराये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु आयोग की सहमति एवं बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में की जाने वाली नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही आदि के संबंध में विवरण से यथाशीघ्र अवगत कराये जाने का आयोग से अनुरोध किया गया था।

2- उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांक-03 मई, 2017 (संलग्नक-1) द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर, संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। साथ ही संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली आलेख्य का प्रस्ताव भी आयोग की सहमति हेतु उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा सके। उक्त के संबंध में बोर्ड के पत्र दिनांक 12-04-2018 द्वारा शासकीय अनुमति प्रदान करने हेतु पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया।

... 2/

3- तत्काल में पर्यावरण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक-07 अगस्त, 2018 (संलग्नक-2) के द्वारा बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954" का परीक्षण करने के उपरान्त यदि उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहमत है, तो ऐसे समस्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग से कराये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की गई है।

उक्त के संबंध में बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के माध्यम से भर्ती हेतु बोर्ड के सेवा विनियमावली, 1995 के भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया के रिक्तियों का अवधारण संबंधी विनियम-13 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव बोर्ड की दिनांक-13 नवम्बर, 2018 को सम्पन्न हुई बोर्ड की 102वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-102.08 पर प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

4- बोर्ड के पत्र संख्या-एच31871/ए.एस.कैम्प(27)/2016-19, दिनांक 24-01-2019 के माध्यम से पर्यावरण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रकरण पर प्रदान की गई सैद्धान्तिक अनापत्ति के क्रम में बोर्ड की 102वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-102.02 पर बोर्ड अधिष्ठान में समूह -"ख" के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम भरे जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उक्त पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए बोर्ड अधिष्ठान में समूह-"ख" के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि से आच्छादित कराते, सहायक पर्यावरण अभियन्ता तथा जनसम्पर्क अधिकारी के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र चयन की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने का अनुरोध उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से किया गया।

5- लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17-06-2019 (संलग्नक-3) द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 24-01-2019 के संदर्भ में विषयगत प्रकरण पर अग्रतर कार्यवाही हेतु 'उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995' की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई। बोर्ड के पत्र दिनांक 15-07-2019 द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति प्रेषित करते हुए पुनः बोर्ड

(3)

अधिष्ठान में समूह "ख" के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र चयन की कार्यवाही पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया।

6- लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र दिनांक 07-11-2019 (संलग्नक-4) के माध्यम से बोर्ड के पत्र दिनांक 15-07-2019 के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शासन के माध्यम से नियमानुसार नियमावली आलेख्य नियमावली सेल से विधीक्षित करवाकर प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गई, ताकि मा0 आयोग उस पर अनुमोदन प्रदान कर सकें तदोपरान्त महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सके।

7- उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक-07 अगस्त, 2018 (संलग्नक-2) द्वारा अवगत कराया गया कि "उ0प्र0 अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती में (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017" अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31.08.2017 कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से अवर स्तरीय पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है एवं उक्त के दृष्टिगत बोर्ड को कार्मिक अनुभाग-2 की उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 को अंगीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई।

मा0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त बोर्ड की प्रख्यापित "उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995" में यथावश्यक संशोधन संबंधी प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अनुरोध है कि कृपया संलग्न बोर्ड की सेवा विनियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव 'नियमावली सेल' से विधीक्षित कराकर, मा0 आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रख्यापित कराने की कृपा करें, ताकि तदनुसार मा0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 को बोर्ड अधिष्ठान के समूह-"ख" के समस्त रिक्त/भविष्य में घटित होने वाले पदों (सीधी भर्ती/पदोन्नति) पर भर्ती संबंधी कार्यवाही किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(अशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

1736/A
21/5/17

संख्या-108/16/08/डी.आर./एस-10/2016-17

प्रेषक,

रमेश चन्द्र शुक्ला,
उप सचिव,
उ०प्र० लोक सेवा आयोग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिल्डिंग नम्बर-टी.सी.-12वी,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।दिनांक 03-5-17
08-5-17

Urgent

CEO (Admin)

महोदय,

इलाहाबाद: दिनांक 03 मई, 2017

विषय:- बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रू० 15600-39100) ग्रेड पे रू० 5400/-के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-F78073/A.S.Camp/27/2016 दिनांक

29-04-2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत पदों पर उ०प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराये जाने हेतु मा० आयोग का संवीक्षण है कि उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही, संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली आलेख्य का प्रस्ताव भी आयोग की सहमति हेतु उपलब्ध कराया जाय, ताकि महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा सके।

2- अतः अनुरोध है कि आयोग की अपेक्षानुसार संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय, ताकि विषयगत प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

महोदय,
03-5-17
(रमेश चन्द्र शुक्ला)
उप सचिव।AO
W
18-5-17

संख्या-1353/55-पर्या-1-2018-125 (पर्या)/17

सेवा में

भारत प्रसाद,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

प्रेषक,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 07 अगस्त 2018

विषय-बोर्ड द्वारा उ०प्र० अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना)
नियमावली -2017 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं०-जी-27087/
32/2018/90, दिनांक 12.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में सम्यक् विचारापरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती में (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 अधिसूचना संख्या-4/2017 /1/1/2017-का-2, दिनांक 31.08.2017 कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से अवर स्तरीय पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। अतएव उक्त के दृष्टिगत कार्मिक अनुभाग-2 की उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 को अंगीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-ख के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती वी समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 का परीक्षण करने के उपरान्त यदि उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहमत है, तो ऐसे समस्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग से कराये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

CEO (Admin)
07/08/18
भारत प्रसाद,
अनु सचिवEE (Admin) AD.
07/8/18
12/8/18
अनु सचिवभवदीय,
भारत प्रसाद
अनु सचिव।

3167/13
अधिनियम (प्रशासक)/2016/6/10

संख्या-108/17/08/डी.आर./एस-10/2016-17

संलग्नक 143

2.06.19

दिनांक 26-6-19

रबीन्द्र पोस्ट

संख्या-108/17/08/डी.आर./एस-10/2016-17

प्रेषक,
सत्य प्रकाश,
उप सचिव,
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग,
प्रयागराज।

लोक प्रगति रजिस्ट्रार
आदेश दिनांक 26-6-19
प्रयागराज के इलाक़ा
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सेवा में,
सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बिल्डिंग नम्बर-टी0सी0-12वीं,
विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ।

प्रयागराज: दिनांक 17 जून, 2019

विषय:-बोर्ड अधिष्ठाण में सृजित समूह ख के वेतन बैंड-3 (रु० 15,800-39,100) ग्रेड पे रु० 5400/- वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-एच-31871/ए० एस० कैम्प (27)/2016-19, दिनांक 24.01.2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० आयोग की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या-1353/55-पर्या-1-2018-12(पर्या)/17, दिनांक 07.03.2018 द्वारा अनापत्ति/सहमति प्राप्त की गई है। परन्तु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा नियमावली, 1995 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतएव अनुरोध है कि उक्त पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने पर मा० आयोग की सहमति से पूर्व उक्त नियमावली, 1995 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय, ताकि विषयगत प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

CEO(AWMM)

26-6-19

AO

28-06-19

वी०डी०/रि०/टी०

पत्र दिनांक 28-06-19

28/7/19

भवदीय,

सत्य प्रकाश
उप सचिव।

6402/13
18/11/19

संलग्नक-4 K45

स्पीड पोस्ट

संख्या-108/17/08/डी.आर./एस-10/2016-17

प्रेषक,

सत्य प्रकाश,
उप सचिव,
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग,
प्रयागराज।

पत्रांक 2790/39 211/एस एस डीएम/2019

दिनांक 18/11/19

जारी प्राप्ति रसीद

प्राप्ति दिनांक 13-11-19

आयुक्त के कार्यालय

उ0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

पत्र 538/मु0प0 अधि0/प्रका

दिनांक 20.11.19

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बिल्डिंग नम्बर-टी0सी0-12वीं,
विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ।

प्रयागराज: दिनांक 07 नवम्बर, 2019

विषय:-बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह 'ख' के वेतन बैंड-3 (रु0 15,600-39,100) ग्रेड पे रु0 5400/- वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-430567/ए0एस0कैम्प-(27)/16-19, दिनांक 15.07.2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित नियमावली के अनुशीलनोपरान्त यह पाया गया कि यद्यपि बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.01.2019 में यह अवगत कराया है कि बोर्ड ने उक्त पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयन कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। किन्तु संशोधित नियमावली के प्रख्यापन की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शासन के माध्यम से नियमानुसार नियमावली आलेख्य नियमावली सेल से विधीक्षित करवाकर प्रस्ताव आयोग को प्रेषित करें ताकि मा0 आयोग उस पर अनुमोदन प्रदान कर सकें तदोपरान्त महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सके।

CEO (Admin)

18/11/19

AO
19/11/19

भवदीय,

(सत्य प्रकाश)
उप सचिव।

वर्तित लि0

पवन विवशी
19/11/2019

**THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
NOTIFICATION**

No...../55-Parya-6-2020 23(Parya)/97TC

In exercise of the powers under Sub-Section (3A) of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act no. 6 of 1974) and under Sub-Section (4) of Section 14 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981), the Governor, after consultation with the prior approval of the Government is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service Regulation, 1995, regulating recruitment and the conditions of Service of persons appointed to the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service:-

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD (FIRST AMENDMENT) SERVICE REGULATION, 2020
Part-I-General

1. Short title and Commencement-

- i. These regulations may be called Uttar Pradesh Pollution Control Board (1st Amendment) Service Regulations, 2020.
 - ii. They shall come into force with effect from their publication in the official gazette.
2. In the Uttar Pradesh Pollution Control Board (1st Amendment) Service Regulations, 2020, herein after refer to as the said Rules, Rule-13,14,15, 16 and 17 set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be substituted namely.

Existing rule	Rules as here by substituted
<p>13. Determination of Vacancies</p> <p>The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the Service and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Categories under Regulation-6. The vacancies to be filled by the appointing authorities in daily newspaper and in case of</p>	<p>13. Determination of Vacancies</p> <p>The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the Service and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Categories under Regulation-6. The vacancies to be filled for the post of Group-B shall be intimated to U.P.Public Service</p>

<p>Group-C and Group-D, the post, vacancies shall also be notified in the employment exchange.</p>	<p>Commission and for Group-C post shall be intimated to U.P. Sub-Ordinate Public Service Commission. For Group-D post, call for interview such number of candidates who fulfill the requisite qualification as they consider proper.</p>
<p>14. <u>Constitution of the Selection Committee</u></p> <p>Recruitment to the various categories of post in the Service shall be made through the selection committee comprising :</p> <p>a) For Group-A and Group-B posts:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. appointing Authority; ii. one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government; iii. one expert in the concerned subject nominated by the Government; iv. Member Secretary of the Board: Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Tribes and Backward castes, then an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member. <p>NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;</p> <p>b) for Group-C and Group-D posts</p> <ol style="list-style-type: none"> i. appointing authority ii. one officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes 	<p>14. <u>Constitution of the Selection Committee</u></p> <p>Recruitment to the various categories of post in the Service shall be made through the selection committee comprising :</p> <p>a) For Group-A and Group-B posts where source of recruitment is through promotion only:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. appointing Authority; ii. one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government nominated by the Government; iii. one expert in the concerned subject nominated by the appointing authority; iv. Member Secretary of the Board: Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Tribes and Backward castes, then an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member. <p>NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;</p>
<p>Group-C and Group-D, the post, vacancies shall also be notified in the employment exchange.</p>	<p>Commission and for Group-C post shall be intimated to U.P. Sub-Ordinate Public Service Commission. For Group-D post, call for interview such number of candidates who fulfill the requisite qualification as they consider proper.</p>

iii. nominated by the appointing authority.
 one officer of the Board belonging to minority community nominated by appointing authority;

iv. one officer of the Board belonging to Backward Classes nominated by appointing authority.

NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;

b) for Group-C and Group-D posts

- i. appointing authority
- ii. One officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes nominated by the appointing authority.
- iii. One officer of the Board belonging to minority community nominated by appointing authority;
- iv. One officer of the Board belonging to Backward Classes nominated by appointing authority.

NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;

15. Procedure for direct recruitment on the basis of interview

1. The Selection Committee constituted under regulation 14 shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under regulation 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications as they consider proper.
2. The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order to their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtained equal marks, the name of the persons senior in age shall be placed higher in the list. The name of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) the number of vacancies.

15.1 Procedure for direct recruitment on the basis of competitive exams (written/interview or both)

1. Application for being considered for selection for the Group-B post shall be called by the UP Public Service Commission in the form published in the advertisement issued by the UP Public Service Commission.
2. Application for being considered for selection for the Group-C post shall be called by the UP Sub-Ordinate Public Service Commission in the form published in the advertisement issued by the UP Sub-Ordinate Public Service Commission.
3. The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in

The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

16. Procedure for direct recruitment through written competitive examination-

1. The Selection Committee constituted under regulation 14 shall scrutinize the applications and required the eligible candidate to appear in a competitive examination.
2. After the marks obtained by the candidate in the written examination have been tabulate, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under regulation 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination have, to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.
3. If two or more candidates obtained equal marks, the name of the persons senior in age shall be placed higher in the list. The name of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

accordance with Rule 6, call for competitive exams (written/interview or both) such number of candidates who fulfilled the requisite qualifications, as they consider proper.

4. The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the competitive exams (written/interview or both). If two or more candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

15.2 Procedure for recruitment by promotion for the posts in which direct appointment/ promotion through Commission is done

Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

17. Procedure for recruitment by promotion-

1. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under regulation 14.
2. The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection on the basis outside purview of the Public Service Commission). Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.
Provided that where there are two or more feeding posts-
 - a) bearing different scales of pay the candidate holding the post bearing higher scale of pay shall be placed higher in the eligibility list.
 - b) bearing same scale pay, the names of the candidates on the basis of the records referred to sub-regulation (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.
3. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

17. Procedure for recruitment by promotion for the post except in which direct appointment/promotion through Uttar Pradesh Public Service Commission is done

1. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under regulation 14.
2. The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection on the basis outside purview of the Public Service Commission). Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.
Provided that where there are two or more feeding posts-
 - a) bearing different scales of pay the candidate holding the post bearing higher scale of pay shall be placed higher in the eligibility list:
 - b) Bearing same scale pay, the names of the candidates on the basis of the records referred to sub-regulation (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.
3. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

APPENDIX
(SEE REGULATIONS 13,14,15,16)

Serial No.-9,13,22,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38 & 40 of appendix is amended as below:-

Sl. No.	Name of post	Numbered post			Status of the service	Scales of pay	Academic qualification	Age-limit		Source of recruitment	Appointing authority
		Perma- nent	Tempo- rary	Total				Min	Max		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	Assistant Environmental Engineer	...	40	40	Group-B	Payband Rs.15500- 39100 Grade pay 5400 Level-10	A Bachelor's Degree in Chemical Engineering/Chemical Technology/Civil Engineering/Environmental Engineering/Bio-Technology from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent there to	21	40	(i) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers who have completed ten years service on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended to time-to-time as such on the first day of the year of recruitment, provided that in the case of a person who has obtained a Bachelors Degree in Chemical Engineering, Chemical Technology, Civil Engineering or Environmental Engineering, Bio-Technology from a University established by law in India or a qualification declared by the Government as equivalent thereto the	Chairman

13.	Assistant Scientific Officer	19	19	Group-B	Payband Rs 15600-30100 Grade pay 5400 Level-10	A Doctorate degree in Chemistry/Zoology, Botany/Bio-Chemistry from a University established by law in India or a qualification recognized by the government as equivalent thereto with three years experience in the field of environment/Pollution Control/Public Health. or A Master's Degree in Chemistry/Zoology/Botany/ Bio-Chemistry from a University established by law in India or a qualification recognized by the government as equivalent thereto with five years experience in the field of Environment/ Pollution Control/Public Health.	21	40	(i) Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Public Service Commission. (ii) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Scientific Assistants who have completed ten years of service on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended to time-to-time as such on the first day of the year of recruitment (ii) Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Public Service Commission	Chairman
22.	Legal Assistant	8	8	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	(i) A Bachelor's Degree in Law from a University established by Law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.. (ii) Three years experience as an Advocate/Vakil/Barrister/Attorney.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary

25.	Junior Engineer	69	69	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	A Diploma in Public Health/Civil/Chemical/Environmental Engineering	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Commission	Member Secretary
28.	Scientific Assistant	37	37	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	A Master Degree in Zoology/Botany/Chemistry/Bio-Chemistry/Environmental Science from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.	21	40	1. Fifty percents by promotion from amongst substantively appointed Laboratory Assistants and Monitoring Assistants who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment. 2. Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Commission	Member Secretary
29.	Accountants/Auditors	14	14	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	1. A Bachelor's Degree in Commerce with Accountancy as one of the subjects from a University established in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. 2. One years experience in the field of accountancy in a Government or Semi-Government organization.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Commission	Member Secretary
30.	Stenographer	29	29	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	1. Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or an examination recognized by the government as equivalent thereto. 2. A speed of 80 words per	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Commission	Member Secretary

31.	Librarian	01	01	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	(i) A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A Diploma in Library Science.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
32 (I).	Computer Operator, Grade-C	...	10	10	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6		21	40	By promotion from amongst substantially appointed Computer Operator, Grade-B who have completed 06 years service as such on first day of recruitment.	Member Secretary
32 (II).	Computer Operator, Grade-B	06	06	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2800 Level-5	(i) A Bachelor's Degree in science with Mathematics or Statistics as one of the Subjects from a University established By law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A six months diploma in computers.	21	40	i. Fifty percents by promotion from amongst substantively appointed Computer Operator, Grade-B who have completed 06 years service as such on the first day of the year of recruitment. ii. Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
32 (III).	Computer Operator, Grade-A	12	12	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2400 Level-4	(i) A Bachelor's Degree in science with Mathematics or Statistics as one of the Subjects from a University established By law in India	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary

33.	Receptionist	01	01	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A six months diploma in computers. (i) A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A Diploma in E.P.A.B.X. operation from an institution recognized by the Government or a qualification declared by the Government as equivalent thereto ; (iii) A good capability to write and speak Hindi and English languages	21	40	Commission By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
36.	Junior Assistant	61	61	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2000 Level-3	Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto with a speed of 30 words per minute and 25 words per minute in Hindi and English Typewriting respectively and "CCC" certificate of DOEACC Society for computer operation.	18	40	(i) Fifteen percent by promotion from amongst to substantively appointed group "D" employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examinations recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) Five percent by promotion from amongst substantively appointed Group "D" Employees who	Member Secretary

37.	Laboratory Assistant	33	33	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2	Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.	18	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
38.	Monitoring Assistant	32	32	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2	Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.	18	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
40.1 6.	Electrician	01	01	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2	(i) Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.	18	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (written/interview or both) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद्

अधिसूचना

संख्या

लखनऊ : दिनांक

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (3-क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, रूल्स 1981) की धारा 14 की उपधारा (4) के अर्धीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकार की पूर्व अनुमति से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2020

भाग-एक-सामान्य

1. i- यह विनियमावली उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2020 कही जाएगी। सशिक्षित नाम और प्रारम्भ-
ii- यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995 में दिये गये वर्तमान नियम 13, 14, 15, 16 एवं 17 के स्थान पर निम्न नियम 13, 14, 15, 16 एवं 16 प्रतिस्थापित किया जायेगा।

	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
13-	<p>शिक्षियों का अवधारण- नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली शिक्षियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अन्यशिक्षियों के लिए आरक्षित की जाने वाली शिक्षियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्तियों द्वारा भरी जाने वाली शिक्षियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली शिक्षियों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और समूह "ग" और "घ" के पदों के मामले में शिक्षिया सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी।</p>	<p>शिक्षियों का अवधारण- नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली शिक्षियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अन्यशिक्षियों के लिए आरक्षित की जाने वाली शिक्षियों की संख्या भी अवधारित करेगा। समूह "ख" के पदों की शिक्षियों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा समूह "ग" के पदों के शिक्षियों को उ0प्र0 अधिनस्थ लोक सेवा आयोग को अग्रसारित करेगा। समूह "घ" के पदों के मामले में अर्हकारी योग्यताधारी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।</p>
14-	<p>चयन समिति का गठन - सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-</p> <p>(क) समूह "क" और समूह "ख" के पदों के लिये-</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो;</p> <p>(तीन) सम्बन्धित विषय का एक विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;</p>	<p>चयन समिति का गठन - सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-</p> <p>(क) समूह "क" और "ख" पदोन्नति से भरे जाने वाली शिक्षियों के लिये :-</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो;</p> <p>(तीन) सम्बन्धित विषय का एक विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति</p>

<p>टिपणी—ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p>	<p>15.1 प्रतियोगी परीक्षा (लिखित/साक्षात्कार अथवा दोनों) के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा समूह "ख" के पदों पर चयन हेतु, आवेदन पत्र किये जाने के लिये उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन फार्म प्रकाशित किया जायेगा। 2. उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा समूह "ग" के पदों पर चयन हेतु, आवेदन पत्र किये जाने के लिये उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन फार्म प्रकाशित किया जायेगा। 3. आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा (लिखित/साक्षात्कार अथवा दोनों) के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं, जैसा वह उचित सम्झे, पूरी करते हो। 4. आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रतिगिता के क्रम में जैसा कि प्रतियोगी परीक्षा (लिखित/साक्षात्कार अथवा दोनों) में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची
<p>15-</p>	<p>साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1)— विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं, जैसा वह उचित सम्झे, पूरी करते हो।</p> <p>(2) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करे तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकार को सूची अग्रसारित करेगी।</p>
<p>16-</p>	<p>लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति आवेदन-पत्रों की संदीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।</p> <p>(2) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध कर जिये जाने के पश्चात् चयन समिति, विनियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में</p>

<p>(चार) परिषद का सदस्य-सचिव; परन्तु —</p> <p>यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, को सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।</p> <p>टिप्पणी— ज्येष्ठम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p> <p>(ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिये—</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा;</p> <p>(तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा;</p> <p>(चार) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा;</p> <p>टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p>	<p>प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा; (चार) परिषद का सदस्य-सचिव; परन्तु —</p> <p>यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, को सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।</p> <p>टिप्पणी— ज्येष्ठम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p> <p>(ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिये—</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा;</p> <p>(तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा;</p> <p>(चार) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा;</p>
---	---

	<p>प्रत्येक अर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।</p> <p>(3) चयन समिति अर्थियों की उनकी श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या शक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगी।</p>	<p>तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अर्थी समान अंक प्राप्त करे तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या शक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।</p> <p>15.2-आयोग द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति से भरे जाने वाले शक्तियों की प्रक्रिया :-</p> <p>पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उ0प्र0 पदोन्नति हेतु चयन लोक सेवा आयोग(प्रक्रिया)नियमावली,1970 के परमार्श से की जायेगी।</p>
<p>17-</p>	<p>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :- 1. पदोन्नति द्वारा भर्ती, विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से ,अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ,ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।</p> <p>2. नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली,1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजिका और उन्ते संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा।</p> <p>परंतु जहां दो या अधिक पोषक पद हों-</p> <p>(क) विभिन्न वेतनमान वाले पदों की स्थिति में उच्चतर वेतनमान के पद वाले अर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।</p> <p>(ख) समान वेतनमान वाले पदों की स्थिति में अर्थियों के नाम,पात्रता</p>	<p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जाने वाली सीधी भर्ती / पदोन्नति के शक्तियों के सिवाय पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-</p> <p>1.पदोन्नति द्वारा भर्ती, विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से ,अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ,ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।</p> <p>2 .नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली,1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजिका</p>

<p>सूची में उनके अपने-अपने पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के कम में रखे जायेंगे।</p> <p>(3) चयन समिति उदपविनियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।</p> <p>(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्योष्ठता-कम में जैसी कि कवह उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।</p>	<p>और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।</p> <p>(3) चयन समिति उदपविनियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।</p> <p>(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्योष्ठता-कम में जैसी कि कवह उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।</p>
--	--

आज्ञा से,

प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

परिशिष्ट के क्रम संख्या-9,13,22,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38 और 40 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		सेवा की प्राप्ति	वेतनमान	शैक्षिक आर्हता	आयु		भर्ती का स्त्रोत	नियुक्ति प्राधिकार
		अस्थाई	योग				न्यूनतम	अधिकतम		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
9	सहायक पर्यावरण अभियन्ता		40	40	वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 लेवल-10	भारत में विधि स्थापित विद्यालय से अभियंत्रिकी प्रायोगिकी/सिविल अभियंत्रिकी / पर्यावरण अभियंत्रिकी / जैव-प्रायोगिकी	21	40	1. पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवसर अभियंतों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दस	अध्यक्ष

22	सिधि सहायक	08	08	समूह "ग"	वेतन श्रेण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	पर्यावरण / प्रदूषण नियंत्रण / जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सरसायन शास्त्र / जंतु विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / जैव रसायनिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यावरण / प्रदूषण नियंत्रण / जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।	पदोन्नति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उओप्रओ पदोन्नति हेतु चयन लोक सेवा आयोग(प्रक्रिया)नियमावली,1970 के परर्माश से की जायेगी। 2. पचास प्रतिशत उओप्रओ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (लिखित / साक्षात कार अथवा दोना) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य स्थाय

25	अवर अभियंता	.	.	69	69	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	जन स्वास्थ्य/सिविल/रसायन /पर्यावरण अभियंत्रिकी में डिप्लोमा।	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा(लिखित/साक्षात्कार अथवा दोनों) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव
28	वैज्ञानिक सहायक	.	.	37	37	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/रसायन शास्त्र/जैव रसायनिकी/पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	21	40	1. पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रयोगशाला सहायको और अनुश्रवण सहायको में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, 2. पचास प्रतिशत उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग	सदस्य सचिव

31	पुरस्कालयाध्यक्ष	01	01	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	(1) भारत में विधि द्वारा 21 स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । (2) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा ।	40	40	सीधी भर्ती द्वारा उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा(लिखित/साक्षात्कार अथवा दोगा) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव
32 (1)	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-सी	10	10	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4600 लेवल-07		21	40	कम्प्यूटर ऑपरे टर ग्रेड-बी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा ।	सदस्य सचिव

32 (2)	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी	06	06	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 लेवल-5	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कोई एक विषय के रूप में गणित या संख्यिकी के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । (2) कम्प्यूटर में छः मास का डिप्लोमा ।	21	40	1. पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-सी में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो. 2. पचास प्रतिशत उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (लिखित/साक्षात कार अथवा दोनों) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव
32 (3)	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	12	12	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 लेवल-4	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कोई एक विषय के रूप में गणित या संख्यिकी के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा(लिखित/साक्षातकार अथवा दोनों) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव

33	रिसेशनिस्ट/ स्वागती	01	01	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-06	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था ई0पी0ए0बी0ए0एस0 संचालन में डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता । (तीन) हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं को लिखने और बोलने की	समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । (2) कम्प्यूटर में छः मास का डिप्लोमा ।	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा(लिखित/साक्षात्कार अथवा दोनों) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
----	------------------------	---	---	---	---	----	----	-------------	---	--	---	----	----	---	---------------

				अच्छी क्षमता ।					
36	कनिष्ठ सहायक	61	61	समूह "ग" वैतन श्रेण्ड 5200-20200 श्रेण्ड पे-2000 लेवल-03	1) उOप्रO माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इन्टर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष सरकार द्वारा कोई परीक्षा के साथ हिन्दी और अंग्रेजी में क्रमशः 30 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति ।	18	40	(1) पन्द्रह प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त समूह "घ" कर्मचारियों में से जिन्होंने शर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो पदेन्गति द्वारा । (2) पांच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त समूह "घ" कर्मचारियों में से जिन्होंने शर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा या	सदस्य सचिव

										सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा। (3) अस्सी प्रतिशत उ०प्र० अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा(लिखित/साक्षात्कार अथवा दोनों) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव		
37	प्रयोगशाला सहायक					33	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-02	माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा	18	40	उ०प्र० अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा(लिखित/साक्षात्कार अथवा दोनों) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
38	अनुसूचण सहायक					32	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900	माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई	18	40	उ०प्र० अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा(लिखित/साक्षात्कार अथवा दोनों) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव

40	इलेक्ट्रिशियन	01	01	समूह "ग"	लेवल-02 वेलन डैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-02	परीक्षा I (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा (2) इलेक्ट्रिशियन का आई0टी0आई0 का डिप्लोमा, (3) सरकार का चायर्समैन का लाइसेंस।	18	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा(लिखित/साक्षात्कार अथवा दोनों) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव

634075 / ए०एस०कैम्प-27(स) / 2019-20

04-11-2020

सेवा में,
विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-8,
उ०प्र० शासन,
लखनऊ।


विषय: बोर्ड अधिष्ठान में समूह-‘ख’ के सगस्त पदों को उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से भरे जाने हेतु बोर्ड की प्रख्यापित “उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा नियमावली, 1995” में संशोधन।


महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-427/81-6-2020-02(2)/प्र०नि०/87, दिनांक 28.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उ०प्र० अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 द्वारा समूह-‘ख’ (अराजपत्रित), समूह-‘ग’ और समूह-‘घ’ के पदों पर साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्ति के अनुरूप बोर्ड की सेवा विनियमावली में आवश्यक संशोधन हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी का आलेख बोर्ड के पत्र संख्या-जी32950/ए०एस०कैम्प-27(स)/2019-20, दिनांक 22.08.2020 के साथ संलग्न कर शासन को प्रेषित किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न)।

सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. GJ-4566 /A.S.Camp-27(S)/2019-20

Date: 07.01.2021

सेवा में,

विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।


विषय: बोर्ड अधिष्ठान में समूह 'ख' के समस्त पदों को उ० प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से भरे जाने हेतु बोर्ड की प्रख्यापित "उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा नियमावली, 1995" में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं०-868/81-6-2020-2(2)प्र०नि०/87, दिनांक-04.01.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के द्वारा प्रस्तावित नियमावली के आलेख्य में बांछित संशोधन पूर्ण कराते हुए संशोधित आलेख्य संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


-(अशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD NOTIFICATION

No...../55-Parya-6-2020 23(Parya)/977C

In exercise of the powers under Sub-Section (3A) of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act no. 6 of 1974) and under Sub-Section (4) of Section 14 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981), the Governor, after consultation with the prior approval of the Government is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service Regulation, 1995, regulating recruitment and the conditions of Service of persons appointed to the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service:-

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD (FIRST AMENDMENT) SERVICE REGULATION, 2020 Part-I-General

1. Short title and Commencement-

- i. These regulations may be called Uttar Pradesh Pollution Control Board (1st Amendment) Service Regulations, 2020.
 - ii. They shall come into force with effect from their publication in the official gazette.
2. In the Uttar Pradesh Pollution Control Board (1st Amendment) Service Regulations, 2020, herein after refer to as the said Rules, Rule-13,14,15, 16 and 17 set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be substituted namely.

Existing rule	Rules as here by substituted
<p>13. <u>Determination of Vacancies</u></p> <p>The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the Service and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Categories under Regulation-6. The vacancies to be filled by the appointing authorities in daily newspaper and in case of</p>	<p>13. <u>Determination of Vacancies</u></p> <p>The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the Service and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Categories under Regulation-6. The vacancies to be filled for the post of Group-B shall be intimated to U.P.Public Service</p>

<p>Group-C and Group-D, the post, vacancies shall also be notified in the employment exchange.</p>	<p>Commission and for Group-C post shall be intimated to U.P. Sub-Ordinate Public Service Commission. For Group-D post, call for interview such number of candidates who fulfill the requisite qualification as they consider proper.</p>
<p>14. <u>Constitution of the Selection Committee</u></p> <p>Recruitment to the various categories of post in the Service shall be made through the selection committee comprising :</p> <p>a) For Group-A and Group-B posts:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. appointing Authority; ii. one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government nominated by the Government; iii. one expert in the concerned subject nominated by the appointing authority; iv. Member Secretary of the Board: Provided that if the Selection Committee does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward castes, then an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member. <p>NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;</p> <p>b) for Group-C and Group-D posts</p> <ol style="list-style-type: none"> i. appointing authority ii. one officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes 	<p>14. <u>Constitution of the Selection Committee</u></p> <p>Recruitment to the various categories of post in the Service shall be made through the selection committee comprising :</p> <p>a) For Group-A and Group-B posts where source of recruitment is through promotion only:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. appointing Authority; ii. one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government nominated by the Government; iii. one expert in the concerned subject nominated by the appointing authority; iv. Member Secretary of the Board: Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward castes, then an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member. <p>NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;</p>

<p>nominated by the appointing authority.</p> <p>iii. one officer of the Board belonging to minority community nominated by appointing authority;</p> <p>iv. one officer of the Board belonging to Backward Classes nominated by appointing authority.</p> <p>NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;</p>	<p>b) for Group-C and Group-D posts</p> <p>i. appointing authority</p> <p>ii. <i>One officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes</i> nominated by the appointing authority.</p> <p>iii. One officer of the Board belonging to minority community nominated by appointing authority;</p> <p>iv. One officer of the Board belonging to Backward Classes nominated by appointing authority.</p> <p>NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;</p>
<p><u>15. Procedure for direct recruitment on the basis of interview</u></p> <p>1. The Selection Committee constituted under regulation 14 shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under regulation 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications as they consider proper.</p> <p>2. The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order to their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtained equal marks, the name of the persons senior in age shall be placed higher in the list. The name of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) the number of vacancies.</p>	<p><u>15.1 Procedure for direct recruitment on the basis of competitive exams (as per Government Directions prevailing from time to time)</u></p> <p>1. Application for being considered for selection for the Group-B post shall be called by the UP Public Service Commission in the form published in the advertisement issued by the UP Public Service Commission.</p> <p>2. Application for being considered for selection for the Group-C post shall be called by the UP Sub-Ordinate Public Service Commission in the form published in the advertisement issued by the UP Sub-Ordinate Public Service Commission.</p> <p>3. The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in</p>

The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

16. Procedure for direct recruitment through written competitive examination-

1. The Selection Committee constituted under regulation 14 shall scrutinize the applications and required the eligible candidate to appear in a competitive examination.
2. After the marks obtained by the candidate in the written examination have been tabulate, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under regulation 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination have, to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.
3. If two or more candidates obtained equal marks, the name of the persons senior in age shall be placed higher in the list. The name of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

accordance with Rule 6, call for competitive exams (as per Government Directions prevailing from time to time) such number of candidates who fulfilled the requisite qualifications, as they consider proper.

4. The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the competitive exams (as per Government Directions prevailing from time to time). If two or more candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

15.2 Procedure for recruitment by promotion for the posts in which direct appointment/ promotion through Commission is done

Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

17. Procedure for recruitment by promotion-

1. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under regulation 14.
2. The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection on the basis outside purview of the Public Service Commission). Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper:
Provided that where there are two or more feeding posts-
 - a) bearing different scales of pay the candidate holding the post bearing higher scale of pay shall be placed higher in the eligibility list:
 - b) bearing same scale pay, the names of the candidates on the basis of the records referred to sub-regulation (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.
3. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

17. Procedure for recruitment by promotion for the post except in which direct appointment/promotion through Uttar Pradesh Public Service Commission is done

1. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under regulation 14.
2. The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection on the basis outside purview of the Public Service Commission). Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper:
Provided that where there are two or more feeding posts-
 - a) bearing different scales of pay the candidate holding the post bearing higher scale of pay shall be placed higher in the eligibility list:
 - b) Bearing same scale pay, the names of the candidates on the basis of the records referred to sub-regulation (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.
3. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

**APPENDIX
(SEE REGULATIONS 13,14,15,16)**

Serial No.-9,13,22,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38 & 40 of appendix is amended as below:-

Sl. No.	Name of post	Numbered post			Status of the service	Scales of pay	Academic qualification	Age-limit		Source of recruitment	Appointing authority
		Perma- nent	Tempo- rary	Total				Min	Max		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9	Assistant Environmental Engineer	40	40	Group-B	Payband Rs.15600-39100 Grade pay 5400 Level-10	A Bachelor's Degree in Chemical Engineering/Chemical Technology/Civil Engineering/Environmental Engineering/Bio-Technology from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent there to	21	40	(i) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers who have completed ten years service on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended to time-to-time as such on the first day of the year of recruitment, provided that in the case of a person, who has obtained a Bachelors Degree in Chemical Engineering, Chemical Technology, Civil Engineering or Environmental Engineering, Bio-Technology from a University established by law in India or a qualification declared by the Government as	Chairman

13.	Assistant Scientific Officer	19	19	Group-B	Payband Rs.15600-39100 Grade pay 5400 Level-10	A Doctorate degree in Chemistry/Zoology, Botany/Bio-Chemistry from a University established by law in India or a qualification recognized by the government as equivalent thereto with three years experience in the field of environment/Pollution Control/Public Health. or A Master's Degree in Chemistry/Zoology/Botany/Bio-Chemistry from a University established by law in India or a qualification recognized by the government as equivalent thereto with five years experience in the field of Environment/ Pollution Control/Public Health.	21	40	(i) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Scientific Assistants who have completed ten years of service on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended to time-to-time as such on the first day of the year of recruitment. (ii) Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Public Service Commission.	Chairman
22.	Legal Assistant	8	8	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	(i) A Bachelor's Degree in Law from a University established by Law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. (ii) Three years experience as an Advocate/Vakil/Barrister/Attorney.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary

25.	Junior Engineer	69	69	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	A Diploma in Public Health/civil/Chemical/Environmental Engineering.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
28.	Scientific Assistant	37	37	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	A Master Degree in Zoology/Botany/Chemistry/Bio-Chemistry/Environmental Science from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.	21	40	1. Fifty percents by promotion from amongst substantively appointed Laboratory Assistants and Monitoring Assistants who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment. 2. Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission.	Member Secretary
29.	Accountants/Auditors	14	14	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	1. A Bachelor's Degree in Commerce with Accountancy as one of the subjects from a University established in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. 2. One years experience in the field of accountancy in a Government or Semi-Government organization.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission.	Member Secretary
30.	Stenographer	29	29	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	1. Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or an examination recognized by	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from	Member Secretary

31.	Librarian	...	01	01	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	(i) A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A Diploma in Library Science.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
32 (i).	Computer Operator, Grade-C	...	10	10	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6		21	40	By promotion from amongst substantially appointed Computer Operator, Grade-B who have completed 06 years service as such on first day of recruitment	Member Secretary
32 (ii).	Computer Operator, Grade-B	...	06	06	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2800 Level-5	(i) A Bachelor's Degree in science with Mathematics or Statistics as one of the Subjects from a University established By law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A six months diploma in computers.	21	40	i. Fifty percents by promotion from amongst substantively appointed Computer Operator, Grade-A who have completed 06 years service as such on the first day of the year of recruitment. ii. Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
32	Computer	12	12	Group-C	Payband	(i) A Bachelor's Degree in	21	40	By direct recruitment on	Member

(iii)	Operator, Grade-A								Rs.5200-20200 Grade pay 2400 Level-4	science with Mathematics or Statistics as one of the Subjects from a University established By law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A six months diploma in computers.			the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Secretary
33.	Receptionist	01	01	Group-C	01	01	01	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	(i) A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A Diploma in E.P.A.B.X. operation from an institution recognized by the Government or a qualification declared by the Government as equivalent thereto ; (iii) A good capability to write and speak Hindi and English languages.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
36.	Junior Assistant	61	61	Group-C	61	61	61	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2000 Level-3	Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto with a speed of 30 words per minute and 25 words per minute in Hindi and English Typewriting respectively and "CCC" certificate of DOEACC Society for computer operation.	18	40	(i) Fifteen percent by promotion from amongst to substantively appointed group "D" employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examinations recognized by the Government as equivalent thereto ;	Member Secretary

37.	Laboratory Assistant	33	33	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2	Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.	18	40	(iii) Five percent by promotion from amongst substantively appointed Group "D" Employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognized by the Government as equivalent thereto. iii. 80 percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
38.	Monitoring Assistant	32	32	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2	Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.	18	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary
40.1 6.	Electrician	01	01	Group-C	Payband Rs.5200-20200	(i) Intermediate Examination with Science	18	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Public Service Commission	Member Secretary

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद्

अधिसूचना

संख्या

लखनऊ : दिनांक

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (3-क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, रूल्स 1981) की धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकार की पूर्व अनुमति से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् (प्रथम संशोधन) सेवाविनियमावली, 2020

भाग-एक-सामान्य

1. i- यह विनियमावली उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2020 कही जाएगी। शक्ति का नाम और शरणा-
- ii- यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995 में दिये गये वर्तमान नियम 13, 14, 15, 16 एवं 17 के स्थान पर निम्न नियम 13, 14, 15, एवं 16 प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13	<p>शिक्षितों का अक्वार्ण- नियुक्ति प्राधिकारी बरस के दौरान मरी जाने वाली शिक्षितों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली शिक्षितों की संख्या भी अक्वार्णित करेगा। सीधी भर्तियों द्वारा मरी जाने वाली शिक्षितों की संख्या भी अक्वार्णित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा मरे जाने वाली शिक्षितों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और समूह 'ग' और 'घ' के पदों के मामले में शिक्षित सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी।</p>	<p>शिक्षितों का अक्वार्ण- नियुक्ति प्राधिकारी बरस के दौरान मरी जाने वाली शिक्षितों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अर्थार्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली शिक्षितों की संख्या भी अक्वार्णित करेगा। सीधी भर्तियों द्वारा मरी जाने वाली शिक्षितों की संख्या भी अक्वार्णित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा मरे जाने वाली शिक्षितों नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। समूह 'घ' के पदों के मामले में अहरकारी योग्यताधारी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।</p>
14-	<p>व्ययन समिति का गठन - सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती व्ययन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-</p> <p>(क) समूह 'क' और 'ख' पदोन्नति से मरे जाने वाली शिक्षितों के लिये -</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो;</p> <p>(तीन) सम्बन्धित विषय का एक विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;</p> <p>(चार) परिषद का सदस्य-सचिव;</p> <p>परन्तु -</p> <p>यदि इस प्रकार गठित व्ययन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका व्ययन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, को सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।</p>	<p>व्ययन समिति का गठन - सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती व्ययन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-</p> <p>(क) समूह 'क' और 'ख' पदोन्नति से मरे जाने वाली शिक्षितों के लिये -</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो;</p> <p>(तीन) सम्बन्धित विषय का एक विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;</p> <p>(चार) परिषद का सदस्य-सचिव;</p> <p>परन्तु -</p> <p>यदि इस प्रकार गठित व्ययन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका व्ययन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, को सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।</p>

<p>टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p> <p>(ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिये—</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा;</p> <p>(तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा;</p> <p>(चार) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा;</p> <p>टिप्पणी—ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p>	<p>टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p> <p>(ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिये—</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा;</p> <p>(तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा;</p> <p>(चार) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा;</p> <p>टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p>	<p>15-</p>
<p>15.1 प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) व आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा समूह "ख" के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र किये जाने के लिये उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशित किया जायेगा। 2. उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा समूह "ग" के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र किये जाने के लिये उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन फार्म प्रकाशित किया जायेगा। 3. आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने व 	<p>सामाजिक के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1)— विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को सामाजिक के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं, जैसा वह उचित समझे, पूरी करते हों।</p> <p>(2) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि सामाजिक ने प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या शिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पन्धस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकार को सूची अग्रसारित करेगी।</p>	<p>93</p>

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएँ, जैसा वह उचित समझे, पूरी करते हों।

4. आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रविणता के क्रम में जैसा कि प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

15.2-आयोग द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रक्रिया :-

पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उ0प्र0 पदोन्नति हेतु चयन लोक सेवा आयोग(प्रक्रिया)नियमावली,1970 के परामर्श से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जाने वाली सीधी भर्ती / पदोन्नति के रिक्तियों के सिवाय पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-

1.पदोन्नति द्वारा भर्ती, विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

2. नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति प्रात्रता सूची नियमावली,1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उसकी वरिष्ठ पंजिका और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। परंतु जहां दो या अधिक पेशक पद हों-

(क) विभिन्न वेतनमान वाले पदों की स्थिति में उच्चतर वेतनमान के पद वाले अभ्यर्थियों को

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(2) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध कर जिये जाने के पश्चात् चयन समिति, विनियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्वाचित स्तर तक पहुंच सकें हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगी।

और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उदपविनियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्योशता-क्रम में जैसी कि वह उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अगुसारित करेगी।

पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ख) समान वेतनमाल वाले पदों की स्थिति में अभ्यर्थियों के नाम, पात्रता सूची में उनके अपने-अपने पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।

(3) चयन समिति उदपविनियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्योशता-क्रम में जैसी कि वह उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अगुसारित करेगी।

आज्ञा से,

प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

परिशिष्ट के क्रम संख्या-9,13,22,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38 और 40 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या			सेवा की प्राप्ति	वेतनमान	शैक्षिक अर्हता	आयु		भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
		स्थाई	अस्थाई	योग				न्यूनतम	अधिकतम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	40	40	समूह "ख"	वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 लेगल-10	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से रसायन अभियंत्रिकी / रसायन प्राधोगिकी / सिविल अभियंत्रिकी / पर्यावरण अभियंत्रिकी / जैव-प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	21	40	1. पंचरास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उ०प्र० पदोन्नति हेतु चयन लोक सेवा आयोग(प्रक्रिया)नियमावली,1970 के परमर्श से की जायेगी। परंतु ऐसे व्यक्ति के मामले में जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से रसायन अभियंत्रिकी, रसायन प्राधोगिकी, सिविल अभियंत्रिकी, पर्यावरण अभियंत्रिकी, जैव-प्रौद्योगिकी में	अध्यक्ष

13	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	19	19	समूह "ख"	वेतन बैंड 15600-3910 0 ग्रेड पे-5400 लेवल-10	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/जंतु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में डाक्टरेट उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण/जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/जंतु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण/जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में पांच वर्ष का	21	40	<p>स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो सेवा की अपेक्षित अवधि पांच वर्ष होगी।</p> <p>2. पचास प्रतिशत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा</p>	अध्यक्ष
										<p>1. पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वैज्ञानिक सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उ0प्र0 पदोन्नति हेतु वयन लोक सेवा आयोग(प्रक्रिया)नियमावली,1970 के परमर्श से की जायेगी।</p> <p>2. पचास प्रतिशत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा</p>	

22	विधि सहायक	08	08	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	अनुभव। (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) एडवोकेट / वकील/ बैरिस्टर/ एटॉरनी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव
25	अवर अभियंता	69	69	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	जन स्वास्थ्य/सिविल/रसायन/पर्यावरण अभियंत्रिकी में डिप्लोमा।	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव
28	वैज्ञानिक सहायक	37	37	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/रसायन शास्त्र/जैव रसायनिकी/पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	21	40	1. पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों और अनुश्रवण सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, 2. पचास प्रतिशत उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव

29	लेखाधिकारी/लेखापरीक्षक	14	14	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । (2) किसी सरकारी या अर्धसरकारी संगठन में लेखाकर्म के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव
30	आशुलिपिक	29	29	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	(1) उ0प्र0 मासिक शिक्षा परिषद की इंटर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष सरकार द्वारा कोई परीक्षा । (2) हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति । (3) अंग्रेजी आशुलिपि में 60 शब्द प्रति मिनट की और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति ।	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव
31	पुरकालयाध्यक्ष	01	01	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-6	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव

32 (1)	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-सी	10	10	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-06	(2) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।	21	40	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा।	सदस्य सचिव
32 (2)	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी	06	06	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 लेवल-5	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कोई एक विषय के रूप में गणित या संख्यिकी के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। । (2) कम्प्यूटर में छः मास का डिप्लोमा।	21	40	1. पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो. 2. पचास प्रतिशत उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव
32 (3)	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	12	12	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 लेवल-4	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कोई एक विषय के रूप में गणित या संख्यिकी के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। । (2) कम्प्यूटर में छः मास का डिप्लोमा।	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव

33	रिसेचान्ट / स्वागती	01	01	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-06	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ई0पी0ए0बी0एक्स0 संचालन में डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता । (तीन) हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं को लिखने और बोलने की अच्छी क्षमता ।	21	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
36	कनिष्ठ सहायक	61	61	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2000 लेवल-03	1) उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इन्टर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष सरकार द्वारा कोई परीक्षा के साथ हिन्दी और अंग्रेजी में क्रमशः 30 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति एवं ड्योएक/डीओई/एसीसी) सोसायइटी द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन का 'सीसीसी' प्रमाण पत्र ।	18	40	(1) पन्द्रह प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त समूह "घ" कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षाया सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा। (2) पाँच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त समूह "घ"	सदस्य सचिव

37	प्रयोगशाला सहायक	33	33	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-02	माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा	18	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
38	अनुश्रवण सहायक	32	32	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-02	माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।	18	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
40	इलेक्ट्रिशियन	01	01	समूह	वेतन बैंड	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा	18	40	उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव

कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा।

(3) अस्सी प्रतिशत उ0प्र0 अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No.

/ए0एस0 कैम्प-27(स)/2028-21

Date: 7-4-21

सेवा में,

विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।


विषय: बोर्ड अधिष्ठान में समूह 'ख' के समस्त पदों को उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से भरे जाने हेतु बोर्ड की प्रख्यापित "उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995" में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0-22/81-6-2021-02(02)/प्र0नि0/87, दिनांक-22.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अपेक्षानुसार उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2021 का संशोधित अंग्रेजी आलेख्य एवं हिंदी आलेख्य की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

**THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
NOTIFICATION**

No...../55-Parya-6-2020 23(Parya)/97TC

In exercise of the powers under Sub-Section (3A) of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act no. 6 of 1974) and under Sub-Section (4) of Section 14 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981), the Governor, after consultation with the prior approval of the Government is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service Regulation, 1995, regulating recruitment and the conditions of Service of persons appointed to the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service:-

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD (FIRST AMENDMENT) SERVICE REGULATION, 2020
Part-I-General

1. Short title and Commencement-

- i. These regulations may be called Uttar Pradesh Pollution Control Board (1st Amendment) Service Regulations, 2020.
 - ii. They shall come into force with effect from their publication in the official gazette.
2. In the Uttar Pradesh Pollution Control Board (1st Amendment) Service Regulations, 2020, herein after refer to as the said Rules, Rule-13,14,15, 16 and 17 set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be substituted namely:

Existing rule	Rules as here by substituted
<p>13. Determination of Vacancies The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the Service and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Categories under Regulation-6. The vacancies to be filled by the direct recruitment shall be advertised by the appointing authorities in daily newspaper and in case of Group-C and Group-D, the post, vacancies shall also be notified in the employment exchange.</p>	<p>13. Determination of Vacancies The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the Service and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Categories under Regulation-6. The vacancies to be filled for the post of Group-B shall be intimated to U.P.Public Service Commission and for Group-C post shall be intimated to U.P. Sub-Ordinate Service Commission. For Group-D post, call for interview such number of candidates who fulfill the requisite qualification as</p>

MM

they consider proper.

14. Constitution of the Selection Committee

Recruitment to the various categories of post in the Service shall be made through the selection committee comprising :

- a) For Group-A and Group-B posts:
 - i. appointing Authority;
 - ii. one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government;
 - iii. one expert in the concerned subject nominated by the appointing authority;
 - iv. Member Secretary of the Board: Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward classes, then an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member.

NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;

- b) for Group-C and Group-D posts
 - i. appointing authority
 - ii. one officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes nominated by the appointing authority.
 - iii. one officer of the Board belonging to minority community nominated by appointing authority;
 - iv. one officer of the Board belonging to

14. Constitution of the Selection Committee

Recruitment to the various categories of post in the Service shall be made through the selection committee comprising :

- a) For Group-A and Group-B posts where source of recruitment is through promotion only:
 - i. appointing Authority;
 - ii. one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government nominated by the Government;
 - iii. one expert in the concerned subject nominated by the appointing authority;
 - iv. Member Secretary of the Board: Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward classes, then an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member.

NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;

- b) for Group-C and Group-D posts
 - i. appointing authority
 - ii. One officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes nominated by the appointing authority.

<p>Backward Classes nominated by appointing authority.</p> <p>NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;</p>	<p>iii. One officer of the Board belonging to minority community nominated by appointing authority;</p> <p>iv. One officer of the Board belonging to Backward Classes nominated by appointing authority.</p> <p>NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;</p>
<p><u>15. Procedure for direct recruitment on the basis of interview</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Selection Committee constituted under regulation 14 shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under regulation 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications as they consider proper. 2. The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order to their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtained equal marks, the name of the persons senior in age shall be placed higher in the list. The name of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) the number of vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority. 	<p><u>15.1 Procedure for direct recruitment on the basis of competitive exams (as per Government Directions prevailing from time to time)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Application for being considered for selection for the Group-B post shall be called by the UP Public Service Commission in the form published in the advertisement issued by the UP Public Service Commission. 2. Application for being considered for selection for the Group-C post shall be called by the UP Sub-Ordinate Service Commission in the form published in the advertisement issued by the UP Sub-Ordinate Service Commission. 3. The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with Rule 6, call for competitive exams (as per Government Directions prevailing from time to time) such number of candidates who fulfilled the requisite qualifications, as they consider proper. 4. The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as
<p><u>16. Procedure for direct recruitment through written competitive examination-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Selection Committee constituted under regulation 14 shall scrutinize the applications and 	<p><i>Mh</i></p>

required the eligible candidate to appear in a comparative examination.

2. After the marks obtained by the candidate in the written examination have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under regulation 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination have, to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

3. If two or more candidates obtained equal marks, the name of the persons senior in age shall be placed higher in the list. The name of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

17. Procedure for recruitment by promotion-

1. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under regulation 14.

2. The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection on the basis outside purview of the Public Service Commission). Eligibility List Rules,

disclosed by the marks obtained by each candidate in the competitive exams (as per Government Directions prevailing from time to time). If two or more candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

15.2 Procedure for recruitment by promotion for the posts in which direct appointment/ promotion through Commission is done

Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

17. Procedure for recruitment by promotion for the post except in which direct appointment/ promotion through Uttar Pradesh Public Service Commission is done

1. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under regulation 14.

2. The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order

M

1986 as amended from time to time and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper:
 Provided that where there are two or more feeding posts-

- a) bearing different scales of pay the candidate holding the post bearing higher scale of pay shall be placed higher in the eligibility list:
- b) bearing same scale pay, the names of the candidates on the basis of the records referred to sub-regulation (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

3. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

of seniority in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection on the basis outside purview of the Public Service Commission). Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper:

Provided that where there are two or more feeding posts-

- a) bearing different scales of pay the candidate holding the post bearing higher scale of pay shall be placed higher in the eligibility list:
- b) Bearing same scale pay, the names of the candidates on the basis of the records referred to sub-regulation (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

3. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.



By Order

Principal Secretary

APPENDIX
(SEE REGULATIONS 13,14,15,16)

Serial No.-9,13,14,22,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39 & 40 of appendix is amended as below:-

Sl. No.	Name of post	Numbered post			Status of the service	Scales of pay	Academic qualification	Age-limit		Source of recruitment	Appointing authority
		Permanent	Temporary	Total				Min	Max		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	Assistant Environmental Engineer	49	49	Group-B	Payband Rs.15600-39100 Grade pay 5400 Level-10	A Bachelor's Degree in Chemical Engineering/Chemical Technology/Civil Engineering/Environmental Engineering/Bio-Technology from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent there to	21	40	(i) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers who have completed ten years service on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended to time-to-time as such on the first day of the year of recruitment, provided that in the case of a person, who has obtained a Bachelors Degree in Chemical Engineering, Chemical Technology, Civil Engineering or Environmental Engineering, Bio-Technology from a University established by law in India or a	Chairman

										qualification declared by the Government as equivalent thereto the requisite length of service shall be five years. (ii) Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Public Service Commission.	Chairman
13.	Assistant Scientific Officer	28	28	Group-B	Payband Rs.15600-39100 Grade pay 5400 Level-10	A Doctorate degree in Chemistry/Zoology, Botany/Bio-Chemistry from a University established by law in India or a qualification recognized by the government as equivalent thereto with three years experience in the field of environment/Pollution Control/Public Health. or A Master's Degree in Chemistry/Zoology/Botany/Bio-Chemistry from a University established by law in India or a qualification recognized by the government as equivalent thereto with five years experience in the field of Environment/ Pollution Control/Public Health.	21	40	(i) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Scientific Assistants who have completed ten years of service on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended to time-to-time as such on the first day of the year of recruitment. (ii) Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Public Service Commission.	Chairman
14.	Public Relation Officer	01	01	Group-B	Payband Rs.15600-39100 Grade pay 5400 Level-10	(1) A Bachelors Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Public Service Commission.	Chairman

NWC

									Service Commission	Member Secretary	
22.	Legal Assistant	5	5	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	(i) A Bachelor's Degree in Law from a University established by Law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.. (ii) Three years experience as Advocate/Vakil/Barrister/Attorney.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
25.	Junior Engineer	69	69	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	A Diploma in Public Health/civil/Chemical/Environmental Engineering.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
28.	Scientific Assistant	55	55	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	A Master, Degree in Zoology/Botany/Chemistry/Bio-Chemistry/Environmental Science from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.	21	40	1. Fifty percents by promotion from amongst substantively appointed Laboratory Assistants and Monitoring Assistants who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment. 2. Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission.	Member Secretary
29.	Accountants/Auditors	23	23	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay	1. A Bachelor's Degree in Commerce with Accountancy as one of the	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive	Member Secretary

11/12

						4200 Level-6	subjects from a University established in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. 2. One years experience in the field of accountancy in a Government or Semi-Government organization.	21			exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
30.	Stenographer	29	29	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	1. Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or an examination recognized by the government as equivalent thereto ; 2. A speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and 30 words per minute in Hindi Type writing. 3. A speed of 60 words per minute in English shorthand and 25 words per minute in English Type writing.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary	
31.	Librarian	01	01	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	(i) A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A Diploma in Library Science.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary	
32 (i).	Computer Operator, Grade-B	06	06	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2800 Level-5	(i) A Bachelor's Degree with Diploma in Computer Science from a institution / University established By law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; or Bachelor's Degree with "O"	21	40	i. Fifty percents by promotion from amongst substantively appointed Computer Operator, Grade-A who have completed 06 years service as such on the first day of the year of recruitment. ii. Fifty percent by direct	Member Secretary	

NWS

								level from D.O.E. (ii) Good knowledge of Hindi/English Data Entry in MS Office/Lotus/Smart suit etc. different softwares in Docs/Unix/Windows/Medium (iii) Exposure of networking in novel and window N.T. medium, and (iv) Typing speed of 25 wpm in Hindi and 40 wpm in English.					recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
32	Computer Operator, Grade-A	12	12	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2400 Level-4		(i) Intermediate examination of the Board of High School and intermediate education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto with Diploma in Computer Science from recognized institute/University or "O" level certificate from D.O.E. (ii) Good knowledge of Hindi/English Data Entry in MS Office/Lotus/Smart suit etc. different softwares in Docs/Unix/Windows/Medium (iii) Exposure of networking in novel and window N.T. medium.	21	40		By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary	
33..	Receptionist	01	01	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6		(i) A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ;	21	40		By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary	

R.W.

				<p>(ii) One month training certificate in Tele-Communication from Tele-Communication Department, Govt. of India, or one month experience of operation of E.P.A.B.X. from an institution recognized by the Government or a qualification declared by the Government as equivalent thereto ;</p> <p>(iii) A good capability to write and speak Hindi and English languages.</p>	18	40	<p>(i) Fifteen percent by promotion from amongst to substantively appointed group "D" employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examinations recognized by the Government as equivalent thereto ;</p> <p>(ii) Five percent by promotion from amongst substantively appointed Group "D" Employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed Intermediate Examination of the Board</p>	Member Secretary			
36.	Junior Assistant	69	69	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2000 Level-3						

N.M.

<p>of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognized by the Government as equivalent thereto. iii. 80 percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission</p>																		<p>Member Secretary</p>
<p>By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission</p>	40	18	<p>Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.</p>	<p>Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.</p>	<p>Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2</p>	Group-C	39	39										<p>Member Secretary</p>
<p>By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission</p>	40	18	<p>Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.</p>	<p>Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.</p>	<p>Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2</p>	Group-C	49	49										<p>Member Secretary</p>
<p>By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission</p>	40	18	<p>According to provisions of eligibility/selection process as per Uttar Pradesh State Govt. Driver Service (3rd Amendment) Rule, 2011- 1. 80% posts to be filled by direct recruitment, eligibility for direct recruitment: (i) Class-VIII or equivalent examination (ii) License to drive light or heavy vehicles with three</p>	<p>According to provisions of eligibility/selection process as per Uttar Pradesh State Govt. Driver Service (3rd Amendment) Rule, 2011- 1. 80% posts to be filled by direct recruitment, eligibility for direct recruitment: (i) Class-VIII or equivalent examination (ii) License to drive light or heavy vehicles with three</p>	<p>Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2</p>	Group-C	08	08										<p>Member Secretary</p>

NW

40.	Electrician	01	01	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2	years experience of driving heavy and light vehicles. (i) Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto. (ii) I.T.I. certificate for Electrician ; (iii) License of wireman from the government.	18	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
-----	-------------	------	----	----	---------	--	--	----	----	--	------------------

NLN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद
अधिसूचना

संख्या

लखनऊ : दिनांक

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन 1974) की धारा 12 की उपधारा (3-क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, कलम्ब 1981) की धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल विचार-विमर्श के बाद सरकार की पूर्व अनुमति से परिषद, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों की विनियमित करने के लिए सहर्ष निम्नलिखित संशोधित विनियमावली बनाती है:-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2021
भाग-एक-सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- i. यह विनियमावली उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2021 कही जाएगी।
- ii. यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2021 के नियम-13, 14, 15, 16 व 17 के निम्नलिखित कॉलम-1को कॉलम-2 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा।

वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
<p>13- शक्तियों की अवधारणा-</p> <p>नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली शक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाने वाली शक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली शक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली शक्तियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाएगी और समूह 'ग' और 'घ' के पदों के मामले में शक्तियों सेवायोजन कार्यलय की अधिसूचित की जाएगी।</p>	<p>13-शक्तियों की अवधारणा-</p> <p>नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली शक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाने वाली शक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली शक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। समूह 'ख' के पदों की शक्तियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा समूह 'ग' के पदों की शक्तियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को अधिसूचित करेगा। समूह 'घ' के पदों के मामले में अर्हकारी योग्यताधारी को सहायकार हेतु आगन्तित किया जाएगा।</p>
<p>14-चयन समिति का गठन -</p> <p>सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-</p> <p>(क) समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों के लिये-</p>	<p>14-चयन समिति का गठन -</p> <p>सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-</p> <p>(क) समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों के लिये-</p>

Handwritten signature

<p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी; (दो) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो; (तीन) सम्बन्धित विषय का एक विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा; (चार) परिषद का सदस्य-सचिव; परन्तु— यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, को सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा। (ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिये— (एक) नियुक्ति प्राधिकारी; (दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा; (तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा; (चार) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा; टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p>	<p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी; (दो) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो; (तीन) सम्बन्धित विषय का एक विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा; (चार) परिषद का सदस्य-सचिव; परन्तु— यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, को सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा। (ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिये— (एक) नियुक्ति प्राधिकारी; (दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा; (तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा; (चार) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा; टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p>
<p>15.1 प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) :- 1. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा समूह "ख" के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र किये जाने के लिये उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन फॉर्म प्रकाशित किया जायेगा। 2. उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह "ग" के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र किये जाने के लिये उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन फॉर्म प्रकाशित किया जायेगा। 3. आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी</p>	<p>15-साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया— (1) विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं, जैसा वह उचित समझे, पूरी करते हों। (2) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता अथवा अनुभव में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकार को सूची अग्रसारित करेगी।</p>

NLM

<p>संख्या में अम्बार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं, जैसा वह उचित समझे, पूरी करले हो।</p> <p>4. आयोग अम्बार्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) में प्रत्येक अम्बार्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अम्बार्थी समान अंक प्राप्त करे तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या शिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अप्रसारित करेगा।</p>	<p>16-साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया-</p> <p>(1)- विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अम्बार्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अम्बार्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं, जैसा वह उचित समझे, पूरी करले हो।</p> <p>(2) चयन समिति अम्बार्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अम्बार्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अम्बार्थी समान अंक प्राप्त करे तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या शिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकार को सूची अप्रसारित करेगी।</p>
<p>15.2- ऐसे पद जिनमें सीधी भर्ती/पदोन्नति आयोग द्वारा की जानी हो, में भर्ती के लिए पदोन्नति हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया-</p> <p>पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उOप्रO पदोन्नति द्वारा चयन लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के परामर्श से की जायेगी।</p>	<p>लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अम्बार्थियों से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।</p> <p>(2) लिखित परीक्षा में अम्बार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध कर लिये जाने के परवर्ष चयन समिति, विनियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अम्बार्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अम्बार्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सकें हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अम्बार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।</p> <p>(3) चयन समिति अम्बार्थियों की उनकी श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अम्बार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अम्बार्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करले वाले अम्बार्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या शिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अप्रसारित करेगी।</p>
<p>17-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जाने वाली सीधी भर्ती/पदोन्नति के शिक्तियों के शिवाय पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-</p> <p>1. पदोन्नति द्वारा भर्ती, विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के</p>	<p>17-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-</p> <p>1. पदोन्नति द्वारा भर्ती, विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।</p>

NW

<p>2. नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूचिया समय-समय पर यथासंशोधित 30720 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर बयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजिका और उनसे संबंधित ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत जहाँ दो या अधिक पक्षक पद हों—</p> <p>(क) विभिन्न वेतनमान वाले पदों की स्थिति में उच्चतर वेतनमान के पद वाले अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।</p> <p>(ख) सामान वेतनमाल वाले पदों की स्थिति में अभ्यर्थियों के नाम, पात्रता सूची में उनके अपने-अपने पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।</p> <p>3. चयन समिति उपविनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मानकों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।</p> <p>4. चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में जैसी कि उस संदर्भ में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।</p>	<p>माध्यम से, अनुपयुक्ता को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेंगी।</p> <p>2. नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूचिया समय-समय पर यथासंशोधित 30720 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर बयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजिका और उनसे संबंधित ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।</p> <p>3. चयन समिति उपविनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।</p> <p>4. चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में जैसी कि वह उस संदर्भ में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।</p>
--	--

आशा से,

प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

(विनियम 13,14,15,16 देखें)

परिशिष्ट के क्रम संख्या-9,13,14,22,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39 & 40 में निम्नवत् संशोधन किया गया

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या			सेवा की श्रेणी	केलमफल	शैक्षिक अर्जन	आयु सीमा		भर्ती का स्तर	नियुक्ति प्राधिकारी
		स्थान	अस्थान	शेष				न्यूनतम	अधिकतम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	---	49	49	समूह "ख"	वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे- 5400 लेबल -10	भारत में किछि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन अभियांत्रिकी/रसायन प्रौद्योगिकी/सिविल अभियांत्रिकी/पर्यावरण अभियांत्रिकी/जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक उत्पत्ति या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	21	40	(1) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त उप सहायक पर्यावरण अभियन्ता (अवर अभियन्ता) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उ090 पदोन्नति द्वारा चयन लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के परामर्श से एव, (2) 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीपी भर्ती द्वारा।	अध्यक्ष
13	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	---	28	28	समूह "ख"	वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 लेवल-10	भारत में किछि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी/लाइफ साइंसेज/प्लांट साइंसेज/पर्यावरण विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/	21	40	(1) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वैज्ञानिक सहायक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उ090	अध्यक्ष

N/A

	<p>शब्द प्रति मिनट की औसत अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति तथा कम्प्यूटर संचालन का (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सीसीसीओ प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र।</p>	<p>40</p>	<p>उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>सदस्य सचिव</p>
<p>31</p>	<p>पुरतकाल्याह वष</p>	<p>21</p>	<p>40</p>	<p>सदस्य सचिव</p>
<p>32.1</p>	<p>कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी</p>	<p>21</p>	<p>40</p>	<p>सदस्य सचिव</p>
<p>32.2</p>	<p>कम्प्यूटर</p>	<p>18</p>	<p>40</p>	<p>उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन</p>

NM

(1) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छ. वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो. पदोन्नति द्वारा।
 (2) 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड अर्हता,
 (2) पुरतकाल्य विज्ञान में डिप्लोमा।
 (1) मान्यता प्राप्त संस्था/विश्व विद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ स्नातक उपाधि।
 या
 डीओआईओ से औ स्तर के प्रमाण पत्र सहित स्नातक उपाधि।
 (2) डॉलर/यूनिक्स/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एणोएसओ ऑफिस/नोटस/स्मार्ट सूट आदि जैसे विन्-विन् सॉफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा एन्ट्री का अच्छा ज्ञान।
 (3) नौबल और विन्डो एनएडीओ क्रोस नेट वर्किंग वातावरण का एक्सपोजर।
 (4) हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम-से-कम कुशल: 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।
 (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक

वेतन बैंड

रामूह

12 12

वेतन बैंड

<p>आपरेटर वेतन-ए</p>	<p>वेतन-ए</p>	<p>वेतन-ए 9300-34800 शेड पे-4200 नेवल-06</p>	<p>1</p>	<p>प्रयोग - समस्या - परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान में 'ओ' स्तर का डीग्री/ओडि से 'ओ' स्तर का प्रमाण-पत्र। (2) डास/यूनिक्स/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यवाही वातावरण में एमएसओ ऑफिस/लोटस/ स्पार्ट सूट आदि जैसे मिन-मिन साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी डाटा एन्ट्री का अच्छा ज्ञान। (3) नेवल और विन्डोज ऐप्ली जैसे नेट वर्किंग वातावरण का एक्सपोजर।</p>	<p>18</p>	<p>उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>सदस्य सचिव</p>
<p>33</p>	<p>रिसोर्षानिस्ट (स्वायत्ती)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>(1) भारत में किंवा द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता (2) दूर संस्कार विभाग, भारत सरकार अधिभागीय दूरभाष प्रचालक का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कम से कम एक माह की अधि का प्रमाण पत्र अथवा सरकार या संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 3000/0000/0 एक्सओ संवाहन का कम से कम एक माह का विश्वविद्यालय/प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य कोई अर्हता। (3) हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं को लिखने और बोलने की अच्छी क्षमता।</p>	<p>40</p>	<p>उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>सदस्य सचिव</p>

Alh

36	कनिष्ठ सहायक	69	69	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2000 लेवल-03	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा के साथ हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 35 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति तथा कंप्यूटर संवालन का डोबक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदात सौखीनशील प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र	18	40	80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा। (2) 20 प्रतिशत मौखिक रूप से नियुक्त समूह "घ" कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा	सदस्य सचिव
37	प्रयोगशाला सहायक	39	39	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-02	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा	18	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
38	अनुअवधि सहायक	49	49	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-02	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।	18	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
39	गहन चालक ग्रेड-4	08	08	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-02	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (पृथीय संसोधन) नियमावली 2011 में निर्धारित अर्हता / भर्ती की प्रक्रिया के आधार पर एक- (1) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के अर्हताये	18	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव

40	इलेक्ट्रिशियन	01	01	वैतन ग्रेड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-02	समूह 'ग'	वैतन ग्रेड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-02	(i) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था आतवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और (ii) यथा स्थिति मांरी यास इसके जाहन चलाने का वेस इाडविंग लाइसेन्स सम्बन्धित रिक्त के अधिसूचित किने जाने के दिनांक से पूर्व से 03 वर्ष से अनन्तुल अवधि का सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हों।	18	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
----	---------------	----	----	---	----------	---	--	----	----	---	------------

1/1/11



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No.

639766 /एनएनएम-27(न)/2019-21

Date:

22-12-22

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6,
उ० प्र० शासन,
लखनऊ।

विषय: बोर्ड अधिष्ठान में समूह 'ख' के समस्त पदों को उ० प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से भरे जाने हेतु बोर्ड की प्रख्यापित "उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियामवली, 1995" में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं०-1155/81-6-2022-02(02)/प्र०नि०/87, दिनांक-08.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अपेक्षानुसार उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (प्रथम संशोधन) सेवा विनियामवली, 2021 का संशोधित अंग्रेजी आलेख्य एव हिंदी आलेख्य की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD NOTIFICATION

No...../55-Parya-6-2020 23(Parya)/97TC

In exercise of the powers under Sub-Section (3A) of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act no. 6 of 1974) and under Sub-Section (4) of Section 14 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981), the Governor, after consultation with the prior approval of the Government is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service Regulation, 1995, regulating recruitment and the conditions of Service of persons appointed to the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service:-

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD (FIRST AMENDMENT) SERVICE REGULATION, 2021 Part-I-General

I. Short title and Commencement-

- i. These regulations may be called Uttar Pradesh Pollution Control Board (1st Amendment) Service Regulations, 2021.
 - ii. They shall come into force with effect from their publication in the official gazette.
2. In the Uttar Pradesh Pollution Control Board (1st Amendment) Service Regulations, 2021, herein after refer to as the said Rules, Rule-13,14,15, 16 and 17 set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be substituted namely.

Existing rule	Rules as here by substituted
<p>13. Determination of Vacancies The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the Service and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Tribes and Other Categories under Regulation-6. The vacancies to be filled by the appointing authorities in daily newspaper and in case of Group-C and Group-D, the post, vacancies shall also be notified in the employment exchange.</p>	<p>13. Determination of Vacancies The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the Service and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Categories under Regulation-6. The vacancies to be filled for the post of Group-B shall be intimated to U.P.Public Service Commission and for Group-C & Group-D post shall be intimated to U.P. Sub-Ordinate Service Commission.</p>

14. Constitution of the Selection Committee

Recruitment to the various categories of post in the Service shall be made through the selection committee comprising :

- a) For Group-A and Group-B posts:
 - i. appointing Authority;
 - ii. one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government nominated by the appointing authority;
 - iii. one expert in the concerned subject nominated by the appointing authority;
 - iv. Member Secretary of the Board: Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward classes, then an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member.

NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;

- b) for Group-C and Group-D posts
 - i. appointing authority
 - ii. one officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes nominated by the appointing authority.
 - iii. one officer of the Board belonging to minority community nominated by appointing authority;
 - iv. one officer of the Board belonging to Backward Classes nominated by appointing authority.

14. Constitution of the Selection Committee

Recruitment to the various categories of post in the Service shall be made through the selection committee comprising :

- a) For Group-A and Group-B posts where source of recruitment is through promotion only:
 - i. appointing Authority;
 - ii. one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government nominated by the Government;
 - iii. one expert in the concerned subject nominated by the appointing authority;
 - iv. Member Secretary of the Board: Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward classes, then an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member.

NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;

- b) for Group-C and Group-D posts
 - i. appointing authority
 - ii. One officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes nominated by the appointing authority.
 - iii. One officer of the Board belonging to minority community nominated by

NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;

iv. appointing authority;
One officer of the Board belonging to Backward Classes nominated by appointing authority.

NOTE: The senior most officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;

15. Procedure for direct recruitment on the basis of interview

1. The Selection Committee constituted under regulation 14 shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under regulation 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications as they consider proper.

2. The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order to their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtained equal marks, the name of the persons senior in age shall be placed higher in the list. The name of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) the number of vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

16. Procedure for direct recruitment through written competitive examination-

1. The Selection Committee constituted under regulation 14 shall scrutinize the applications and required the eligible candidate to appear in a competitive examination.

15.1 Procedure for direct recruitment on the basis of competitive exams (as per Government Directions prevailing from time to time)

1. Application for being considered for selection for the Group-B post shall be called by the UP Public Service Commission in the form published in the advertisement issued by the UP Public Service Commission.

2. Application for being considered for selection for the Group-C post shall be called by the I/P Sub-Ordinate Service Commission in the form published in the advertisement issued by the UP Sub-Ordinate Service Commission.

3. The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with Rule 6, call for competitive exams (as per Government Directions prevailing from time to time) such number of candidates who fulfilled the requisite qualifications, as they consider proper.

4. The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the competitive exams (as per

2. After the marks obtained by the candidate in the written examination have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under regulation 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination have, to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.
3. If two or more candidates obtained equal marks, the name of the persons senior in age shall be placed higher in the list. The name of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

17. Procedure for recruitment by promotion-

1. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under regulation 14.
2. The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection on the basis outside purview of the Public Service Commission). Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time and place it before the Selection Committee along with their

Government Directions prevailing from time to time). If two or more candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

15.2 Procedure for recruitment by promotion for the posts in which direct appointment/ promotion through Commission is done

Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

17. Procedure for recruitment by promotion for the post except in which direct appointment/ promotion through Uttar Pradesh Public Service Commission is done

1. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under regulation 14.
2. The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection on the basis outside

character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper:

Provided that where there are two or more feeding posts-

- a) bearing different scales of pay the candidate holding the post bearing higher scale of pay shall be placed higher in the eligibility list:
- b) bearing same scale pay, the names of the candidates on the basis of the records referred to sub-regulation (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

3. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

purview of the Public Service Commission). Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper:

Provided that where there are two or more feeding posts-

- a) bearing different scales of pay the candidate holding the post bearing higher scale of pay shall be placed higher in the eligibility list:
- b) Bearing same scale pay, the names of the candidates on the basis of the records referred to sub-regulation (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

3. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

By Order

Principal Secretary

APPENDIX
(SEE REGULATIONS 13,14,15,16)

Serial No.-9,13,14,22,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39 & 40 of appendix is amended as below:-

Sl. No.	Name of post	Numbered post			Status of the service	Scales of pay	Academic qualification	Age-limit		Source of recruitment	Appointing authority
		Perma- nent	Tempo- rary	Total				Min	Max		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	Assistant Environmental Engineer	49	49	Group-B	Payband Rs.15600-39100 Grade pay 5400 Level-10	A Bachelor's Degree in Chemical Engineering/Chemical Technology/Civil Engineering/Environmental Engineering/Bio-Technology from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent there to	21	40	(i) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers who have completed ten years service on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended to time-to-time as such on the first day of the year of recruitment, provided that in the case of a person, who has obtained a Bachelors Degree in Chemical Engineering, Chemical Technology, Civil Engineering or Environmental Engineering, Bio-Technology from a University established by law in India or a qualification declared by the Government as equivalent thereto the	Chairman

				<p>requisite length of service shall be five years.</p> <p>(ii) Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Public Service Commission.</p>	<p>Chairman</p>		
<p>13.</p>	<p>Assistant Scientific Officer</p>	<p>28</p> <p>....</p> <p>28</p>	<p>Group-B</p> <p>Payband Rs.15600-39100 Grade pay 5400 Level-10</p>	<p>A Doctorate degree in Chemistry/Zoology, Botany/Bio-Chemistry from a University established by law in India or a qualification recognized by the government as equivalent thereto with three years experience in the field of environment/Pollution Control/Public Health.</p> <p>or</p> <p>A Master's Degree in Chemistry/Zoology/Botany/Bio-Chemistry from a University established by law in India or a qualification recognized by the government as equivalent thereto with five years experience in the field of Environment/ Pollution Control/Public Health.</p>	<p>21</p> <p>40</p>	<p>(i) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Scientific Assistants who have completed ten years of service on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended to time-to-time as such on the first day of the year of recruitment.</p> <p>(ii) Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Public Service Commission</p>	<p>Chairman</p>
<p>14.</p>	<p>Public Relation Officer</p>	<p>01</p> <p>....</p> <p>01</p>	<p>Group-B</p> <p>Payband Rs.15600-39100 Grade pay 5400 Level-10</p>	<p>By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Public Service Commission</p>	<p>40</p>	<p>Chairman</p>	

22.	Legal Assistant	5	5	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	(i) A Bachelor's Degree in Law from a University established by Law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. (ii) Three years experience as Advocate/Vakil/Barrister/Attorney.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
25.	Junior Engineer	69	69	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	A Diploma in Public Health/Civil/Chemical/Environmental Engineering.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
28.	Scientific Assistant	55	55	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	A Master, Degree in Zoology/Botany/Chemistry/Bio-Chemistry/Environmental Science from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.	21	40	1. Fifty percents by promotion from amongst substantively appointed Laboratory Assistants and Monitoring Assistants who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment. 2. Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission.	Member Secretary
29.	Accountants/Auditors	23	23	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	1 A Bachelor's Degree in Commerce with Accountancy as one of the subjects from a University established in India or a qualification recognized by	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission.	Member Secretary

											Ordinate Commission	Service	
30.	Stenographer	----	29	29	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	1. Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or an examination recognized by the government as equivalent thereto ; 2. A speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and 30 words per minute in Hindi Type writing. 3. A speed of 60 words per minute in English shorthand and 25 words per minute in English Type writing.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary		
31.	Librarian	----	01	01	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	(i) A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; (ii) A Diploma in Library Science.	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary		
32 (i).	Computer Operator, Grade-B	---	06	06	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2800 Level-5	(i) A Bachelor's Degree with Diploma in Computer Science from a institution / University established By law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ; or Bachelor's Degree with "O" level from D.O.E. (ii) Good knowledge of	21	40	I. Fifty percents by promotion from amongst substantively appointed Computer Operator, Grade-A who have completed 06 years service as such on the first day of the year of recruitment. ii. Fifty percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions	Member Secretary		

32 (II).	Computer Operator, Grade-A	12	12	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2400 Level-4	<p>Hindi/English Data Entry in MS Office/Lotus/Smart suit etc. different softwares in Docs/Unix/Windows/Mediu m</p> <p>(iii) Exposure of networking in novel and window N.T. medium, and</p> <p>(iv) Typing speed of 25 wpm in Hindi and 40 wpm in English.</p> <p>(i) Intermediate examination of the Board of High School and intermediate education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto with Diploma in Computer Science from recognized institute/University or "O" level certificate from D.O.E.</p> <p>(ii) Good knowledge of Hindi/English Data Entry in MS Office/Lotus/Smart suit etc. different softwares in Docs/Unix/Windows/Mediu m</p> <p>(iii) Exposure of networking in novel and window N.T. medium,</p> <p>(i) A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ;</p> <p>(ii) One month training certificate in Tele-Communication from Tele-</p>	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
33..	Receptionist	01	01	Group-C	Payband Rs.9300-34800 Grade pay 4200 Level-6	<p>(ii) Exposure of networking in novel and window N.T. medium,</p> <p>(i) A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto ;</p> <p>(ii) One month training certificate in Tele-Communication from Tele-</p>	21	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary

36.	Junior Assistant	69	69	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 2000 Level-3	<p>Communication Department, Govt. of India, or one month experience of operation of E.P.A.B.X. from an institution recognized by the Government or a qualification declared by the Government as equivalent thereto ;</p> <p>(iii) A good capability to write and speak Hindi and English languages.</p> <p>Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto with a speed of 30 words per minute and 25 words per minute in Hindi and English Typewriting respectively and "CCC" certificate of DOEACC Society for computer operation.</p>	18	40	<p>(i) Fifteen percent by promotion from amongst substantively appointed group "D" employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examinations recognized by the Government as equivalent thereto ;</p> <p>(ii) Five percent by promotion from amongst substantively appointed Group "D" Employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an</p>	Member Secretary
-----	------------------	-------	----	----	---------	--	--	----	----	--	------------------

37.	Laboratory Assistant	39	39	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2	Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.	18	40	Examination recognized by the Government as equivalent thereto. iii. 80 percent by direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission.	Member Secretary
38.	Monitoring Assistant	49	49	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2	Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.	18	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
39.	Driver Grade-4		08	08	Group-C	Payband Rs.5200-20200 Grade pay 1900 Level-2	According to provisions of eligibility/selection process as per Uttar Pradesh State Govt. Driver Service (3rd Amendment) Rule, 2011- 1. 80% posts to be filled by direct recruitment, eligibility for direct recruitment. (i) Class-VIII or equivalent examination (ii) License to drive light or heavy vehicles with three years experience of driving heavy and light vehicles. (f) Intermediate	18	40	By direct recruitment on the basis of competitive exam (as per Government Directions prevailing from time to time) by UP Sub-Ordinate Service Commission	Member Secretary
40.	Electrician	01	01	Group-C	Payband	(f) Intermediate	18	40	By direct recruitment on	Member

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद

अधिसूचना

संख्या

लखनऊ : दिनांक

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, रा.न. 1974) की धारा 12 की उपधारा (3-क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, रा.न. 1981) की धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल विद्यार-विमर्श के बाद सरकार की पूर्व अनुमति से परिषद, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों की विनियमित करने के लिए सहर्ष निम्नलिखित संशोधित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2021

भाग-एक-सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

1. यह विनियमावली उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2021 कही जाएगी।
2. यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2021 के नियम-13, 14, 15, 16 व 17 के निम्नलिखित कॉलम-1को कॉलम-2 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा।

वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
<p>13- शिक्तियों की अवधारणा-</p> <p>नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली शिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली शिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली शिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली शिक्तियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाएगी और समूह "ग" और "घ" के पदों के मामले में शिक्तियों सेवागोष्ठन कार्यालय की अधिसूचित की जाएगी।</p> <p>14-चयन समिति का गठन -</p> <p>सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-</p> <p>(क) समूह "क" और समूह "ख" के पदों के लिये-</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी,</p>	<p>13- शिक्तियों की अवधारणा-</p> <p>नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली शिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली शिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली शिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। समूह "ख" के पदों की शिक्तियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों की शिक्तियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अप्रत्यक्ष करेगा।</p> <p>14-चयन समिति का गठन -</p> <p>सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-</p> <p>(क) समूह "क" और समूह "ख" के पदों के लिये-</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी,</p>

<p>(दो) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो;</p> <p>(तीन) सम्बन्धित विषय का एक विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;</p> <p>(चार) परिषद का सदस्य-सचिव, परन्तु—</p> <p>यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, को सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।</p> <p>टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p> <p>(ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिये—</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा;</p> <p>(तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा;</p> <p>(चार) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा;</p> <p>टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p>	<p>(दो) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो;</p> <p>(तीन) सम्बन्धित विषय का एक विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;</p> <p>(चार) परिषद का सदस्य-सचिव, परन्तु—</p> <p>यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, को सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।</p> <p>टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p> <p>(ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिये—</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;</p> <p>(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा;</p> <p>(तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा;</p> <p>(चार) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा;</p> <p>टिप्पणी— ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।</p>
<p>15.1 प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2090 लोक सेवा आयोग द्वारा समूह "ख" के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र किये जाने के लिये 2090 लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन फॉर्म प्रकाशित किया जायेगा। 2. 2090 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह "ग" के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र किये जाने के लिये 2090 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन फॉर्म प्रकाशित किया जायेगा। 3. आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की सचक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तरी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय 	<p>15-साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया-</p> <p>(1)- विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सचक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तरी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएँ, जैसा वह उचित समझे, पूरी करते हों।</p> <p>(2) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रतीणा कम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठता का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या सिकतर्ग की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकार को सूची अग्रसारित करेगी।</p>

16-साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

(1)- विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलावेगी जो अपेक्षित अर्हताएं, जैसा वह उचित समझे, पूरी करते हों।

(2) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या शिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकार को सूची अग्रसारित करेगी।

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(2) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध कर लिये जाने के परचात चयन समिति, विनियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस संख्या में चयन समिति द्वारा निर्वाचित स्तर तक पहुंच सकें हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या शिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकार को सूची अग्रसारित करेगी।

17-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-

1. पदोन्नति द्वारा भर्ती, विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।
2. नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूक्तियों

पर जारी निर्देशों के अनुसार) के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं, जैसा वह उचित समझे, पूरी करते हों।

4. आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि प्रतियोगी परीक्षा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार) में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या शिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

15.2- ऐसे पद जिनमें सीधी भर्ती/पदोन्नति आयोग द्वारा की जानी हो, में भर्ती के लिए पदोन्नति हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया--

पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उOप्रO पदोन्नति द्वारा चयन लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्रस्ताव से की जायेगी।

17-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जाने वाली सीधी भर्ती/पदोन्नति के शिक्तियों के सिवाय पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

1. पदोन्नति द्वारा भर्ती, विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के

<p>समय-समय पर यथासंशोधित ७०५१० (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्मति पात्रता सूची नियमावली, १९७६ के अनुसार तैयार करेगा और उसे उत्तकी चरित्र पंजिका और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।</p> <p>परंतु जहाँ दो या अधिक पौषक पद हों—</p> <p>(क) विभिन्न वेतनमान वाले पदों की स्थिति में उच्चतर वेतनमान के पद वाले अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।</p> <p>(ख) समान वेतनमान वाले पदों की स्थिति में अभ्यर्थियों के नाम, पात्रता सूची में उनके अपने-अपने पदों पर उनकी गौणिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।</p>	<p>3. चयन समिति उपविनियम (२) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।</p> <p>4. चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में जोसी कि वह उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।</p>
--	---

<p>माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।</p> <p>2. नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ समय-समय पर यथासंशोधित ७०५१० (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्मति पात्रता सूची नियमावली, १९७६ के अनुसार तैयार करेगा और उसे उत्तकी चरित्र पंजिका और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।</p>	<p>3. चयन समिति उपविनियम (२) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।</p> <p>4. चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में जोसी कि वह उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।</p>
--	---

आज्ञा से,

प्रमुख सचिव

परिशिष्ट
(विनियम 13,14,15,16 देखें)

परिशिष्ट के क्रम संख्या.-9,13,14,22,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39 & 40 में निम्नवत् संशोधन किया गया

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतन पट्ट	सेवा की शर्तियाँ	नियुक्ति का विवरण	आवृत्ति		पदों का स्तर	नियुक्ति अधिकारी
		स्वायत्त	अस्थायी	योग				प्रारंभ	अन्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	49	49	समूह "ख" वेतन पैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 लेवल-10	7	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन अभियांत्रिकी/रसायन प्रौद्योगिकी/सिलिल अभियांत्रिकी/पर्यावरण अभियांत्रिकी/जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा उच्चतम सम्मान प्राप्त कोई अर्हता।	21	40	(1) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त उप सहायक पर्यावरण अभियन्ता (अवर अभियन्ता) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति अनुपूर्वता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 50000 पदोन्नति द्वारा चयन लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के पशुबंध से एवं, (2) 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) शीघी भर्ती द्वारा।	अध्यक्ष
13	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	28	28	समूह "ख" वेतन पैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 लेवल-10	7	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/जैव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी/लाइक साइंसेज/प्लान्ट साइंसेज/पर्यावरण विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पादकर्मशास्त्र/जैव में डाक्टरेट	21	40	(1) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वैज्ञानिक सहायक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति अनुपूर्वता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 50000 पदोन्नति द्वारा चयन लोक सेवा	अध्यक्ष

14.	जन सम्पर्क अधिकारी	01	01	समूह "ख"	केतन श्रेण्ड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 लेवल-10	उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यवेक्षण/प्रदूषण नियंत्रण/जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/ जन्तु विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ जैव रसायनिकी/ लाइफ साइसेज/ पर्यावरण विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी/ माइक्रोबायोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यवेक्षण/ प्रदूषण नियंत्रण/ जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।	21	40	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	अध्यक्ष
22	विधि सहायक	06	05	समूह "ग"	वेतन श्रेण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-06	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की अर्हता। (2) पत्रकारिता/पुस्तकालय विज्ञान में किसी उपाधि या डिप्लोमा के साथ संबंधित क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।	21	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
25	अवर अभियन्ता	09	09	समूह "ग"	वेतन श्रेण्ड 9300-34800	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता (बी) एम्बेडेड/टकील/बेरिस्टर/एडवोकेट की रूप में तीन वर्ष का अनुभव	18	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी	सदस्य सचिव

28	वैज्ञानिक सहायक	37	37	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-06	स्नातक/डिप्लोमा, परन्तु उक्त विषयों में स्नातक योग्यताधारी को कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।	21	40	परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती हारा।	सदस्य सचिव
29	लेखाकार/ लेखा परीक्षक	23	23	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-06	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/ रसायन शास्त्र/जैव रसायनिक /पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समतुल्य मान्यता प्राप्त कोई अर्हता	21	40	50 प्रतिशत मौखिक रूप से नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों और अनुभवजन्य सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा एवं (2) 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
30	आयुर्विज्ञिक	29	29	समूह "ग"	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-06	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्न के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त कोई अर्हता (2) किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्न के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव (1) उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य मान्यता-प्राप्त कोई परीक्षा (2) हिन्दी आयुर्विज्ञान में 80 शब्द प्रति मिनट की और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति (3) अंग्रेजी आयुर्विज्ञान में 60 शब्द प्रति मिनट की और	18	46	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव

31	पुस्तकालयक यज्ञ		1	1	समूह "ग"	वेतन बैंड 9200-34800 ग्रेड पे-4200 लेवल-06	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, (2) पुरातत्त्व विज्ञान में दिव्योप।	21	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
32.1	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी	06	06	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 लेवल-05	(1) मान्यता प्राप्त संस्था/विश्व विद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में दिव्योप। के साथ स्नातक उपाधि। श्री डीओडीओ से ओ स्तर के प्रमाण पत्र सहित स्नातक उपाधि। (2) जीएस/यूनियस/डिप्लोमा के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एमएलओ ऑफिस/लॉटस/ समार्ट सूट आदि जैसे मिन्-मिन् सफ्टवेयर पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डेटा एन्ट्री का अच्छा ज्ञान। (3) मोबाइल और डिस्क एन्ट्री जैसे नेट वर्किंग वातावरण का एक्सपोजर। (4) हिंदी तथा अंग्रेजी में कम-से-कम कमर 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनिट की टाइम गति।	21	40	(1) 50 प्रतिशत मौखिक रूप से नियुक्ता कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दियास को इस रूप में छ. वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, यद्योन्विति द्वारा। (2) 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव	
32.2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	12	12	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्या परिषद की इंटरमीडिएट	18	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी	सदस्य सचिव	

33	रिसेचनिस्ट (स्वागती)	1	1	समूह "ग"	वेतन श्रेण्ड 9300-34800 स्टेड मै-4200 लेवल-06	परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डीआईएचएलओ में ऑनर का प्रमाण-पत्र। (2) बाल/यूनिका/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एमएसडॉ ऑफिस/लोटस/स्मार्ट सूट आदि जैसे विन-बेसिन् साफ्टवेयर्स पर अंग्रेजी एण हिन्दी कोटा एण्ट्री का अच्छा ज्ञान। (3) नौबल और सिन्ड्रो एण्ट्री जैसे नेट वर्किंग वातावरण का एक्सपोजर।	18	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भती द्वारा।	सदस्य सचिव
36	कनिष्ठ	69	69	समूह	वेतन श्रेण्ड	उत्तर प्रदेश गणनायिक सेवा	18	40	80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ	सदस्य

					5200-20200 बैंड नं- 2000 लेवल-03	"ग"			गणित की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा के साथ हिन्दी और अंग्रेजी टंकन में कमशः 35 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति तथा कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सीरिटीफिकेट प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र	गणित की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।	उत्तर प्रदेश अशो-नस्य सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा। (2) 20 प्रतिशत वार्षिक रूप से नियुक्त समूह "घ" कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा शिष्य उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा।	सचिव
37	प्रयोगशाला सहायक	39	39	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 बैंड नं-1900 लेवल-02				माध्यमिक शिक्षा शिष्य उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा	40	उत्तर प्रदेश अशो-नस्य सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
38	अनुसूचण सहायक	49	49	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 बैंड नं-1900 लेवल-02				माध्यमिक शिक्षा शिष्य उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।	40	उत्तर प्रदेश अशो-नस्य सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
39	वाहन चालक बैंड-4	08	08	समूह "ग"	वेतन बैंड 5200-20200 बैंड नं-1900 लेवल-02				उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (पुलिस संसाधन) नियमावली 2011 में निर्धारित अर्हता / भर्ती की प्रक्रिया के आधार पर एक- (1) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के विषये अन्यथा के अर्हताये (2) किसी मान्यता प्राप्त वैदिक संस्था अर्हताये कक्षा की परीक्षा	40	उत्तर प्रदेश अशो-नस्य सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीधी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव

40	इलेक्ट्रिशिय न		01	01	समूह "ग"	वेतन पैर: 5200-20200 ग्रेड 4-1900 लेवल-02	उत्तीर्ण कर ली हो और (ii) यथा स्थिति भारी यास इन्को वाहन चलाने का गैर इंजिन लाइसेंस सम्बन्धित रिक्त के अधिसूचित किये जाने के विनियमों पूर्ण से 03 वर्ष से अन्यून अवधि का सर्वोपलब्ध सेवा पूरी कर ली हो।	18	40	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार) सीसी भर्ती द्वारा।	सदस्य सचिव
----	-------------------	--	----	----	-------------	---	---	----	----	--	---------------

91

G 23183 / A.S. Camp / 27/2016

7.11.2016

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिल्लप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक,
दिभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ग" के वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू० 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू० 4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-जी22251/ए.एस.कैम्प/27/2016, दिनांक 29.04.2016 एवं पत्र संख्या जी० 22792/ए.एस.कैम्प-27/2016 दिनांक 03.08.16 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह-"ग" के वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू० 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू० 4600/- से कम के सीधी भर्ती के लेखाकार/लेखापरीक्षक, अवर अभियंता, निधि सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, आधुनिक एवं कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन (निर्धारित प्रारूप पर) पृथक-पृथक (अपेक्षित प्रपत्रों सहित) पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु यथाशीघ्र अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर बोर्ड को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(एस०सी० यादव)
सदस्य सचिव



संख्या- 179 / 55-पर्या / 2004

प्रेषक,
विनोद मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

SL. 17

सेवा में,
अध्यक्ष,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2004

विषय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली-1995 के विनियम-8 से सीधी भर्ती हेतु प्राविधानित आयु सीमा में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी 24416 / 32-2004 / 78, दिनांक 09-09-2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सरकारी सेवाओं के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-20-03-1982-का-2-85-1, दिनांक 16 मार्च, 1985 द्वारा प्रख्यापित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह "ग" (सीधी भर्ती) नियमावली-1985 में तथा समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली-1985 में सीधी भर्ती के इन पदों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है। इसी क्रम में कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-18 / 2 / 81-का-2-2000, दिनांक 21 जनवरी, 2000 द्वारा प्रख्यापित उ० प्र० सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवो संशोधन) नियमावली-2000 में समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गयी है। कार्मिक विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार राज्याधीन सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सेवाओं की भर्ती की आयु निर्धारित करने विषयक आपके प्रस्ताव दिनांक 9-9-2004 पर विचारोपरान्त बोर्ड में समूह "ग" एवं "घ" की सीधी भर्ती के पदों की न्यूनतम आयु सीमा तात्कालिक प्रभाव से 18 वर्ष तथा सीधी भर्ती के समस्त पदों (समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ") की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की जाती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली-1995 में पृथक से यथा समय संशोधन किया जाएगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद मल्होत्रा)
प्रमुख सचिव।

हु० प० फ०


40

40
1/10/04

संख्या-1726/55-471-04 तददिनांक

प्रतिलिपि सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस आशय से प्रेषित कि शासन के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली-1995 में संशोधन का प्रारूप शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(बी०बी० सिंह)
उप सचिव।



**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।**

सीधी भर्ती के पद के लिए अधियाचन

1.	अधियाचन का प्रकार (सामान्य अथवा विशेष)	सामान्य चयन
2.(क)	पद का नाम (नियमावली के अनुसार)	अवर अभियन्ता
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हाँ या नहीं)	नहीं
(2)	क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है (हाँ या नहीं)	हाँ
3.	वेतनबैण्ड/वेतनमान/ग्रेड वेतन	वेतनबैण्ड रूपया 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रूपया 4,200/-
4.	सेवा संवर्ग	समूह-"ग" अभियांत्रिकी संवर्ग
5.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	सदस्य सचिव
6.	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हाँ या नहीं)	हाँ
7.	क्या पद नियमित नियुक्ति का है	हाँ
8.	क्या पद की सेवा नियमावली बनी है (यदि हाँ तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाये)	हाँ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 संलग्न है।
9.	चयन का आधार (सेवा नियमावली के अनुसार)	
	1-केवल साक्षात्कार	हाँ
	2-केवल लिखित परीक्षा	X
	3-लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हो, काट दिया जाये)	X
10.	अधियाचित पदों का आरक्षण एवं श्रेणीवार विवरण	
	(क)-लम्बवत आरक्षण का विवरण	
	1-अनारक्षित पदों की संख्या	19
	2-अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	-
	3-अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	01
	4-अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	07
	(ख) क्षैतिज आरक्षण का विवरण	
	(1) शासनादेश सं0-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20.09.1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 02 प्रतिशत)	-
	(2)(क) समाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत)	-
	(ख) शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी, 2011के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता	-
	(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (2) श्रवण हास से से ग्रसित	
	(3) चलन क्रिया संबंधी अशक्तता या प्रमासितकीय अंगघात से ग्रसित	

किस-किस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तदनुसार उनके उपश्रेणी के चिन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जाये।-

- (3) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/99-टी0सी0-2/65-03-11-78/99, दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह-ग के पदों हेतु शिथिलियों का 05 प्रतिशत के अनुसार) 01
- (4) शासनादेश सं०-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26.02.1999 के आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या 05

11. संवर्ग में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण -

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधियाचित पदों की सं०
1.	अनारक्षित	-	36	17	19	19
2.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	14	14	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत	01	-	01	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	18	11	07	07
	योग -		69	42	27	27

12. क्या पद स्थायी/अस्थायी है? अस्थायी
13. शैक्षिक योग्यता
(अ) अनिवार्य (जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो)
(ब) अधिमानी अर्हताएँ, यदि कोई हो
जनस्वास्थ्य/सिविल/रसायन/पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
14. आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो
(क)-न्यूनतम 18 वर्ष
(ख)-उच्चतम 40 वर्ष
15. क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है? नहीं
(हाँ/नहीं)
16. अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता भारतीय
17. क्या पद पेशानयुक्त है? (हाँ/नहीं) नहीं
18. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 02 वर्ष, जिसे तात्कालिक परिस्थितियों में 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।
19. कर्तव्य पद से संबंधित समस्त कार्य।
20. चुने हुए अभ्यर्थी को चयन के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा तत्काल
21. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है? यदि हाँ तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बताये, जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी। हाँ, कोई शिथिलता प्राविधानित नहीं है।

22. पद जिसके लिए अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध में भारत नहीं
के किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन तो नहीं है
23. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं नहीं
आती

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर	-	
नाम	-	एस०सी० यादव
पदनाम	-	सदस्य सचिव
दिभाग	-	उ० प्र० प्र० नि० बोर्ड
सील	-	एस० सी० यादव आई० एफ० एस० सदस्य सचिव उ० प्र० प्र० नि० बोर्ड
कार्यालय का दूरभाष सं०	-	(0522) - 2720895
मोबाइल संख्या	-	7839164444

19

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।

सीधी भर्ती के पद के लिए अधियाचन

1.	अधियाचन का प्रकार (सामान्य अथवा विशेष)	सामान्य चयन
2.(क)	पद का नाम (नियमावली के अनुसार)	विधि सहायक
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हाँ या नहीं)	नहीं
(2)	क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है (हाँ या नहीं)	हाँ
3.	वेतनबैण्ड/वेतनमान/ग्रेड वेतन	वेतनबैण्ड रूपया 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रूपया 4,200/-
4.	सेवा संवर्ग	समूह-‘ग’ विधि संवर्ग
5.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	सदस्य सचिव
6.	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हाँ या नहीं)	हाँ
7.	क्या पद नियमित नियुक्ति का है	हाँ
8.	क्या पद की सेवा नियमावली बनी है (यदि हाँ तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाये)	हाँ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 संलग्न है।
9.	चयन का आधार (सेवा नियमावली के अनुसार)	
	1-केवल साक्षात्कार	हाँ
	2-केवल लिखित परीक्षा	X
	3-लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हो, काट दिया जाये)	X
10.	अधियाचित पदों का आरक्षण एवं श्रेणीवार विवरण	
	(क)-लम्बवत आरक्षण का विवरण	
	1-अनारक्षित पदों की संख्या	01
	2-अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	-
	3-अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	-
	4-अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	01
	(ख) क्षैतिज आरक्षण का विवरण	
	(1) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20.09.1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 02 प्रतिशत)	-
	(2)(क) समाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत)	-
	(ख) शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी, 2011के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता	-
	(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (2) श्रवण हास से से ग्रसित	
	(3) चलन क्रिया संबंधी अशक्तता या प्रमारित्कीय अंगघात से ग्रसित	

किस-किस श्रेणी हेतु आरक्षित हैं, तदानुसार उनके उपश्रेणी के चिन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जाये।

(3) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/99-टी0सी0-2/65-03-11-78/99, दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह-ग के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार)

(4) शासनादेश सं०-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26.02.1999 के आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या

11. संदर्भ में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण -

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधियाचित पदों की सं०
1.	अनारक्षित	-	03	02	01	01
2.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	01	01	-	-
3.	अनुसूचित जगजाति	02 प्रतिशत	-	-	-	-
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	01	-	01	01
	योग -		05	03	02	02

12. क्या पद स्थायी/अस्थायी है?

अस्थायी

13. शैक्षिक योग्यता

(अ) अनिवार्य (जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो)

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(दो) एडवोकेट/वकील/बैरिस्टर/एटोर्नी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।

(ब) अधिमानी अर्हताएं, यदि कोई हो

14. आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो

(क)-न्यूनतम

18 वर्ष

(ख)-उच्चतम

40 वर्ष

15. क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है? (हाँ/नहीं)

नहीं

16. अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता

भारतीय

17. क्या पद पेशानयुक्त है? (हाँ/नहीं)

नहीं

18. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

02 वर्ष, जिसे तात्कालिक परिस्थितियों में 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।

19. कर्तव्य

पद से संबंधित समस्त कार्य।

20. चुने हुए अभ्यर्थी को चयन के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा


तत्काल

21. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है? यदि हाँ तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बतायें, जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी

हाँ, कोई शिथिलता प्राविधानित नहीं है।

23. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं आती नहीं

अध्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर	-	
नाम	-	एस०सी० यादव
पदनाम	-	सदस्य सचिव
विभाग	-	उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सील	-	एस० सी० यादव आई० एफ० एस० सदस्य सचिव उ० प्र० प्र० नि० बोर्ड
कार्यालय का दूरभाष सं०	-	(0522) - 2720895
मोबाइल संख्या	-	7839164444





18

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।

सीधी भर्ती के पद के लिए अधियाचन

1.	अधियाचन का प्रकार (सामान्य अथवा विशेष)	सामान्य चयन
2(क)	पद का नाम (नियमावली के अनुसार)	पुस्तकालयाध्यक्ष
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हाँ या नहीं)	नहीं
(2)	क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है (हाँ या नहीं)	हाँ
3.	वेतनबैण्ड/वेतनमान/ग्रेड वेतन	वेतनबैण्ड रूपया 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रूपया 4,200/-
4.	सेवा संवर्ग	समूह-'ग' लिपिकीय संवर्ग
5.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	सदस्य सचिव
6.	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हाँ या नहीं)	हाँ
7.	क्या पद नियमित नियुक्ति का है	हाँ
8.	क्या पद की सेवा नियमावली बनी है (यदि हाँ तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाये)	हाँ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 संलग्न है।
9.	चयन का आधार (सेवा नियमावली के अनुसार)	
	1-केवल साक्षात्कार	हाँ
	2-केवल लिखित परीक्षा	X
	3-लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हों, काट दिया जाये)	X
10.	अधियाचित पदों का आरक्षण एवं श्रेणीवार विवरण	
	(क)-अन्वय आरक्षण का विवरण	
	1-अनारक्षित पदों की संख्या	01
	2-अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	-
	3-अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	-
	4-अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	-
	(ख) क्षैतिज आरक्षण का विवरण	
	(1) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20.09.1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 02 प्रतिशत)	-
	(2)(क) समाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत)	-
	(ख) शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी, 2011के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता	-
	(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि	(2) श्रवण हास से से ग्रसित
	(3) चलन क्रिया संबंधी अशक्तता या प्रमास्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित	
	किस-किस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तदनुसार उनके उपश्रेणी के चिन्हांकन का अवरय उल्लेख कर दिया जाये।	

(3) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/99-टी०सी०-2/65-03-11-78/99, दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह-ग के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार) -


(4) शासनादेश सं०-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26.02.1999 के आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या -

11. संवर्ग में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण -

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधियाचित पदों की सं०
1.	अनारक्षित	-	01	-	01	01
2.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	-	-	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत	-	-	-	-
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	-	-	-	-
	योग -		01	-	01	01

12. क्या पद स्थायी/अस्थायी है? अस्थायी
13. शैक्षिक योग्यता
(अ) अनिवार्य (जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो) (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(दो) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।
14. (ब) अधिमानी अर्हताएँ, यदि कोई हो
आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो
(क)-न्यूनतम 18 वर्ष
(ख)-उच्चतम 40 वर्ष
15. क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है? नहीं
16. अम्बर्धी की राष्ट्रीयता भारतीय
17. क्या पद पेशनयुक्त है? (हाँ/नहीं) नहीं
18. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 02 वर्ष, जिसे तात्कालिक परिस्थितियों में 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।
19. कर्तव्य पद से संबंधित समस्त कार्य।
20. चुने हुए अम्बर्धी को चयन के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा तत्काल
21. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है? यदि हाँ तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बतायें, जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी हाँ, कोई शिथिलता प्राविधानित नहीं है।
22. पद जिसके लिए अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध में भारत के किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन तो नहीं है नहीं

23. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं आती नहीं

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर	-	
नाम	-	एस०सी० यादव
पदनाम	-	सदस्य सचिव
विभाग	-	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सील	-	एस० सी० यादव आई० एफ० एस० सदस्य सचिव उ० प्र० नि० बोर्ड
कार्यालय का दूरनाम सं०	-	(0522) - 2720895
मोबाइल संख्या	-	7839164444

**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।**

सीधी भर्ती के पद के लिए अधियाचन

1.	अधियाचन का प्रकार (सामान्य अथवा विशेष)	सामान्य चयन
2(क)	पद का नाम (नियमावली के अनुसार)	आशुलिपिक
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हाँ या नहीं)	नहीं
(2)	क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है (हाँ या नहीं)	हाँ
3.	वेतनबैंड/वेतनमान/ग्रेड वेतन	वेतनबैंड रूपया 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रूपया 4,200/-
4.	सेवा संवर्ग	समूह-"ग" लिपिकीय संवर्ग
5.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	सदस्य सचिव
6.	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हाँ या नहीं)	हाँ
7.	क्या पद नियमित नियुक्ति का है	हाँ
8.	क्या पद की सेवा नियमावली बनी है (यदि हाँ तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाये)	हाँ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 संलग्न है।
9.	चयन का आधार (सेवा नियमावली के अनुसार)	प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर
	1-केवल साक्षात्कार	X
	2-केवल लिखित परीक्षा	हाँ
	3-लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हो, काट दिया जाये)	X
10.	अधियाचित पदों का आरक्षण एवं श्रेणीवार विवरण	
	(क)-लम्बवत आरक्षण का विवरण	
	1-अनारक्षित पदों की संख्या	14
	2-अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	-
	3-अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	-
	4-अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	04
	(ख) क्षैतिज आरक्षण का विवरण	
	(1) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20.09.1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 02 प्रतिशत)	-
	(2)(क) समाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत)	-
	(ख) शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी, 2011के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता	-
	(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि	(2) श्रवण हास से से ग्रसित
	(3) चलन क्रिया संबंधी अशक्तता या प्रमारितष्कीय अंगघात से ग्रसित	
	किस-किस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तदनुसार उनके उपश्रेणी के चिन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जाये।	

- (3) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/99-टी०सी०-2/65-03-11-78/99, दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह-ग के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार) —
- (4) शासनादेश सं०-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26.02.1999 के आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या 03
11. संवर्ग में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण —

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधियापित पदों की सं०
1.	अनारक्षित	—	16	01	15	14
2.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	06	06	—	—
3.	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत	—	—	—	—
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	08	04	04	04
	योग —		30	11	19	18

12. क्या पद स्थायी/अस्थायी है? अस्थायी
13. शैक्षिक योग्यता
(अ) अनिवार्य (जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो)
(ब) अधिमानी अर्हतायें, यदि कोई हो
- (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।
(2) हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।
(3) अंग्रेजी आशुलिपि में 60 शब्द प्रति मिनट की और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।
14. आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो
(क)—न्यूनतम 18 वर्ष
(ख)—उच्चतम 40 वर्ष
15. क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है? (हाँ/नहीं) नहीं
16. अभ्यर्थी की राष्ट्रियता भारतीय
17. क्या पद पेशनयुक्त है? (हाँ/नहीं) नहीं
18. परिदीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 02 वर्ष, जिसे तात्कालिक परिस्थितियों में 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।
19. कर्तव्य पद से संबंधित समस्त कार्य।
20. बुने हुए अभ्यर्थी को चयन के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा तत्काल

21. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं? यदि हाँ तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बताये, जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी। हाँ, कोई शिथिलता प्राविधानित नहीं है।
22. पद जिसके लिए अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध में भारत के किसी न्यायालय में कोई वाद विघासधीन तो नहीं हैं। नहीं
23. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं आती नहीं

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर -



नाम -

एस० सी० यादव

पदनाम -

सदस्य सचिव

विभाग -

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सील -


एस० सी० यादव
आई० एफ० एस०
सदस्य सचिव
उ० प्र० प्र० नि०

कार्यालय का दूरभाष सं० -

(0522) - 2720895

मोबाइल संख्या -

7839164444




**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।**

सीधी भर्ती के पद के लिए अधियाचन

1.	अधियाचन का प्रकार (सामान्य अथवा विशेष)	सामान्य चयन
2.(क)	पद का नाम (नियमावली के अनुसार)	लेखाकार/लेखा परीक्षक
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हाँ या नहीं)	नहीं
(2)	क्या यह पद प्रदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है (हाँ या नहीं)	हाँ
3.	वेतनबैण्ड/वेतनमान/ग्रेड वेतन	वेतनबैण्ड रूपया 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रूपया 4,200/-
4.	सेवा संवर्ग	समूह-'ग' लेखा संवर्ग
5.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	सदस्य सचिव
6.	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हाँ या नहीं)	हाँ
7.	क्या पद नियमित नियुक्ति का है	हाँ
8.	क्या पद की सेवा नियमावली बनी है (यदि हाँ तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाये)	हाँ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 संलग्न है।
9.	चयन का आधार (सेवा नियमावली के अनुसार)	
	1-केवल साक्षात्कार	हाँ
	2-केवल लिखित परीक्षा	X
	3-लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हो, काट दिया जाये)	X
10.	अधियाचित पदों का आरक्षण एवं श्रेणीवार विवरण	
	(क)-लम्बवत आरक्षण का विवरण	
	1-अनारक्षित पदों की संख्या	05
	2-अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	-
	3-अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	-
	4-अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	01
	(ख) क्षैतिज आरक्षण का विवरण	
	(1) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20.09.1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 02 प्रतिशत)	-
	(2)(क) सनाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत)	-
	(ख) शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी, 2011के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता	-
	(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि	(2) श्रवण हास से से ग्रसित

(3) चलन क्रिया संबंधी अशक्तता या प्रनारितष्कीय अंगघात से ग्रसित किस-किस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तदानुसार उनके उपश्रेणी के चिन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जाये।

(3) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/99-टी०सी०-2/65-03-11-78/99, दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह-ग के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार)

(4) शासनादेश सं०-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26.02.1999 के आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुस्तर आरक्षित पदों की संख्या

11. संदर्भ में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधियाचित पदों की सं०
1.	अनारक्षित	-	13	07	06	05
2.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	05	05	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत	-	-	-	-
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	06	05	01	01
	योग -		24	17	07	06

12. क्या पद स्थायी/अस्थायी है?

अस्थायी.

वर्तमान में उक्त पदों की दिनांक 28.02.2017 तक की अवधि के लिए शासकीय निरंतरता प्राप्त है परंतु इन पदों के आगे बढ़ाए जाने/चलते रहने की संभावना है।

13. शैक्षिक योग्यता

(अ) अनिवार्य (जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो)

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2) किसी सरकारी या अर्ह सरकारी संगठन में लेखा कर्म के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

(ब) अधिमानी अर्हतायें, यदि कोई हो
14. आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो

(क)-न्यूनतम

18 वर्ष

(ख)-उच्चतम

40 वर्ष

15. क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है? (हाँ/नहीं)

नहीं

16. अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता

भारतीय

17. क्या पद पेशनयुक्त है? (हाँ/नहीं)

नहीं

18. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 02 वर्ष, जिसे तात्कालिक परिस्थितियों में 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।
19. कर्तव्य पद से संबंधित समस्त कार्य।
20. चुने हुए अभ्यर्थी को चयन के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा तत्काल
21. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है? यदि हाँ तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बतायें, जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी हों, कोई शिथिलता प्राविधानित नहीं है।
22. पद जिसके लिए अधिवाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध में भारत के किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन तो नहीं है नहीं
23. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपयुक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं आती नहीं

अधिवाचन अधिकारी के हस्ताक्षर -



नाम -

एस०सी० यादव

पदनाम -

सदस्य सचिव

विभाग -

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सील -

एस० सी० यादव
आई० एफ० एस०
सदस्य सचिव
उ० प्र० प्र० नि० बोर्ड

कार्यालय का दूरभाष सं० -

(0522) - 2720895

मोबाइल संख्या -

7839164444



उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।

सीधी भर्ती के पद के लिए अधियाचन

1.	अधियाचन का प्रकार (सामान्य अथवा विशेष)	सामान्य चयन
2.(क)	पद का नाम (नियमावली के अनुसार)	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हाँ या नहीं)	हाँ
(2)	क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है (हाँ या नहीं)	नहीं
3.	वेतनबैंण्ड/वेतनमान/ग्रेड वेतन	वेतनबैंण्ड रूपया 5,200-20,200 ग्रेड वेतन रूपया 2,800/-
4.	सेवा संवर्ग	समूह-"ग" लिपिकीय संवर्ग
5.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	सदस्य सचिव
6.	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हाँ या नहीं)	हाँ
7.	क्या पद नियमित नियुक्ति का है	हाँ
8.	क्या पद की सेवा नियमावली बनी है (यदि हाँ तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाये)	पर्यावरण अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-598/55-पर्या-2009-346(पर्या)2008, दि० 09.06.2009 द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकांश में सृजित डाटा एन्टी आपरेटर के 28 सृजित पदों को आस्थगित रखते हुए बोर्ड में कम्प्यूटर कार्य को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के अस्थायी पद सृजित किये गये हैं एवं शासन के पत्र दिनांक 16.03.2010 द्वारा उक्त पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु शैक्षित अर्हता निर्धारित की गई है। शासन के उपर्युक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।
9.	चयन का आधार (सेवा नियमावली के अनुसार)	
	1-केवल साक्षात्कार	हाँ
	2-केवल लिखित परीक्षा	X
	3-लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हो, काट दिया जाये)	X
10.	अधियाचित पदों का आरक्षण एवं श्रेणीवार विवरण	
	(क)-लम्बदत आरक्षण का विवरण	
	1-अनारक्षित पदों की संख्या	02
	2-अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	-
	3-अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	-
	4-अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	-
	(ख) क्षैतिज आरक्षण का विवरण	
	(1) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20.09.1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 02	-

प्रतिशत]

- (2)(क) समाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत) -
- (ख) शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी, 2011 के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता -
- (1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (2) श्रवण द्रव्य से से ग्रसित
- (3) चलन क्रिया संबंधी अक्षमता या प्रमास्ताधिकीय अंगघात से ग्रसित किस-किस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तदानुसार उनके उपश्रेणी के विन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जाये।
- (3) शासनादेश सं0-18/1/95-का-2/99-टी0सी0-2/65-03-11-78/99, दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह-ग के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार) -
- (4) शासनादेश सं0-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26.02.1999 के आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या -
11. संदर्भ में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण -

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधिशचित पदों की सं0
1.	अनारक्षित	-	02	-	02	02
2.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	-	-	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत	-	-	-	-
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	-	-	-	-
	योग -		02	-	02	02

12. क्या पद स्थायी/अस्थायी है?

अस्थायी

वर्तमान में उक्त पदों की दिनांक 28.02.2017 तक के लिए शासकीय निरंतरता प्राप्त है, परन्तु इन पदों के आगे बढ़ाये जाने/चलते रहने की संभावना है।

13. शैक्षिक योग्यता

(अ) अनिवार्य (जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो)

- (1) मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ स्नातक उपाधि या बी0ओ0ई0 से 'ओ' स्तर के प्रमाण सहित स्नातक उपाधि।
- (2) बी0स/यूनिक्स/विन्डोज के अंतर्गत कार्यरत वातावरण में एन0एन0 आफिस/लोटस/स्मार्ट सूट आदि जैसे मिन्न-मिन्न साफ्टवेयरों पर ओ0जी एवं हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान
- (3) नोवल और विन्डो एन0टी0 जेड नेट वर्किंग वातावरण का एकसोजर।

- (4) हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति
-
14. (ब) अधिमानी अर्हतायें, यदि कोई हो
आयु सीमा पैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो
(क)—न्यूनतम 18 वर्ष
(ख)—उच्चतम 40 वर्ष
15. क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है? नहीं
(हाँ/नहीं)
16. अभ्यर्थी की राष्ट्रियता भारतीय
17. क्या पद पेंशनयुक्त है? (हाँ/नहीं) नहीं
18. परिदीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 02 वर्ष, जिसे तात्कालिक परिस्थितियों में 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।
पद से संबंधित समस्त कार्य।
19. कर्तव्य तत्काल
20. चुने हुए अभ्यर्थी को चयन के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा तत्काल
21. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है? यदि हाँ तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बतायें, जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी हाँ,
कोई शिथिलता प्राविधानित नहीं है।
22. पद जिसके लिए अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध में भारत नहीं
के किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन तो नहीं हैं
23. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं नहीं
आती

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर -

नाम -

पदनाम -

दिभाग -

सील -

कार्यालय का दूरभाष सं० -

मोबाइल संख्या -

एस० सी० मादय
एस० सी० मादय
आई० एफ० एस०
सदस्य सचिव
सदस्य प्र० प्र० नि० बोर्ड

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(0522) - 2720895

7839164444

(Handwritten signature)

G26791/ए.एस.कैम्प-27/2016-18.

dt. 15-3-18

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण विभाग,
उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ग" के वेतन बैण्ड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू० 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू० 4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र संख्या जी० 23183/ए.एस.कैम्प/27/2016 दिनांक 07.11.16 के माध्यम से उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को समूह-"ग" के वेतन बैण्ड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू० 1900/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-2 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू० 4600/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-7 से कम के सीधी भर्ती के अवर अभियंता, विधि सहायक, लेखाकार/लेखापरीक्षक, आशुलिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन (निर्धारित प्रारूप पर) पृथक-पृथक (अपेक्षित प्रपत्रों सहित) पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रेषित अधियाचनों पर अभी तक चयन की कार्यवाही की सूचना उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त नहीं हुई है।

बोर्ड में भर्ती हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 प्रख्यापित की गयी थी, जिसमें उक्त पदों में से आशुलिपिक के पद के अतिरिक्त अन्य सभी पदों पर सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया निहित है। कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की अधिसूचना दि० 31 अगस्त, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 के प्राख्यापन के फलस्वरूप, उक्त नियमावली को बोर्ड द्वारा अंगीकृत करते हुए समूह 'ग' के उपरोक्त पदों हेतु आयोग को पूर्व प्रेषित अधियाचनों को निरस्त मानते हुए, उक्त पदों के लिए पुनः संशोधित अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है। उ०प्र० अवर


स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 के अंगीकृत सि जाने पर मत स्थिर कर लिया गया है, जिसके कार्यान्वयन हेतु बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः बोर्ड के समूह-"ग" के वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू० 1900/-वेतन मैट्रिक्स की लेबल-2 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू० 4600/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-7 से कम के सीधी भर्ती के अवर अभियंता, विधि सहायक, लेखाकार/लेखापरीक्षक, आशुलिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पदों पर भर्ती हेतु संशोधित अधियाचन एवं अनुश्रवण सहायक तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पदों हेतु अधियाचन (निर्धारित प्रारूप पर) पृथक-पृथक (अपेक्षित प्रपत्रों सहित) पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। अधियाचनों में उल्लिखित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न रिक्त पदों पर घयन हेतु अधियाचनों को कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2017 के माध्यम से प्रवृत्त उ० प्र० अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 में निहित साक्षात्कार की प्रक्रिया को बंद करते हुये, शासन स्तर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा घयन आयोग, लखनऊ को यथाशीघ्र घयन की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव


उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।

सीधी भर्ती के पद के लिए अधियाचन

(संशोधित अधियाचन)

1.	अधियाचन का प्रकार (सामान्य अथवा विशेष)	सामान्य चयन
2.(क)	पद का नाम (नियमावली के अनुसार)	अवर अभियन्ता
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हाँ या नहीं)	नहीं
(2)	क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है (हाँ या नहीं)	हाँ
3.	वेतनबैण्ड/वेतनमान/ग्रेड वेतन	वेतनबैण्ड रुपया 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रुपया 4,200/- वेतन मैट्रिक्स लेवल-6
4.	सेवा संवर्ग	समूह-"ग" अभियांत्रिकी संवर्ग
5.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	सदस्य सचिव
6.	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हाँ या नहीं)	हाँ
7.	क्या पद नियमित नियुक्ति का है	हाँ
8.	क्या पद की सेवा नियमावली बनी है (यदि हाँ तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाये)	हाँ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 संलग्न है।
9.	चयन का आधार (सेवा नियमावली के अनुसार)	बोर्ड की सेवा विनियमावली, 1995 एवं कार्मिक अनुभाग-2, ७0२0 शासन की अधिसूचना सं०- 4/2017/ 1/1/ 2017-का-2 दिनांक 31.08.2017 के अनुसार।
	1-केवल साक्षात्कार	X
	2-केवल लिखित परीक्षा	हाँ
	3-लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हों, काट दिया जाये)	X
10.	अधियाचित पदों का आरक्षण एवं श्रेणीवार विवरण	
	(क)-लम्बवत आरक्षण का विवरण	
	1-अनारक्षित पदों की संख्या	27
	2-अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	02
	3-अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	01
	4-अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	10
	(ख) शैतिज आरक्षण का विवरण	
	(1) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20.09.1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 02 प्रतिशत)	-
	(2)(क) समाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत)	-
	(ख) शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी,	-

2011 के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता

- (1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (2) श्रवण हास से ग्रसित
(3) चलन क्रिया संबंधी अशक्तता या प्रनास्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित
किस-किस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तदनुसार उनके उपश्रेणी के
चिन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जायै।

(3) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/99-टी०सी०-2/65-03-11-78/99, दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह-ग के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार)

(4) शासनादेश सं०-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26.02.1999 के आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या

11. संवर्ग में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधियाहित पदों की सं०
1.	अनारक्षित	-	36	09	27	27
2.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	14	12	02	02
3.	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत	01	-	01	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	18	08	10	10
	योग -		69	29	40	40

12. क्या पद स्थायी/अस्थायी है?

अस्थायी

13. शैक्षिक योग्यता

(अ) अधिवार्य (जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो)

जनस्वास्थ्य/सिविल/रसायन/पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा

(ब) अधिमानी अर्हतायें, यदि कोई हो

14. आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो

18 वर्ष

(क)-न्यूनतम

40 वर्ष

(ख)-उच्चतम

नहीं

15. क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है? (हाँ/नहीं)

भारतीय

16. अन्यर्था की राष्ट्रीयता

नहीं

17. क्या पद पेशानयुक्त है? (हाँ/नहीं)

02 वर्ष, जिसे तात्कालिक परिस्थितियों में 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।

18. परिदीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

पद से संबंधित समस्त कार्य।

19. कर्तव्य

20. चुने हुए अभ्यर्थी को चयन के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा

तत्काल

21. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है? यदि हाँ तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बतायें, जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी। हाँ, कोई शिथिलता प्राविधानित नहीं है।
22. पद जिसके लिए अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध में भारत को किसी न्यायालय ने कोई वाद दिचाराधीन तो नहीं है। नहीं
23. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं आती। नहीं

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर -

नाम -

आशीष तिवारी

पदनाम -

सदस्य सचिव

विभाग -

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सील -

कार्यालय का दूरभाष सं० -

(0522) - 2720895

मोबाइल संख्या -

7007280904

Am

AWB

h

Am

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।**

सीधी भर्ती के पद के लिए अधियाचन

(संशोधित अधियाचन)

1.	अधियाचन का प्रकार (सामान्य अथवा विशेष)	सामान्य चयन
2.(क)	पद का नाम (नियमावली के अनुसार)	विधि सहायक
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हाँ या नहीं)	नहीं
(2)	क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है (हाँ या नहीं)	हाँ
3.	वेतनबैंड/वेतनमान/ग्रेड वेतन	वेतनबैंड रूपया 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रूपया 4,200/- वेतन मैट्रिक्स लेवल-6
4.	सेवा संवर्ग	समूह-'ग' विधि संवर्ग
5.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	सदस्य सचिव
6.	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हाँ या नहीं)	हाँ
7.	क्या पद नियमित नियुक्ति का है	हाँ
8.	क्या पद की सेवा नियमावली बनी है (यदि हाँ तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाये)	हाँ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 संलग्न है। बोर्ड की सेवा विनियमावली, 1995 एवं कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं० 4/2017/ 1/1/ 2017-का-2 दिनांक 31.08.2017 के अनुसार।
9.	चयन का आधार (सेवा नियमावली के अनुसार)	X
	1-केवल साक्षात्कार	X
	2-केवल लिखित परीक्षा	हाँ
	3-लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हो, काट दिया जाये)	X
10.	अधियाचित पदों का आरक्षण एवं श्रेणीवार विवरण	
	(क)-लम्बवत आरक्षण का विवरण	
	1-अनारक्षित पदों की संख्या	03
	2-अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	01
	3-अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	-
	4-अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	01
	(ख) क्षैतिज आरक्षण का विवरण	
	(1) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20.09.1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्रियों का 02 प्रतिशत)	-
	(2)(क) समाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्रियों का 03 प्रतिशत)	-
	(ख) शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी,	-

2011 के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता

(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (2) श्रवण हास से ग्रसित
(3) चलन क्रिया संबंधी अशक्तता या प्रमादितशक्य अंगघात से ग्रसित
किता-फिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तदानुसार उनके उपश्रेणी के
चिन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जाये।

(3) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/99-टी0सी0-2/65-03-
11-78/99, दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/
भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह-ग के पदों हेतु
रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार)

(4) शासनादेश सं०-18(1)/95-का-2/99 दिनांक 26.02.1999 के
आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की
संख्या

11. संवर्ग में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधियाहित पदों की सं०
1.	अरक्षित	-	05	-	03	03
2.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	01	-	01	01
3.	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत	-	-	-	-
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	01	-	01	01
	योग -		05	-	05	05

12. क्या पद स्थायी/अस्थायी है?

13. शैक्षिक योग्यता

(अ) अनिवार्य (जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो)

14. (ब) अधिमानी अर्हतायें, यदि कोई हो
आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण
नियमावली में विहित हो

(क)-न्यूनतम

(ख)-उच्चतम

15. क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है?
(हाँ/नहीं)

16. अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता

17. क्या पद पेशनयुक्त है? (हाँ/नहीं)

18. परिदीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

19. कर्तव्य

20. मुझे हुए अभ्यर्थी को चयन के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा

अस्थायी

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक स्पाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(दो) एडवोकेट/वकील/बैरिस्टर/एटोर्नर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।

18 वर्ष

40 वर्ष

नहीं

भारतीय

नहीं

02 वर्ष, जिसे तात्कालिक परिस्थितियों में 0 वर्ष अथवा 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।

पद से संबंधित समस्त कार्य।

तत्काल

21. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है? यदि हाँ तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। इन शर्तों को बतायें, जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी।
22. पद जिसके लिए अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध में भारत के किसी न्यायालय में कोई वाद विद्यमान तो नहीं है।
23. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं आती।

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर	-	
नाम	-	आशीष तिवारी <u>Atish</u>
पदनाम	-	सदस्य सचिव
विभाग	-	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पता	-	(आशीष तिवारी) सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कार्यालय का दूरभाष सं०	-	(0522) - 2720895
मोबाइल संख्या	-	7007280904

Atish MWB 3

**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।**

सीधी भर्ती के पद के लिए अधियाचन

(संशोधित अधियाचन)

1.	अधियाचन का प्रकार (सामान्य अथवा विशेष)	सामान्य चयन
2.(क)	पद का नाम (नियमावली के अनुसार)	लेखाकार/लेखा परीक्षक
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हाँ या नहीं)	नहीं
(2)	क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है (हाँ या नहीं)	हाँ
3.	वेतनबैण्ड/वेतनमान/ग्रेड वेतन	वेतनबैण्ड रुपया 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रुपया 4,200/- वेतन मैट्रिक्स लेवल-6
4.	सेवा संवर्ग	समूह-'ग' लेखा संवर्ग
5.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	सदस्य सचिव
6.	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हाँ या नहीं)	हाँ
7.	क्या पद नियमित नियुक्ति का है	हाँ
8.	क्या पद की सेवा नियमावली बनी है (यदि हाँ तो उसकी हिन्दी और अंग्रेजी प्रति संशोधनों सहित संलग्न की जाये)	हाँ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 संलग्न है।
9.	चयन का आधार (सेवा विनियमावली के अनुसार)	बोर्ड की सेवा विनियमावली, 1995 एवं कार्मिक अनुभाग-2, 2000 शासन की अधिसूचना सं0- 4/2017/ 1/1/ 2017-का-2 दिनांक 31.08.2017 के अनुसार।
	1-केवल साक्षात्कार	X
	2-केवल लिखित परीक्षा	हाँ
	3-लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हो, काट दिया जाये)	X
10.	अधियाचित पदों का आरक्षण एवं श्रेणीवार विवरण	
	(क)-लम्बवत आरक्षण का विवरण	
	1-अनारक्षित पदों की संख्या	10
	2-अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	02
	3-अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	-
	4-अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	02
	(ख) क्षैतिज आरक्षण का विवरण	
	(1) शासनादेश सं0-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20.09.1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्रतियों का 02 प्रतिशत)	-
	(2)(क) समाज के विकलांग व्यक्ति हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्रतियों का 03 प्रतिशत)	-
	(ख) शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी,	-

2011 के प्राविधानानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पद विकलांगता
(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (2) श्रवण हास से ग्रसित

(3) चलन क्रिया संबंधी अशक्तता या प्रमासिद्धीय अंगघात से ग्रसित
किस-किस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तदनुसार उनके उपश्रेणी के
चिन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जाये।

(3) शासनादेश सं०-18/1/95-का-2/99-टी०सी०-2/65-03-
11-78/99, दिनांक 09.09.1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/
भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह-ग के पदों हेतु
रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार)

(4) शासनादेश सं०-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26.02.1999 के
आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की
संख्या

11. संवर्ग में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद	अधियाचित पदों की सं०
1.	अनारक्षित	--	13	02	11	10
2.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	05	03	02	02
3.	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत	--	--	--	--
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	06	04	02	02
	योग --		24	09	15	14

12. क्या पद स्थायी/अस्थायी है?

अस्थायी,

वर्तमान में उक्त पदों की दिनांक 28.02.2019 तक की अवधि के लिए शासकीय निरंतरता प्राप्त है परंतु इन पदों के आगे बढ़ाए जाने/फलते रहने की संभावना है।

13. शैक्षिक योग्यता

(अ) अनिवार्य (जिसमें शिक्षा संबंधी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो)

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2) किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

14. (ब) अधिमानी अर्हताएँ, यदि कोई हो
आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो

(क)-न्यूनतम

(ख)-उच्चतम

15. क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता है?
(हाँ/नहीं)

18 वर्ष

40 वर्ष

नहीं

16. अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता भारतीय
17. क्या पद पेशनयुक्त है? (हाँ/ नहीं) नहीं
18. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 02 वर्ष, जिसे तात्कालिक परिस्थितियों में 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।
19. वर्तमान पद से संबंधित समस्त कार्य।
20. चुने हुए अभ्यर्थी को बयान के बाद कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा तत्काल
21. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है? यदि हाँ तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बताये, जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी। हाँ, कोई शिथिलता प्राधिकारित नहीं है।
22. पद जिसके लिए अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध में भारत के किसी न्यायालय में कोई याद विचारधीन तो नहीं है। नहीं
23. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं आती नहीं

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर -

नाम -

आशीष तिवारी

पदनाम -

सदस्य सचिव

विभाग -

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सील -

(आशीष तिवारी)

सदस्य सचिव

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

कार्यालय का दूरभाष सं० -

(0522) - 2720895

मोबाइल संख्या -

7007280904

dy

MLA

R

2261/19
8/5/19

पत्राक ... 840

दिनांक.....

एम एन केम्प/20 प्राथमिकता
संख्या 80 /319/चार/309/2018

शुभक,

परीक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर,
लखनऊ।

आयुक्त, एम एन केम्प/20 प्राथमिकता
दिनांक: 8-5-19
आयुक्त के दफ्तरे, लखनऊ
परीक्षा नियंत्रक के दफ्तरे, लखनऊ

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1. विशेष सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-5,
उत्तर प्रदेश शासन। | 2. आवास आयुक्त,
30 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ। |
| 3. निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | 4. निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। |
| 5. सदस्य सचिव,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
उत्तर प्रदेश | 6. निदेशक,
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 7. निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | |

परीक्षा अनुभाग- 2

लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2019

विषय: विज्ञापन संख्या- 04- परीक्षा/2018 के अंतर्गत विज्ञापित अवर अभियंता पद हेतु अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) तथा ट्रेड की स्थिति

स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

अवगत करना है कि आपके द्वारा अवर अभियंता के रिक्त पदों का अधिवाचन संगत सेवा नियमावली संलग्न करते हुए आयोग को कराया गया था। उक्त प्राप्त अधिवाचन तथा सेवा नियमावली में विहित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) का यथावत उल्लेख करते हुए अधिवाचित पदनाम से अवर अभियंता के विभिन्न पदों को आयोग के विज्ञापन संख्या-04- परीक्षा/2018 के अंतर्गत विज्ञापित किया गया है।

उक्तानुसार अधिवाचित पदनाम से विज्ञापित किये गए अवर अभियंता के पदों के सम्बन्ध में सेवानियमावली में विहित एवं तदनुसार विज्ञापित अर्हताओं का उल्लेख नीचे सारणी के स्तम्भ-4 में किया जा रहा है। स्तम्भ-4 में उल्लिखित अर्हता के सम्बन्ध में स्तम्भ-5 में पदनाम व अनिवार्य अर्हता शैक्षिक के परिप्रेक्ष्य में की गयी विज्ञप्ति का समाधान किया जाना आवश्यक है-

क्र0सं0	विभाग का नाम	पद नाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)	टिप्पणी
स्तंभ-1	स्तंभ-2	स्तंभ-3	स्तंभ-4	स्तंभ-5
1.	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-5, 30 प्र0 विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा	अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	राज्य सरकार या प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा।	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत तथा यांत्रिक) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) वा अवर अभियंता (यांत्रिक) है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु दोनों ट्रेड अर्थात् विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा प्राप्त करना होगा अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमापारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे। 3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि पदनाम अवर अभियंता (विद्युत) है तब इस पद हेतु यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमापारी तथा यदि पदनाम अवर अभियंता (यांत्रिक) है तब इस पद हेतु विद्युत

AO
10.05.19.

			अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।
उत्तर प्रदेश आनया एवं विकास परिषद्, लखनऊ	अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	No person shall be required to the service unless he (i) has obtained Diploma in Civil Engineering/ Electrical Engineering/ Mechanical Engineering recognized by the Board or any other Qualification recognized as equivalent thereto by the Board; and (ii) Has working knowledge of Hindi.	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत तथा यांत्रिक) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) या अवर अभियंता (यांत्रिक) है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु दोनों ट्रेड अर्थात् सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा सिविल, विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे। 3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि पदनाम अवर अभियंता (विद्युत) है तब इस पद हेतु यांत्रिक व सिविल अभियंत्रण में से कोई एक डिप्लोमाधारी तथा यदि पदनाम अवर अभियंता (यांत्रिक) है तब इस पद हेतु विद्युत व सिविल अभियंत्रण में से कोई एक डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।
	अवर अभियंता (सिविल)	No person shall be required to the service unless he (i) has obtained Diploma in Civil Engineering/ Electrical Engineering/ Mechanical Engineering recognized by the Board or any other Qualification recognized as equivalent thereto by the Board; and (ii) Has working knowledge of Hindi.	1. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को अवर अभियंता (सिविल) पद हेतु दोनों ट्रेड अर्थात् सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा सिविल, विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे।
विदेशीय, स्वामीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अवर अभियंता (जलकल)	किसी मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थान से विद्युत/यांत्रिक में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।	1. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को अवर अभियंता (जलकल) पद हेतु दोनों ट्रेड अर्थात् विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे।
	अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	राज्य सरकार अथवा राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्, स्टेट बोर्ड आक टेक्निकल इंजीनियरिंग त्रिवर्षीय विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत तथा यांत्रिक) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) या अवर अभियंता (यांत्रिक) है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु दोनों ट्रेड अर्थात् विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे। 3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि उक्त पदनाम अवर अभियंता (विद्युत) है तब इस पद हेतु यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी तथा यदि पदनाम अवर

				अभियंता (यांत्रिक) है तब इस पद हेतु विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।
4.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।	अवर अभियंता (विद्युत)	(1) प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा होना आवश्यक है। (2) उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा जो इलेक्ट्रॉनिक बुटियों और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत करने का व्यावहारिक ज्ञान रखते हों।	1. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु तीनों ट्रेड अर्थात् विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे।
5.	उत्तर प्रदेश प्रवृत्त निर्वहन बोर्ड	अवर अभियंता	जनस्वास्थ्य/ सिविल/ रसायन/ पर्वोत्थरण में तीन वर्ष का अभियांत्रिकी डिप्लोमा।	1. पद की ट्रेड का चिन्हानकन नहीं किया गया है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु चारों ट्रेड अर्थात् जनस्वास्थ्य, सिविल, रसायन एवं पर्वोत्थरण अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा जनस्वास्थ्य, सिविल, रसायन एवं पर्वोत्थरण अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे। 3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि पदनाम अवर अभियंता (जनस्वास्थ्य) है तब इस पद हेतु सिविल, रसायन तथा पर्वोत्थरण अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं। यदि पदनाम अवर अभियंता (सिविल) है तब इस पद हेतु जनस्वास्थ्य, रसायन तथा पर्वोत्थरण अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं। यदि पदनाम अवर अभियंता (रसायन) है तब इस पद हेतु सिविल, जनस्वास्थ्य तथा पर्वोत्थरण अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं। यदि पदनाम अवर अभियंता (पर्वोत्थरण) है तब इस पद हेतु सिविल, रसायन तथा जनस्वास्थ्य अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।
6.	राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश।	अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (2) प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत तथा यांत्रिक) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) या अवर अभियंता (यांत्रिक) है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि क्या इस पद हेतु मात्र विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमाधारक ही पात्र समझे जायेंगे। 3. क्या पद का नाम अवर अभियंता (यांत्रिक) होने की स्थिति में भी यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी इस पद हेतु योग्य नहीं समझे जायेंगे।
7.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	विद्युत एवं यांत्रिक फोरमैन, वर्ग-1।	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत/ यांत्रिकी / रेफ्रिजेशन अभियांत्रिकी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा और संबंध प्रचालन या सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक फोरमैन, वर्ग-1) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक फोरमैन, वर्ग-1) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) या अवर अभियंता (फोरमैन, वर्ग-1) है।

		<p>यांत्रिकी व्यवसाय में आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र और 01 वर्ष का अनुभव।</p>	<p>2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पर हेतु होने ट्रेड अर्थात् विद्युत, यांत्रिक एवं रेफ्रिजेशन अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा विद्युत, यांत्रिक तथा रेफ्रिजेशन अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पर हेतु पात्र होंगे। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाना है कि क्या उक्त अर्हता के साथ-साथ यांत्रिकी व्यवसाय में आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र और 01 वर्ष का अनुभव भी अभ्यर्थी को धारित करना होगा अथवा नहीं।</p> <p>3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि पदनाम अवर अभियंता (विद्युत) है तब इस पर हेतु यांत्रिक एवं रेफ्रिजेशन अभियंत्रण अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी तथा यदि पदनाम अवर अभियंता (फोरेमैन, वर्ग-1) है तब इस पर हेतु विद्युत, यांत्रिक तथा रेफ्रिजेशन अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।</p> <p>4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाना है कि क्या मात्र यांत्रिक व्यवसाय में आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र और 01 वर्ष का अनुभव धारक अभ्यर्थी भी इस पर हेतु पात्र होंगे? क्या ऐसे अभ्यर्थियों को डिप्लोमा धारित करने की आवश्यकता नहीं है?</p>
--	--	---	---

अतः उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए, वांछित अभिमत आयोग को कृपया एक सप्ताह के पलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आयोग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र की जा सके।

भवदीय,



(बिपिन कुमार मिश्र)

परीक्षा नियंत्रक।

4185-13
21/10/20

पत्र संख्या-200/मुक्त अर्थ (आरक्षण)/2020
दिनांक-22-10-2020

पत्रांक-1611/2015 एम एस कैम्प/20
दिनांक-22/10/20

संख्या-187/612/चार/509/2018

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परीक्षा-अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020

विषय-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करते हुए आयोग के नवीन प्रारूप पर संशोधित अधियाचन उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

कृपया अपने विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग को प्रेषित निम्न विवरण के अनुसार अधियाचन सम्बन्धी पत्र/पत्रों का संदर्भ लेने का कष्ट करें-

क्रम सं०	पत्र संख्या	दिनांक	पदनाम	अधियाचित रिक्त पदों की संख्या
1.	G-3211/के0एस0 कैम्प-27/2019-20	27.01.2020	आशुलिपिक	24
2.	G-31580/के0एस0 कैम्प-27(ब)/16-19	22.11.2019	लेखाकार/लेखा परीक्षक	15
3.	G-26791/ए0एस0 कैम्प-27/18-18	15.03.2018	पुस्तकालयाध्यक्ष	01
4.	G-31237/ए0एस0 कैम्प-27/2019	15.10.2019	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	05
5.	G-26791/ए0एस0 कैम्प-27/16-18	15.03.2018	विधिक सहायक	05

2 इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग-1 के अधिनियम संख्या-1577/79-वि0-1-20-1(क)-4-20 दिनांक 31 अगस्त, 2020 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 (प्रतिलिपि संलग्नक-1) अवलोकनीय है, जिसमें निम्न व्यवस्था की गई है-

उक्त अधिनियम की धारा 1-(2) में निम्नवत प्राविधान किया गया है-

1-(2) यह दिनांक 1 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 13-(1) में निम्नवत प्राविधान किया गया है-

22-10-2020
महोदय/अधीनस्थ
CEO (Admin)
21/10/20

13-(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे, जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व आरम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले, विधि के उपबन्धों और शासनादेशों के अनुसार, जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—जहाँ सुसंगत सेवानियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ स्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर, या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हो, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर इस धारा के प्रयोजनों के लिए चयन प्रक्रिया आरम्भ हुई समझी जायेगी।

3. आपको यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1602/47-का-3-2019-13/17/2006 दिनांक 28 जनवरी, 2020 (प्रतिलिपि संलग्नक-2) में दिये गये निदेशानुसार आयोग द्वारा अधियाचन का नवीन प्रारूप जारी किया गया है।

4. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय झाप संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019 टी.सी.-1 दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण से सम्बन्धित जिससे कि रोस्टर व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2 दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-झाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू की गई है।

5. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-झाप संख्या-6/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-1 दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 के प्रस्तर-5 में विहित व्यवस्था के अनुसार "यदि किसी चयन वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्था उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उक्त रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रणीत नहीं किया जायेगा और उक्त रिक्ति को अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा"।

6. आपके विभाग से प्राप्त विभिन्न रिक्त पदों के अधियाचन उक्त प्रस्तर-2, 3, 4 व 5 में उल्लिखित शासनादेशों के अनुरूप नहीं हैं तथा उनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की स्थिति का सुरस्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

7. अतः प्रस्तर-4 में दिये गये विवरण के अनुसार आयोग में प्राप्त अधियाचन/अधियाचनों को मूल रूप में वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 व कार्यालय झाप संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019 टी.सी.-1 दिनांक 13 अगस्त, 2019 के प्रस्तर-2 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की गणना को पुनरीक्षित करते हुये कार्मिक अनुभाग-2 के उक्त कार्यालय-झाप दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 में बैकलॉग के सम्बन्ध में विहित व्यवस्था के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1602/47-का-3-2019-13/17/2006 दिनांक 28 जनवरी, 2020 में दिये गये नवीन प्रारूप पर

आयोग अलग पदनाम के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन दो प्रतियों में [सभी 24 बिन्दुओं की स्पष्ट शर्तों का उल्लेख करते हुए व अधियाचन के प्रत्येक पृष्ठ पर नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा विभाग का पुरभाष नम्बर, ई-मेल व पत्राचार का वर्तमान पता आदि के विवरण सहित] पद की संगत शान्तिनियमावली (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की सुस्पष्ट एवं पठनीय प्रति सहित, आयोग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि आयोग स्तर से निर्गत किये जाने वाले विज्ञापन में इन पदों से संबंधित विवरण का सही-सही उल्लेख किया जा सके ।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

 (आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
 रा.सचिव।

क्र. 250/21/एन एन केम्प/11
दिनांक 21/01/21

संख्या-796/81-6-2020

ANNEXURE NO.-17

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-8

लखनऊ:दिनांक :19 जनवरी, 2021

विषय:- कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 अगस्त, 2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रशा०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-जी33945/ए०एस०कैम्प(27)/2020, दिनांक 20-10-2020 एवं तत्कम में प्रेषित अपने पत्र संख्या-जी34135/ए०एस०कैम्प-27/2020, दिनांक 11-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ०प्र० लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर कमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त आरक्षण संवर्ग संख्या पर प्रभावी है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि आरक्षित रिक्तियों की गणना करते समय केवल पूर्णांकों को ही संज्ञान में लिया जायेगा, भिन्न (Fraction) को नजरअंदाज (Ignore) किया जायेगा।

इसी प्रकार उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों (समूह-ग एवं घ के पदों पर) को कमशः 04 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 26-02-1999 के माध्यम से महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण रिक्तियों पर आधारित है।

यह भी उल्लेख करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है तथा उ०प्र० राज्य के मूल निवासी हैं, को राज्याधीन सेवाओं और पदों पर 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 31-08-2020 निर्गत की गयी है।

h/b

AO(210)

ML

22.01.2021

CEO(Admin)

20/01/2021

(आचार्य सचिव)
उ०प्र० शासन

-2-

प्रकरण में यह भी स्पष्ट करना है कि यदि रोस्टर एवं प्रतिशत में किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में आरक्षण प्रतिशत प्रभावी होगा। जैसा कि सिविल अपील संख्या-2903/2001 आर0एस0गर्ग बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की पीठ के आदेश दिनांक 27-07-2006 के पैरा-40 में प्रतिपादित किया गया है।

जहाँ तक कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय झाप दिनांक 13-08-2019 न्यूनतम कितने पदों पर लागू होगा, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 100 बिन्दुओं का आरक्षण रोस्टर कार्यालय-झाप दिनांक 13-08-2019 निर्गत किया गया है, जिसकी व्यवस्था स्वतः स्पष्ट है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त व्यवस्था के आलोक में परीक्षण कर, आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

पत्रांक:- /386/चार/आयोग/2021

प्रथम,

सचिव,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
विक्रम भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)-प्र0,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010।

परीक्षा अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: अगस्त, 2022

विषय:- उत्तर प्रदेश शासन के अद्यतन अधिनियम/नियमों/शासनादेशों के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करते हुए निर्धारित प्रारूप पर त्रुटि रहित अधियाचन उपलब्ध कराये जाने हेतु।

महोदय,

कृपया अपने विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग को प्रेषित निम्न चिवरण के अनुसार अधियाचन सम्बन्धी पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें-

क्र0 सं0	पत्र संख्या	दिनांक	पदनाम	अधियाचित रिक्त पदों की संख्या
1	G37979/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2022	12-05-2022	कनिष्ठ सहायक	14

उक्त अधियाचन/अधियाचनों का आयोग स्तर पर परीक्षण करने पर अधियाचन/अधियाचनों में अद्यतन अधिनियम/नियमों/शासनादेशों के दृष्टिगत कतिपय त्रुटियों का निराकरण कराया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों के चयन में अपनायी जाने वाली चयन प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी प्रावधानों में निम्नानुसार महत्वपूर्ण संशोधन/परिवर्तन किये गये हैं, जिनके फलस्वरूप पूर्व प्रेषित अधियाचनों को अद्यतन अधिनियम / नियमों/शासनादेशों के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है-

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग-1 की विज्ञापि संख्या- 1577/79-वि-1-20-1(क)-4-20 दिनांक: 31 अगस्त, 2020 द्वारा अधिसूचित किया गया है, के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 03 की उपधारा 04 के अनुसार आरक्षण को लागू करने के लिए कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 05/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0, दिनांक-13 अगस्त, 2019 द्वारा एक रोस्टर जारी किया गया है, जो अनवरत रूप से तब तक लागू रहेगा, जब तक उसे समाप्त न कर दिया जाय। अतः आपके द्वारा प्रेषित अधियाचन में उपर्युक्तानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण लागू करने के लिए यथावश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है।
2. उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षण- उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022" प्रख्यापित की गयी है, जिसके द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु कुल रिक्तियों की 02 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की गयी हैं। अतः आपके द्वारा प्रेषित अधियाचन में उक्त नियमावली के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षण लागू करने के लिए यथावश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है।
3. दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0 दिनांक 30 जुलाई, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह क, ख, ग एंव घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक- 18 अप्रैल, 2022 के अनुसार पदों का चिन्हांकन करते हुए रोस्टर के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या का निर्धारण किया

निरालो
पवन खिवाटी
30/08/2022

50
NWA
30/8/22

जाना अपेक्षित है। अतः आपके द्वारा प्रेषित अधियाचन में उक्त शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन हेतु आरक्षण लागू करने के लिए यथावश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

4. अधियाचन में समकक्ष अर्हता का स्पष्ट उल्लेख किये जाने हेतु- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021 दिनांक- 07 अक्टूबर, 2021 के अनुसार भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता की समकक्ष अर्हता क्या होगी का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
5. मृतक आश्रितों के समायोजन हेतु- उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अंतर्गत मृतक आश्रितों के समायोजन में आ रही कठिनाइयों के निवारण के सम्बन्ध में जारी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 5/2021/6/12/73/का-2/टी-सी.IV-(IV)/2021 दिनांक- 02 नवम्बर, 2021 के अनुसार अधियाचित पदों की संख्या को मृतक आश्रित की संख्या की सीमा तक कम करके संशोधित अधियाचन प्रेषित किया जाये।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण विधिक बिन्दुओं के अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाना भी आवश्यक है-

- 1- अधियाचन के बिन्दु-10(1)/(2)/(3) चयन का आधार, चयन में अन्य परीक्षा निहित का स्पष्ट उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली-2017 के अनुसार उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।
- 2- अधियाचन के बिन्दु- 11 में कुल सृजित पदों की संख्या से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के अद्यतन अधिनियम / नियमों/शासनादेशों के (की छायाप्रति संलग्न कर) अनुसार संवर्ग में सृजित रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण (आरक्षण की गणना) कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 05/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सौ0, दिनांक-13 अगस्त, 2019 द्वारा एक रोस्टर के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
- 3- अधियाचन के बिन्दु-12(क) में सृजित/रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण का उल्लेख उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 दिनांक: 22 सितम्बर, 2014 के भाग तीन नियम 7(1) के अनुसार अपेक्षित है।
- 4- अधियाचन के बिन्दु-14(अ)(ब) शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य), अधिमानी अर्हता तथा अन्य अर्हता जो अनिवार्य हे का स्पष्ट उल्लेख उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 दिनांक: 22 सितम्बर, 2014 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
- 5- अधियाचन के बिन्दु-17 के सम्मुख सेवा नियमावली के अनुसार "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये" का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।
- 6- अधियाचन के बिन्दु-21 में शासनादेश दिनांक- 27 अगस्त, 2013 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों के अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षों की छूट दिए जाने का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।
- 7- कुल रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षित श्रेणी के रिक्त पद 50 प्रतिशत से अधिक हो रहे हों तो इसे स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। यदि इसमें विशेष चयन के पद निहित हैं तो सामान्य चयन एवं विशेष चयन हेतु पृथक-पृथक अधियाचन उपलब्ध कराये।

अतः आपके द्वारा पूर्व में प्रेषित अधियाचन/अधियाचनों को मूल रूप में इस अनुरोध के साथ वापस किया जा रहा है कि कृपया उपर्युक्त प्रावधानों/निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर त्रुटि रहित अधियाचन 25 अगस्त, 2022 तक आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आयोग स्तर से प्रकरण में यथोचित अग्रसर कार्यवाही की जा सके।
संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

महोदय
(अवनीश सक्सेना)
सचिव।

362
पत्रांक :- /171/चार/आयोग/2021

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010

362
50
A/W
21/11/21
वीरेंद्र
पत्रांक
20/09/22

परीक्षा अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 17 सितम्बर, 2022

विषय:- उत्तर प्रदेश शासन के अद्यतन अधिनियम / नियमों/शासनादेशों के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करते हुए निर्धारित प्रारूप पर त्रुटि रहित अधियाचन उपलब्ध कराये जाने हेतु।

महोदय,

कृपया अपने विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग को प्रेषित निम्न विवरण के अनुसार अधियाचन सम्बन्धी पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें-

क्र0 सं0	पत्र संख्या	दिनांक	पदनाम	अधियाचित रिक्त पदों की संख्या
1	G37798/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	11-04-2022	आशुलिपिक	27
2	G37980/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	12-05-2022	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	5
3	G37799/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	11-04-2022	लेखाकार/लेखापरीक्षक	20
4	G37983/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	12-05-2022	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
5	G37984/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	12-05-2022	वैज्ञानिक सहायक	5
6	G37982/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	12-05-2022	विधि सहायक	5
7	G37805/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	12-04-2022	प्रयोगशाला सहायक	1
8	G37981/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	12-05-2022	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी	3
9	G37804/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	12-04-2022	अनुश्रवण सहायक	19
10	G38567/ ए0एस0कैम्प-27(ब)/2021-22	22-07-2022	अवर अभियन्ता	14

उक्त अधियाचन/अधियाचनों का आयोग स्तर पर परीक्षण करने पर अधियाचन/अधियाचनों में अद्यतन अधिनियम / नियमों/शासनादेशों के दृष्टिगत कतिपय त्रुटियों का निराकरण कराया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों के चयन में अपनायी जाने वाली चयन प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी प्रावधानों में निम्नानुसार महत्वपूर्ण संशोधन/परिवर्तन किये गये हैं, जिनके फलस्वरूप पूर्व प्रेषित अधियाचनों को अद्यतन अधिनियम / नियमों/शासनादेशों के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है-

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के विद्यापी अनुभाग-1 की विज्ञापि संख्या- 1577/79-वि-1-20-1(क)-4-20 दिनांक: 31 अगस्त, 2020 द्वारा अधिसूचित किया गया है, के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 03 की उपधारा 04 के अनुसार आरक्षण को लागू करने के लिए कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 05/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0, दिनांक-13 अगस्त, 2019 द्वारा एक रोस्टर जारी किया गया है, जो अनवरत रूप से तब तक लागू रहेगा, जब तक उसे समाप्त न कर दिया जाय। अतः आपके द्वारा प्रेषित अधियाचन में उपर्युक्तानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण लागू करने के लिए यथावश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

2. उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षण- उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022" प्रख्यापित की गयी है, जिसके द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु कुल रिक्तियों की 02 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की गयी हैं। अतः आपके द्वारा प्रेषित अधियाचन में उक्त नियमावली के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षण लागू करने के लिए यथावश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है।
3. दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0 दिनांक 30 जुलाई, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत शैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त 3090 शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक- 18 अप्रैल, 2022 के अनुसार पदों का चिन्हांकन करते हुए रोस्टर के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतः आपके द्वारा प्रेषित अधियाचन में उक्त शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन हेतु आरक्षण लागू करने के लिए यथावश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है।
4. अधियाचन में समकक्ष अर्हता का स्पष्ट उल्लेख किये जाने हेतु- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021 दिनांक- 07 अक्टूबर, 2021 के अनुसार भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता की समकक्ष अर्हता क्या होगी का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
5. मृतक आश्रितों के समायोजन हेतु- उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अंतर्गत मृतक आश्रितों के समायोजन में आ रही कठिनाइयों के निवारण के सम्बन्ध में जारी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 5/2021/6/12/73/का-2/टी-सी.IV.(IV)/2021 दिनांक- 02 नवम्बर, 2021 के अनुसार अधियाचित पदों की संख्या को मृतक आश्रित की संख्या की सीमा तक कम करके संशोधित अधियाचन प्रेषित किया जाये।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण विधिक बिन्दुओं के अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाना भी आवश्यक है-

- 1- अधियाचन के बिन्दु-10(1)/(2)/(3) चयन का आधार, चयन में अन्य परीक्षा निहित का स्पष्ट उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली-2017 के अनुसार उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।
- 2- अधियाचन के बिन्दु- 11 में कुल सृजित पदों की संख्या से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के अद्यतन अधिनियम / नियमों/शासनादेशों के(की छायाप्रति संलग्न कर)अनुसार संवर्ग में सृजित रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण (आरक्षण की गणना) कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 05/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0, दिनांक-13 अगस्त, 2019 द्वारा एक रोस्टर के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
- 3- अधियाचन के बिन्दु-12(क) में सृजित/रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण का उल्लेख पद की संगत सेवा नियमावली के अनुसार/कार्यकारी आदेश के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
- 4- अधियाचन के बिन्दु-14(अ)(ब) शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य), अधिमानी अर्हता तथा अन्य अर्हता जो अनिवार्य है का स्पष्ट उल्लेख पद की संगत सेवा नियमावली के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
- 5- अधियाचन के बिन्दु-17 के सम्मुख सेवा नियमावली के अनुसार "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये" का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।
- 6- अधियाचन के बिन्दु-21 में शासनादेश दिनांक- 27 अगस्त, 2013 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों के अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षों की छूट दिए जाने का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।
- 7- कुल रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षित श्रेणी के रिक्त पद 50 प्रतिशत से अधिक हो रहे हों तो इसे स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। यदि इसमें विशेष चयन के पद निहित हैं तो सामान्य चयन एवं विशेष चयन हेतु पृथक-पृथक अधियाचन शासनादेश

संख्या- 22/43/82-का-2/2002 दिनांक 3 जुलाई, 2002 (राज्याधीन सेवा में श्रेणी क, ख, ग के सीधी भर्ती/ पदों उन्नति के आरक्षित वर्गों के बिना भरी रिक्तियों के बैकलाग को पूरा करने की कार्यवाही) के अनुसार अपेक्षित है।

अतः आपके द्वारा उपर्युक्त प्रेषित अधियाचन/अधियाचनों को मूल रूप में इस अनुरोध के साथ वापस किया जा रहा है कि कृपया अधियाचन को उपर्युक्त प्रावधानों/निर्देशों के अनुसार संशोधित करते हुए निर्धारित प्रारूप (अधियाचन का प्रारूप आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> / पर उपलब्ध) पर त्रुटि रहित अधियाचन यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि आयोग स्तर से प्रकरण में यथोचित अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

~~भवदीय~~
15/07/2002
(अवनीश सक्सेना)
सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या- 647 / 55-343(पर्या) / 2010

प्रेषक,

श्री दिनेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सदस्य सचिव,
उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

पर्यावरण अनुभाग

लखनऊ :

दिनांक 23 मार्च, 2011

विषय:- चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं०-जीओ-9668/ए०एस०कैम्प/196/9-10/08, दिनांक 12-11-2011 का संदर्भ में मुझे आपको वित्त विभाग के शासनादेश सं०-वे०आ०-2-3263/दस-59 (एम०)/08 टी०सी० दिनांक 12-1-11 की प्रति भेजते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश की व्यवस्था अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(दिनेश कुमार)
संयुक्त सचिव

30(100)



संख्या-वे0आ0-2-3263/दस-59(एम)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी 2011

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में संशोधन।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य करायें जाने के सम्बन्ध में संकल्प संख्या-वे0आ0-2-252/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 08 फरवरी 2009 भाग-2 द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के लिये विभागीय आदेश निर्गत किये गये हैं। उपर्युक्त के क्रम में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :-

(i). राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500-10500 को दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 दिनांक 01 जनवरी 2006 से स्वीकृत किया जाय।

(ii). स्वशासी संस्थाओं के समूह-घ के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैंड-1 एस रू0 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन रू0 1300, रू0 1400 एवं रू0 1650 के स्थान पर संशोधित/उच्चकृत वेतन बैंड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800 दिनांक 01 जनवरी 2006 से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव (दिनांक 08 सितम्बर 2010) से पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराया जाय। यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) नियुक्ति नहीं की जायेगी।

तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में यथावश्यकता केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी।

परन्तु उक्त व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत समूह-"घ" के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे यह अनुरोध करने की मुझसे अपेक्षा की गयी आपके विभाग के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को निम्नलिखित निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित शासनादेश वित्त विभाग की से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

-वे0आ0-2- (1)/दस-59(एग)/2008, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

उच्चर सचिवालय के समस्त अनुभाग।

निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक नियमावली सेल।

गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या:
Ref No: 41673 / ए0एस0कैम्प / 2023,

दिनांक:
Date: 17/09/2023

सेवा में,

विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषय: उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह-'ख' एवं 'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-जी39952/ए0एस0कैम्प/2023, दिनांक-12.01.2023 एवं पत्र संख्या-जी40696/ए0एस0कैम्प/2023, दिनांक-11.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से बोर्ड अधिष्ठान में समूह-'ख' एवं 'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती/चयन कराये जाने के उद्देश्य से 'उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग' के माध्यम से चयन संबंधी कार्यवाही किये जाने के लिये शासन स्तर से विचार करते हुये, तदनुसार अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन से अनुरोध किये जाने की अपेक्षा की गई थी।

पुनः अनुरोध है कि समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 विशेष न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मा0 विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन एवं बोर्ड कार्यों के सुचारु निष्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत बोर्ड में समूह-'ख' एवं 'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती/चयन 'उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग' के माध्यम से कराये जाने के संबंध में यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या:

Ref No: CA1884/ए0एस0कैम्प/2023,

दिनांक:

Date: 03/11/2023

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषय: उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह-‘ख’ एवं ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-जी39952/ए0एस0कैम्प/2023, दिनांक-12.01.2023, पत्र संख्या-जी40696/ए0एस0कैम्प/2023, दिनांक-11.05.2023 एवं पत्र संख्या-जी41693/ए0एस0कैम्प/2023, दिनांक-27.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से बोर्ड अधिष्ठान में समूह-‘ख’ एवं ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती/चयन कराये जाने के उद्देश्य से ‘उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग’ के माध्यम से चयन संबंधी कार्यवाही किये जाने के लिये शासन स्तर से विचार करते हुये, तदनुसार अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन से अनुरोध किये जाने/प्रकरण पर यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 विशेष न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मा0 विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन एवं बोर्ड कार्यों के सुचारु निष्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत बोर्ड में समूह-‘ख’ एवं ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र भर्ती/चयन ‘उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग’ के माध्यम से कराये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में माह-नवम्बर, 2023 के द्वितीय सप्ताह में शासन स्तर पर बैठक आयोजित करवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव